# लोक-सभा वाद-विवाद
# का
# संक्षिप्त अनूदित संस्करण

# SUMMARISED TRANSLATED VERSION
# OF
# LOK SABHA DEBATES

[ तीसरा सत्र
Third Session ]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 9.1.84
Parliament Library

[ खंड 9 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. IX contains Nos. 1 to 10 ]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

*Price* : One Rupee

# विषय-सूची/Contents

अंक 6, मंगलवार, 21 नवम्बर, 1967/30 कार्तिक, 1889 (शक)

No. 6, Tuesday, November 21, 1967/Kartika 30, 1889 (Saka)

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर ORAL ANSWERS TO QUESTIONS


| ता० प्रश्न संख्या S.Q. Nos. विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGES |
|---|---|---|
| 151. सुपर बाजार, दिल्ली | Super Bazar, Delhi | 769-772 |
| 152. केरल में लघु सिंचाई कार्यक्रम | Minor Irrigation Programme in Kerala | 772-774 |
| 154. खाद्यान्नों का वसूली मूल्य | Procurement Prices of Foodgrains | 774 778 |
| 155. सहकारी खेती | Co-operative Farming | 778 |
| 175. सहकारी खेती | Co-operative Farming | 778-782 |
| **अल्प-सूचना प्रश्न संख्या Short Notice Question No.** | | |
| 1. दिल्ली के लिए टेलीफोन सलाहकार समिति | Telephone Advisory Committee for Delhi | 782-784 |


## प्रश्नों के लिखित उत्तर WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS


| ता० प्र० संख्या S.Q. Nos. | | |
|---|---|---|
| 153. उर्वरक खरीदने के लिए राज्यों को सहायता | Assistance to States for purchase of Fertilizers | 784-785 |
| 156. रोजगार दिलाऊ दफ्तर (रिक्त पदों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम | Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act | 785 |
| 157. गुजरात में धान का समाहार | Paddy procurement in Gujarat | 785-786 |
| 158. बैंक उद्योग सम्बन्धी औद्योगिक समिति | Industrial Committee on Banking Industry | 786 |
| 159. राष्ट्रीय श्रम आयोग | National Labour Commission | 786 |
| 160. ग्रामीण ऋण पुनर्विलोकन समिति | Rural Credit Review Committee | 787 |
| 161. दिल्ली के लिए चीनी का कोटा | Sugar Quota for Delhi | 787-788 |


*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

अता० प्र० संख्या

U.Q. Nos.


| | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|---|
| 162. | चीनी मिलों के लिये धन | Funds for Sugar Mills | 788 |
| 163. | चुकन्दर का उत्पादन | Sugar Beet Production | 788 |
| 164. | उत्पादन उपकर | Production Levy | 788-789 |
| 165. | पंचाग्रती राज संस्थाएं | Panchayati Raj Institutions | 789 |
| 167. | अमरीका तथा अन्य देशों से खाद्यान्न का आयात | Food Imports from USA and other Countries | 789-790 |
| 168. | समान व्यवहार संहिता | Common Civil Code | 790 |
| 169. | पुनर्वास उद्योग निगम | Rehabilitation Industries Corporation | 790 |
| 170. | गो रक्षा समिति | Committee on Cow Protection | 791 |
| 171. | खरीफ का फसल की उत्पादन | Kharif Crop Production | 791 |
| 172. | खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि | Rise in prices of foodgrains | 791-792 |
| 173. | सूखाग्रस्त राज्य | Drought-Hit States | 792 |
| 174. | दूध के उत्पादन में कमी | Fall in Milk Production | 792 |
| 176. | खाद्यान्न का उत्पादन | Food Production | 792-793 |
| 177. | खरीफ की फसल की वसूली | Procurement of Kharif Crop | 793 |
| 178. | निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों को मान्यता दिया जाना | Recognition of Political Parties by Election Commission | 793-794 |
| 179. | एक राज्य खाद्यक्षेत्र प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न की वसूली | Foodgrains Procurement under single state Zonal System | 794 |
| 180. | पश्चिम बंगाल में किए गए राहत कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन | Report of Relief work done in West Bengal | 794 |


**अतारांकित प्रश्न संख्या**

**Unstarred Question Nos.**


| | | | |
|---|---|---|---|
| 1114. | आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के लिए मजूरी बोर्ड | Wage Board for Staff Artistes of AIR | 794-795 |
| 1115. | पशु महामारी | Rinderpest Disease | 795 |
| 1116. | बीज तैयार करने वाले फार्म | Seed Multiplication Farms | 795 |
| 1117. | घेराव | Gheraos | 795-796 |
| 1118. | रेडियो लाइसेंस | Radio Licences | 797 |
| 1119. | भारतीय खाद्य निगम | Food Corporation of India | 797 |

| अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. | विषय | Subject | पृष्ठ/Page |
|---|---|---|---|
| 1120. | भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की वसूली | Procurement of Food by F.C.I. | 797-798 |
| 1121. | बिहार की खाद्यान्न संबंधी आवश्यकता | Foodgrains Requirement of Bihar | 798-799 |
| 1122. | दिल्ली में टेलीफोन बिलों की देय बकाया राशि | Arrears of Telephone Bills in Delhi | 799 |
| 1123. | सामुदायिक विकास खण्ड | Community Development Block | 799 |
| 1124. | गुजरात की चीनी की आवश्यकता | Sugar requirement of Gujarat | 799-800 |
| 1125. | गुजरात में प्रयोगात्मक नलकूप | Exploratory Tubewells in Gujarat | 800 |
| 1126. | बीज फार्म | Seed Farms | 800-801 |
| 1127. | गुजरात में सीधी टेलीफोन व्यवस्था | Direct dialling system in Gujarat | 801 |
| 1128. | मध्य प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम | Public Sector Undertakings in M. P. | 801 |
| 1129. | चावल का मूल्य | Price of Rice | 801-802 |
| 1130. | भारतीय खाद्य निगम | Food Corporation of India | 802 |
| 1131. | हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम | Hindu Succession Act | 802 |
| 1132. | अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित पद | Reserved vacancies for S.C. & S. T. | 802-803 |
| 1133. | दिल्ली दुग्ध योजना के कर्मचारियों की माँगें | Demands of D.M.S. Employees | 803-805 |
| 1134. | 'गाइड टू एक्सपोर्ट आफ फ्राग्ज' नामक पुस्तक | Guide to Export of Frogs | 806 |
| 1135. | बन्दरगाहों पर उर्वरक की चोरी | Pilferages of Fertilizer at Ports | 806-807 |
| 1136. | लघु सिंचाई योजनाएं | Minor Irrigation Scheme | 807-808 |
| 1137. | पशु प्रजनन के लिए हरियाना को केन्द्रीय सहायता | Central Assistance to Haryana for Cattle Breeding | 808-809 |
| 1138. | कृषि ऋण निगम | Agricultural Credit Corporations | 809 |
| 1139. | दहेज प्रथा | Dowry System | 809 |

| अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|---|
| 1140. | खाद्यान्नों का अन्तर्राज्य व्यापार | Inter-State trade of Foodgrains | 809-810 |
| 1142. | बिना लाइसेंस के बेतार यन्त्र (वायरलैस सेट) | Wireless sets without licences | 810 |
| 1143. | डाक और तार क्लर्कों के विरुद्ध लेख याचिकाएं | Writ Petitions Against P & T Clerks | 811 |
| 1145. | पूतकी कोयला खान में काम रोको हड़ताल | Stay-in-strike in Pootki Collery | 811-812 |
| 1147. | कर्मचारी राज्यकीय बीमा योजना के अधीन अस्पताल | Hospital under ESI Scheme | 812 |
| 1148. | कर्मचारी राजकीय बीमा औषधालय, कर्मपुरा (दिल्ली) | Employees State Insurance Dispensary, Karampura, Delhi | 812-813 |
| 1149. | श्रम विधियों का संहिताकरण | Codification of labour laws | 813 |
| 1150. | मुस्लिम व्यक्तिक विधि का संहिताकरण | Codification of Muslim personal Law | 813 |
| 1151. | दिल्ली में मजदूरों के लिये मकान | Housing for labourers in Delhi | 814 |
| 1152. | दिल्ली में टेलीफोन सेवा के विरुद्ध शिकायतें | Complaints against Telephone service in Delhi | 814-815 |
| 1153. | सहकारिता के आधार पर दुग्धशालाओं और मुर्गी-पालन केन्द्रों के लिए वित्तीय सहायता | Financial Assistance for Dairies and Poultries on Co-operative Basis | 815-816 |
| 1154. | खाद्यान्न की खपत | Food Intake | 816 |
| 1155. | तंजौर जिले में धान सुखाने की मशीनें लगाना | Setting up of Mechanical Dryers in Tanjore District | 816-817 |
| 1156. | खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा उर्वरकों की सप्लाई | Fertilizer Supply by FAO | 817 |
| 1157. | आसाम में प्रव्रजक | Migrants in Assam | 817 |
| 1158. | संकर बीज का उत्पादन | Hybrid seed production | 818-819 |
| 1159. | भेड़ों की नस्ल में सुधार | Improvement of stock of sheep | 819 |
| 1160. | फ्रीक लिफाफे (ऐसे लिफाफे जिन पर छपाई ठीक नहीं) | Freak Envelops | 819-820 |

| अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|---|
| 1161. | रेगिस्तान को कृषि योग्य बनाना | Reclamation of Desert | 820 |
| 1162. | पुनर्वास उद्योग निगम | Rehabilitation Industries Corporation | 821 |
| 1163. | राजधानी में खाद्यान्नों का तस्कर व्यापार | Smuggling in Foodgrains in the Capital | 821-822 |
| 1164. | 'देवरिया' जिले उत्तर प्रदेश में मौतें | Deaths in Deoria District (U.P.) | 822 |
| 1165. | राज्यों का गेहूँ और चीनी का कोटा | Wheat and Sugar Quota for States | 822 |
| 1166. | चौथे आम चुनाव में डाले गये जाली मत | Bogus Votes Cast during the Fourth General Elections | 822-823 |
| 1168. | श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में हिन्दी असिस्टेंट | Hindi Assistants in Labour and Rehabilitation Ministry | 823 |
| 1169. | देहाती क्षेत्रों में रोजगार के अवसर | Employment Opportunities in Rural Areas | 823-824 |
| 1170. | गन्ने के मूल्य में वृद्धि | Increase in Prices of Sugarcane | 824 |
| 1173. | किसानों को सहकारी समितियों के माध्यम से दिया गया ऋण | Loan given to Farmers through co-operative | 824 |
| 1174. | खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के कृषि विभाग का पुनर्गठन | Reorganisation of Agriculture Department of the Ministry of Food and Agriculture | 824 |
| 1175. | जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए विशेष वेतन | Special Pay to District Election Officers | 825 |
| 1176. | खाद्य मंत्रालय में सुपरिन्टेंडेंट | Superintendents in Food Ministry | 825 |
| 1177. | रोजगार दिलाऊ कार्यालयों में दर्ज बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या | Unemployed persons registered at Employment Exchanges | 825 |
| 1178. | सहकारी समितियों द्वारा उर्वरकों की बिक्री | Sale of Fertilizer by Co-operatives | 826 |
| 1179. | बीजों में मिलावट | Adulteration of Seeds | 826 |
| 1180. | दूर-संचार सर्किट | Tele-communication circuits | 826-827 |
| 1181. | पाकिस्तान से दूर-संचार सम्बन्धी बकाया राशि | Tele-communication dues from Pakistan | 827 |

| अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|---|
| 1182. | खरीफ की फसल वाली भूमि | Kharif Crop Acreage | 827 |
| 1183. | राजस्थान में रेगिस्तान | Desert in Rajasthan | 827-828 |
| 1184. | दिल्ली ग्रेन सिंडीकेट | Delhi Grains Syndicate | 828 |
| 1185. | बढ़िया बीजों की बिक्री | Sale of improved seeds | 828 |
| 1186. | मद्रास से गुड़ के निर्यात पर प्रतिबन्ध | Ban on export of gur from Madras | 828-829 |
| 1187. | चेपा रोग (अर्गट) ग्रस्त बाजरे की फसल | Bajra Crop affected by Ergot | 829 |
| 1188. | खाद्यान्न का आयात | Import of Foodgrains | 829 |
| 1189. | अमरीका से अनाज का आयात | Import of Foodgrains from USA | 830 |
| 1190. | अमृतसर में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास | Rehabilitation of Displaced Persons in Amritsar | 830-831 |
| 1191. | गेहूँ तथा चावल का आयात और उनका राज्यों को आवंटन | Import of Wheat and Rice and allotment to states | 831 |
| 1192. | भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियाँ | Privy purses | 831-832 |
| 1193. | बेकार भूमि | Waste Lands | 832 |
| 1194. | जम्मू और काश्मीर में चीनी की कमी | Sugar Scarcity in J. &. K | 832-833 |
| 1195. | दिल्ली में चीनी की कीमत | Sugar price in Delhi | 833 |
| 1196. | कृषि अनुसंधान सेवा | Agricultural Research Service | 833 |
| 1197. | नाशिकीट लगने से खाद्यान्न को हानि | Lossess in Foodgrains due to Pests | 833-834 |
| 1198. | मध्य प्रदेश को खाद्यान्नों की सप्लाई | Supply of Foodgrains to M. P. | 834 |
| 1199. | उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में वन श्रमिक सहकार समितियाँ | Labour Forest Cooperative Societies in Orissa and Andhra Pradesh | 834-835 |
| 1200. | राज्यों में वस्तुओं के मूल्यों में असमानता | Price Disparities in States | 835 |
| 1201. | दिल्ली तथा कलकत्ता के बीच दूर-संचार व्यवस्था | Tele-communications links between Calcutta and Delhi | 835-836 |

| अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|---|
| 1202. | पाकिस्तान से शरणार्थी | Refugees from Pakistan | 836 |
| 1205. | विदेशी महापुरुषों के नाम पर स्मृति टिकट | Commemorative stamps on foreign personalities | 836-837 |
| 1207. | जम्मू और काश्मीर में चावल का कोटा | Rice Quota in Jammu and Kashmir | 837 |
| 1208. | जम्मू और काश्मीर को चावल की सप्लाई | Rice supply to Jammu and Kashmir | 837 |
| 1209. | कृषि की क्षमता का अनुमान लगाने के लिये आयोग | Commission to Assess Agriculture Potential | 838 |
| 1210. | ट्रैक्टरों की आवश्यकता | Requirement of Tractors | 838 |
| 1211. | ट्रैक्टरों की बिक्री | Sale of Tractors | 838-839 |
| 1212. | चीनी का उत्पादन | Sugar Production | 839 |
| 1213. | मत्स्यपालन परियोजना | Fisheries Project | 840 |
| 1214. | संसत्सदस्यों की वदेश यात्राएं | M. P.'s visits abroad | 840-841 |
| 1215. | रॉक फास्फोंट का प्रयोग | Use of Rock Phosphate | 841 |
| 1216. | मजूरी बोर्ड | Wage Boards | 841-842 |
| 1217. | दिल्ली और कलकत्ते के बीच सीधा टेलीफोन करने की व्यवस्था | Direct Dialling System from Delhi to Calcutta | 842 |
| 1218. | उत्तर प्रदेश में डाक घर और तार घर | Post and Telegraph Offices in U.P. | 842 |
| 1219. | हिमाचल प्रदेश को खाद्य की सप्लाई | Food Supply to Himachal Pradesh | 842-843 |
| 1220. | नालागढ़ तालुक को हिमाचल प्रदेश पोस्टल सर्किल के साथ मिलाया जाना | Integration of Nalagarh Taluk with Himachal Pradesh Postal Circle | 843 |
| 1221. | पंजाब, हरियाना और हिमाचल प्रदेश के लिए पोस्टल सर्किल | Postal Circles for Punjab, Haryana and Himachal Pradesh | 843 |
| 1222. | निर्वाचन आयोग द्वारा पत्र व्यवहार में हिन्दी का प्रयोग | Use of Hindi in correspondence by the Election Commission | 844 |
| 1223. | उत्तर प्रदेश के लिए खाद्यान्न का कोटा | Foodgrains quota for U. P. | 8 |

| अता० प्र० संख्या U.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|---|
| 1224. | उत्तर प्रदेश के गाँवों में डाक-घर | Post Offices of U. P. Villages | 844 |
| 1225. | हजारी बाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव | Bye-election in the Hazaribagh Parliamentary Constituency | 844-845 |
| 1226. | राज्यों के लिए चीनी का कोटा | Sugar Quota of States | 845 |
| 1227. | भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न की वसूली | Procurement of Foodgrains by F.C.I. | 845-846 |
| 1228. | स्वचालित टेलीफोन | Automatic Telephones | 846 |
| 1229. | पूर्वी बंगाल से आये विस्थापित व्यक्ति | Displaced Persons from East Bengal | 846-847 |
| 1230. | पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति | East Bengal Displaced Persons | 847 |
| 1231. | टेलीफोन के बिल तैयार करने की पद्धति | Telephone Billing System | 848 |
| 1232. | केरल को धान की सप्लाई | Supply of Paddy to Kerala | 848 |
| 1233. | टेलीफोन कनेक्शन | Telephone Connections | 848-849 |
| 1234. | आसाम को सप्लाई किए गए पाइप | Pipes supplied to Assam | 849 |
| 1235. | प्रोटीन की कमी | Protein Deficiency | 849 |
| 1236. | इटारसी में टेलीफोन एक्सचेंज और वाहक कार्यालय | Telephone Exchange and Carriers Office at Itarsi | 850 |
| 1237. | सामुदायिक विकास कार्यक्रम | Community Development Programme | 850 |
| 1238. | ऋण योजनाएं | Credit Schemes | 850-851 |
| 1239. | खण्डसारी उद्योग | Khandsari Industry | 851 |
| 1240. | बिहार के लिए अनाज का कोटा | Foodgrains quota for Bihar | 851-852 |
| 1241. | डाक तथा तार विभाग के पोस्ट मास्टर जनरल | Post Master Generals of P & T Deptt. | 852 |
| 1242. | शिलाँग स्थित पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय | Post Master General's Office, Shilong | 852-853 |
| 1243. | पतरातू रेलवे कालोनी (पूर्व रेलवे) में टेलीफोन और तार की सुविधाएं | Telephone and Telegraph Facilities in Patratu Railway Colony (E. Rly). | 853 |
| 1244. | मनीपुर में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास | Resettlement of displaced persons in Manipur | 853-854 |

| ता० प्र० संख्या S.Q. Nos. | विषय | SUBJECT | पृष्ठ/ AGE |
|---|---|---|---|
| 1245. | चुनाव कार्यालय, मनीपुर द्वारा जीपें किराये पर ली जाना | Hiring of jeeps by election office, Manipur | 854 |
| 1246. | खाद्य उत्पादन | Food Production | 854-855 |
| 1247. | चैकोस्लोवाकिया से ट्रैक्टरों का आयात | Import of Czech Tractors | 855 |
| 1248. | इसराइल द्वारा भारत को अनाज की सप्लाई की पेशकश | Offer by Israel to Supply foodgrains to India | 855-856 |
| 1249. | बिहार में रबी की फसल के लिए बीज | Seeds for Rabi crop in Bihar | 856 |
| 1250. | मध्य प्रदेश का चीनी का कोटा | Sugar quota for M. P. | 857 |
| 1251. | रेडियो लाइसेंस की फीस समाप्त करना | Abolition of Radio licence fee | 857 |
| 1252. | उल्हासनगर आवागमन शिविर | Ulhasnagar transit camp | 857 |
| 1253. | पुनर्वास विभाग में छंटनी | Retrenchment in the Department of Rehabilitation | 857-858 |
| 1254. | पुनर्वास विभाग में छंटनी | Retrenchment in the Department of of Rehabilitation | 858-859 |
| 1255. | आसाम में माइक्रो-वेव- प्रणाली का कर्मचारियों का प्रशिक्षण | Training of Personnel reg. Micro-wave system in Assam | 859 |
| 1256. | उड़ीसा में चावल की वसूली | Rice procurement in Orissa | 859-860 |
| 1257. | खाद्य तथा कृषि के लिए योजना में धन का नियतन | Plan allocation for food and Agriculture | 860 |
| 1258. | उड़ीसा में डाकघर | Post Offices in Orissa | 861 |
| | **अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना** | Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance | 861-864 |
| | कलकत्ता में गोदी श्रमिकों की हड़ताल | Strike by Dock Workers in Calcutta | |
| | श्री मधु लिमये | Shri Madhu Limaye | |
| | श्री हाथी | Shri Hathi | |
| | **हरियाणा राज्य के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत विषय** | Matter under Rule 377 Re. State of Haryana | 864-867 |
| | **सभा पटल पर रखे गये पत्र** | Papers Laid on the Table | 867-869 |
| | **राज्य सभा से सन्देश** | Message from Rajya Sabha | 870 |
| | **प्राक्कलन समिति** | Estimates Committee | 870 |

| विषय | UBJECT | पृष्ठ/PAGE |
|---|---|---|
| सोलहवाँ तथा सत्रहवाँ प्रतिवेदन | Sixteenth and Seventeenth Reports | 870 |
| **शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन तथा शिक्षा सम्बन्धी संसद् सदस्यों के प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव** | Motion Re: Reports of Education Commission and Report of Committee of Member of Parliament on Education | 870-873 |
| श्री प्रकाशवीर शास्त्री | Shri Prakash Vir Shastri | |
| डा० सुशीला नायर | Dr. Sushila Nayar | |
| **हरियाणा सम्बन्धी उद्घोषणा के बारे में प्रस्ताव तथा सांविधिक संकल्प** | Motion and Statutory Resolution Re Proclamation in Respect of Haryana | : 873-880 |
| श्री अटल बिहारी वाजपेयी | Shri Atal Bihari Vajpayee | |
| श्री यशवन्तराव चव्हाण | Shri Y. B. Chavan | |
| श्री रंगा | Shri Ranga | |
| श्री रणधीर सिंह | Shri Randhir Singh | |
| श्री राजाराम | Shri Rajaram | |
| श्रीमती सुचेता कृपालानी | Shrimati Sucheta Kripalani | |
| श्री स० मो० बनर्जी | Shri S. M. Banerjee | |
| श्री राम कृष्ण गुप्त | Shri Ram Kishan Gupta | |
| श्री राम सेवक यादव | Shri Ram Sewak Yadav | |
| श्री पें० वेंकटासुब्बया | Shri P. Venkata Subbaiah | |
| श्री पी० राममूर्ति | Shri P. Ramamurti | |
| श्री जी० भा० कृपालानी | Shri J. B. Kiripalani | |
| श्रीमती सुशीला रोहतगी | Shrimati Sushila Rohtagi | |
| श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी | Shri Surendranath Dwivedy | |
| श्रीमती शारदा मुकर्जी | Shrimati Sharda Mukerjee | |
| श्री तेन्नेटि विश्वनाथम | Shri Tenneti Viswanatham | |
| श्री बेदब्रत बरुआ | Shri Bedabrata Barua | |
| श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी | Shri Gulam Mohammad Bakshi | |
| श्री दलबीर सिंह | Shri Dalbir Singh | |
| श्री रघुबीर सिंह शास्त्री | Shri Raghubir Singh Shastri | |
| श्री यशपाल सिंह | Shri Yashpal Singh | |
| श्री शिवनारायण | Shri Sheo Narayan | |

# लोक-सभा
## LOK SABHA

मंगलवार, 21 नवम्बर, 1967/30 कार्तिक, 1889 (शक)
Tuesday, November 21, 1967/Kartika 30, 1889 (Saka)

---

· लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
*The Lok Sabha met at Eleven of the Clock*

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the chair*]

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

### सुपर बाजार, दिल्ली

+
*151. **श्री अब्राहम :** **श्री एस्थोस :**
**श्रीमती सुशीला गोपालन :** **श्री विश्वनाथ मेनन :**
**श्री ज्योतिर्मय बसु :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**
**श्री राम कृष्ण गुप्त :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली सुपर बाजार कर्मचारी संघ ने यह माँग की है कि सुपर बाजार के कार्य-संचालन का मार्गदर्शन करने के लिए उपभोक्ता समिति बनाई जाये;

(ख) क्या सरकार ने सुपर बाजार के कार्य-संचालन की जाँच कराई है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका क्या निष्कर्ष निकला है?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरपदस्वामी) :** (क) जी हाँ।

(ख) कोई विशिष्ट जाँच नहीं कराई गई है, किन्तु सुपर बाजार के कार्य-संचालन की प्रायः समय-समय पर समीक्षा की जाती रहती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री अब्राहम**: क्या सरकार ने दिल्ली सुपर बाजार कर्मचारी संघ द्वारा प्रकाशित की गई पुस्तिका देखी है जिसमें यह बताया गया है कि भाई-भतीजावाद, भ्रष्टाचार, घूसखोरी, बरबादी और व्यय संबंधी खातों में गड़बड़ी के कारण कुछ वस्तुओं के मूल्य बढ़े हैं; यदि हाँ, तो क्या सरकार इस मामले की जाँच कराने के लिये एक उच्चाधिकारी नियुक्त करने का विचार कर रही है?

**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी**: सुपर बाजार में 8,000 से 10,000 के करीब वस्तुयें बिकती हैं। कुछ ऐसी भी वस्तुयें हो सकती हैं जिनके उद्धरित मूल्य बाजार मूल्य से अधिक होते हैं। चन्द एक ऐसे मामले मेरे ध्यान में लाये गए हैं। वह सुपर बाजार में आठ अथवा दस वस्तुओं के मूल्य साथ की दुकानों में बिकने वाली वस्तुओं के मूल्य से कुछ अधिक होते हैं। परन्तु जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, हम प्रत्येक वस्तु की तुलना नहीं कर सकते। सुपर बाजार में बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं के मूल्य अन्य स्थानों के मूल्य से बहुत कम होते हैं। जहाँ तक माननीय सदस्य के उत्तरार्ध प्रश्न का सम्बन्ध है, मंत्रालय सुपर बाजार के कार्य-संचालन की समय-समय पर समीक्षा करता रहता है। हम रजिस्टरार और प्रबन्धकों के साथ इस बारे में बातचीत करते रहते हैं।

**श्री अब्राहम**: क्या संघ ने यह आरोप लगाया है कि वहाँ पर सप्लाई की जाने वाली वस्तुओं की किस्म में हाल में गिरावट आ गई है और यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने का है कि सुपर बाजार में अच्छी किस्म की वस्तुयें बिकें?

**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी**: सुपर बाजार में बेची जाने वाली वस्तुओं की किस्म अन्य स्थानों पर बेची जाने वाली वस्तुओं की किस्म से बहुत अच्छी होती है। यह मेरी अपनी राय नहीं है, यह तथ्य है। हम सुपर बाजार में अच्छी किस्म की वस्तुयें बेचने का प्रयत्न करते हैं तथा कुछ मामलों में जब हम ऐसा करते हैं तो ऐसी वस्तुओं के, जो बहुत कम होती हैं, मूल्य बाजार भाव से अधिक होने स्वाभाविक ही हैं। यही कारण है कि मैं कहता हूँ कि वहाँ पर अच्छी किस्म की वस्तुयें बेची जाती हैं।

**श्री ज्योतिर्मय बसु**: क्या मैं जान सकता हूँ कि वहाँ पर बेची जाने वाली वस्तुयें कैसे खरीदी जाती हैं? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूँ कि सारे वेतन बिल में प्रबन्धकों का बिल कितना होता है तथा आपने एक समय में एक प्रबन्धक को अधिक से अधिक कितनी वेतन वृद्धि दी है?

**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी**: जहाँ तक वस्त्रों आदि कुछ मदों का सम्बन्ध है हम निर्माताओं से सीधी बातचीत करते हैं तथा निर्माता लोग अपने उत्पादन का कुछ प्रतिशत भाग विभागीय भण्डारों के लिए पृथक रख लेते हैं। जहाँ तक अन्य मदों का सम्बन्ध है हम बाजारों में स्वयं जाते हैं और उचित समय में आवश्यक वस्तुओं को खरीदने का प्रयत्न करते हैं। जहाँ तक वेतन के सम्बन्ध में प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है हम प्रबन्ध तथा प्रशासन कर्मचारियों पर लगभग 27,000 रुपये खर्च कर रहे हैं। सारा बिल 2 लाख रुपए से अधिक होता है।

**श्री ज्योतिर्मय बसु**: प्रश्न के (ग) भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। प्रबन्ध वर्ग के किसी विशेष अधिकारी को एक समय अधिक से अधिक कितनी वेतन वृद्धि दी जाती है?

**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी**: प्रबन्ध संवर्ग के किसी खास अधिकारी को वेतन वृद्धि नहीं दी जाती है। वेतन का सारा प्रश्न 'इवकोन' नामक कम्पनी को निर्दिष्ट किया गया था। उस

कम्पनी ने कर्मचारियों के वेतन के सारे प्रश्न पर विचार किया है। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न संवर्गों के वेतन में संशोधन किया गया है। अतः हमने वेतन अथवा वेतन वृद्धि के मामले में कोई अपने आप निर्णय नहीं किया है।

**श्री रा० की० अमीन:** माननीय मंत्री ने कहा है कि हम इस मामले की समय-समय पर समीक्षा करते हैं। क्या मैं जान सकता हूँ कि समीक्षा किस प्रकार की जाती है? क्या मूल्यांकन किया जाता है और यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं?

**श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी** : मैं सदन को बता चुका कि मंत्रालय दिल्ली प्रशासन के रजिस्ट्रार और प्रबन्ध करने वाले अधिकारियों से समय-समय पर बातचीत करता रहता है। वे आपस में मिलकर बातचीत करते हैं जब उन्हें कोई निर्णय लेना होता है। इस प्रकार किए गए निर्णय को कार्य रूप देने का वे प्रयत्न कर रहे हैं।

**श्री उमानाथ:** सहकारी समिति अधिनियम में यह प्रबन्ध है कि खरीद समितियाँ बनाई जानी चाहिये तथा सहकारी भण्डारों की खरीद उन समितियों के माध्यम से की जानी चाहिये। जहाँ तक सुपर बाजारों का सम्बन्ध है मैं यह समझता हूँ कि खरीद समितियों की कोई व्यवस्था नहीं है तथा अधिकारी स्वयं खरीद करते हैं। यदि खरीद समितियाँ हों तो भी हम यह देखते हैं कि इन समितियों के सदस्य अवाँछनीय कार्यवाहियाँ करते हैं। जब यह काम किसी अधिकारी विशेष पर छोड़ दिया जाता है तो ऐसी कार्यवाहियाँ अधिक होना स्वाभाविक ही है। अतः मैं यह जानना चाहूँगा कि क्या सरकार का विचार सुपर बाजार जैसी बड़ी संस्थाओं के लिये खरीद समितियाँ बनाने का है अथवा वह प्रबन्ध समितियों में उपभोक्ता और कर्मचारियों के प्रतिनिधि शामिल करने का विचार कर रही है?

**श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी** : यह एक अच्छा सुझाव है जिसपर विचार किया जायेगा।

**Shri Ram Sewak Yadav** : The Hon'-Minister has told that good quality goods are sold at Super Bazars. May I know whether he is saying so on the basis of his own experience or on account of some other reason. Secondly, I would like to know whether it has been noticed while reviewing enquiry in the working of Super Bazars that they are running on loss or profit ? If they are running for profit how much profit is earned by them ?

**श्री उमानाथ:** मैं समझता हूँ कि यह भी अच्छा सुझाव है।

**श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी:** जहाँ तक प्रश्न के उत्तरार्द्ध भाग का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के सुपर बाजार को सहकारी वर्ष 1967 में 5 लाख 64 हजार रुपए का घाटा हुआ था। इसके कई कारण थे। मैं भी सुपर बाजार से वस्तुयें खरीदता हूँ।

**श्री पिलु मोडी:** शायद घाटे का यही कारण है।

**श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी** : हो सकता है कि चूंकि श्री मोदी वहाँ से वस्तुएँ नहीं खरीदते हैं इसलिए घाटा हो रहा है। मैं यह सुझाव दूंगा कि श्री मोदी समेत सभी सदस्यों को सुपर बाजार से वस्तुयें खरीदनी चाहिये। वहाँ अच्छी किस्म की वस्तुयें बेची जाती हैं। मैं यह मान सकता हूँ कि उनमें सुधार किया जा सकता है परन्तु सुपर बाजार में वस्तुयें बढ़िया किस्म की होती हैं।

**श्री राम सेवक यादव** : घाटा होने के क्या कारण हैं?

**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी** : यदि पृथक प्रश्न की सूचना दी जाये तो मैं उसका उत्तर दे सकता हूँ।

**केरल में लघु सिंचाई कार्यक्रम**

*152. **श्री श्रीधरन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया है कि उसे लघु सिंचाई सम्बन्धी एक जोरदार कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए 19 करोड़ रुपए की तदर्थ सहायता दी जाये; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**खाद्य तथा कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** :

(क) जी, हाँ।

(ख) लघु सिंचाई योजनाओं के लिये केरल सरकार ने जो 19 करोड़ रुपए की तदर्थ सहायता माँगी है वह चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये है। राज्य योजनाओं पर हर वर्ष विचार किया जाता है तथा प्रत्येक वर्ष के लिए पूंजी उस वर्ष के कार्यक्रम तथा उससे पूर्व वर्ष में किए गए काम के अनुसार दीजाती है।राज्य की आवश्यकता तथा क्षमता और केन्द्रीय संसाधनों को देखते हुए वर्ष-प्रति-वर्ष के आधार पर उचित धन दिया जायेगा।

लघु सिंचाई योजनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए कि उनसे कृषि उत्पादन शीघ्र बढ़ता है केरल समेत सभी राज्यों में कार्यक्रम को बढ़ाने के उद्देश्य से पहले ही प्रयत्न किए जा रहे हैं। केरल में लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 1961–62 में 88.64 लाख रुपयों 1962–63 में 111.00 लाख रुपयों और 1965–66 में 135 लाख रुपयों के स्थान पर 1966–67 में 230 लाख रुपए देने मंजूर किए गए थे। 1967–68 में राज्य सरकार को 220 लाख रुपए नियत किए गए हैं जो वर्तमान वित्तीय कठिनाइयों को देखते हुए अधिकतम हैं। इससे पता चलता है कि केरल राज्य को लघु सिंचाई योजनाओं के लिये धन का नियतन प्रत्येक वर्ष अधिक किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार लघु सिंचाई कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गैर-सरकारी क्षेत्र (भू-बन्धक बैंक, कृषि वित्त निगम तथा कृषि उद्योग निगम) की एजेंसियों के संसाधनों से भी धन ले सकती है। सभी राज्य सरकारों को इस व्यवस्था से लाभ उठाने के लिये कहा गया है। कृषि वित्त निगम लघु सिंचाई की क्षेत्र योजनाओं पर विचार करने को तैयार है तथा वह जून 1968 के अन्त तक मंजूर की गई योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकारों के अंशदान में 25 प्रतिशत से 10 प्रतिशत कम किए जाने से सहमत हो गया है।

**श्री श्रीधरन**: इस तदर्थ सहायता की माँग उस राज्य ने की है जिसकी उचित माँगों की भारत सरकार ने उपेक्षा की है और जिसके कारण उस राज्य को खाद्य संकट का सामना करना पड़ रहा है। सभा पटल पर रखे गए विवरण में भी इसका कुछ संकेत है। इस विवरण में 1963–64 और 1964–65 में केरल राज्य को छोटी सिंचाई के लिए दी गई सहायता का कोई उल्लेख नहीं है। इन तथ्यों को देखते हुए मैं यह जानना चाहता हूँ कि इन वर्षों में केरल को कोई सहायता दी गई है और यदि नहीं, तो क्या चौथी पंचवर्षीय योजना में यह सहायता दी जायेगी?

**श्री अन्ना साहिब शिन्दे**: छोटी सिंचाई के लिए दी गई सहायता के आँकड़े इस प्रकार हैं:–

| वर्ष | सहायता की राशि |
|---|---|
| 1961–62 | 88 लाख रुपए |
| 1962–63 | 111 लाख रुपए |
| 1963–64 | 149 लाख रुपए |
| 1964–65 | 169 लाख रुपए |
| 1965–66 | 135 लाख रुपए |
| 1966–67 | 230 लाख रुपए |

इससे पता चलता है कि छोटी सिंचाई के लिए नियत राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि की जा रही है। इस वर्ष के लिए कार्यकारी दल के छोटी सिंचाई दल ने 220 लाख रुपए नियत करने का अनुमान लगाया है। हो सकता है कि राज्य सरकार द्वारा और अधिक सिंचाई कार्यों के लिए माँग की गई हो किन्तु यदि हम गत वर्षों की प्रगति को देखें, तो यह पायेंगे कि छोटी सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत बहुत अच्छी प्रगति हुई है। विशेष रूप से सूखे के समय बिहार तथा अन्य राज्यों में इस सम्बन्ध में बहुत अच्छा कार्य हुआ है।

**श्री श्रीधरन**: मंत्री महोदय ने प्रगति के बारे में बताया है। यह तब की बात है जब केरल में कांग्रेस सरकार सत्तारूढ़ थी। राज्य सरकार ने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए 19 करोड़ रुपए की सहायता माँगी थी और यदि यह राशि राज्य सरकार को चार किश्तों में दी जाये तो उसे प्रतिवर्ष लगभग 4 करोड़ रुपए मिलेंगे। 1966–67 में 2,30,00,000 रुपए की सहायता दी गई थी और 1967–68 में 2,20,00,000 रुपए की सहायता दी जायेगी। केरल में खाद्य संकट को तथा राज्य सरकार द्वारा खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए की जा रही ठोस कार्यवाही को देखते हुए क्या सरकार 1967–68 के लिए नियतन बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है?

**श्री अन्ना साहिब शिन्दे**: यह नहीं समझना चाहिए कि हम केरल में छोटी सिंचाई कार्यक्रम के बारे में पर्याप्त कार्यवाही नहीं कर रहे हैं। वास्तव में आरम्भ में केरल सरकार ने केवल 8,20,00,000 रुपए के नियतन का अनुमान लगाया था किन्तु योजना आयोग तथा हमारे मंत्रालय ने इस राशि को बढ़ाकर 11 करोड़ रुपए करने का सुझाव दिया था। निस्संदेह अब केरल सरकार को भी यह राशि मान्य है। जहाँ तक केरल सरकार की 19 करोड़ रुपए की माँग का सम्बन्ध है, केवल एक राज्य के लिए यह राशि बहुत अधिक प्रतीत होती है। यद्यपि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में किए गए विचार-विमर्श के आधार पर देश भर की छोटी सिंचाई कार्यों के लिए हमें 25 करोड़ रुपए की और आवश्यकता थी किन्तु धन की कमी के कारण वित्त मंत्रालय को यह राशि देना बहुत कठिन था।

**श्री नायनार**: मंत्री महोदय को पता है कि केरल एक कमी वाला राज्य है। गत वर्ष सिंचाई मंत्री श्री कु० ल० राव ने सुझाव दिया था कि सिंचाई योजनाओं के लिए केरल को पर्याप्त सहायता दी जाये। इन छः परियोजनाओं से छः लाख एकड़ भूमि में सिंचाई होनी चाहिये और इन परियोजनाओं के लिए 30 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी। गत वर्ष मंत्री महोदय ने यह

स्पष्ट किया था कि वर्ष 1966-67 और 1967-68 की अवधि में हम यह राशि व्यय कर सकते हैं और हम केरल में पाँच टन और चावल आसानी से पैदा कर सकते हैं। क्या मंत्री महोदय इन सिंचाई योजनाओं पर विचार करेंगे और क्या सरकार इन योजनाओं के लिए सहायता देने के लिए तैयार है? ये योजनाएं चालू नहीं है। ये छोटी योजनाएं नहीं हैं।

**श्री अन्ना साहिब शिन्दे**: हम सभी राज्यों को अपने सिंचाई कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के अधिक से अधिक तथा अब तक से अधिक पैमाने पर सहायता देना चाहते हैं। जहाँ तक माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित परियोजनाओं का सम्बन्ध है, वे बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अन्तर्गत आती हैं। मेरे मंत्रालय के अन्तर्गत छोटी सिंचाई परियोजनाएं आती हैं।

**श्री लोबो प्रभू**: क्या माननीय सदस्य को पता है कि पड़ोसी राज्य मैसूर में बिजली लगवाने के लिए आवेदनपत्र पाँच वर्ष से अनिर्णीत पड़े हैं?

**अध्यक्ष महोदय**: यह प्रश्न केरल के बारे में है। आन्ध्र प्रदेश, मैसूर और महाराष्ट्र भी पड़ोसी राज्य हैं। उन सबके बारे में प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं। आप केरल के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं।

**श्री लोबो प्रभु**: दोनों का विषय एक ही है। मैं मैसूर के लिए भी थोड़ा धन चाहता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय**: जी, नहीं। आप पृथक प्रश्न पूछ सकते हैं।

**श्री लोबो प्रभु**: जब सरकार खाद्य उत्पादन बढ़ाने की बात कर रही है, तो वह इसके लिए 25 करोड़ रुपए क्यों नहीं देती?

**Shri Rabi Ray** : Keeping in view the demand of the Kerala for minor irrigation may I know when these schemes will be completed in order to irrigate the whole land ? Has your department carried out any study in this regard ?

**श्री अन्ना साहिब शिन्दे**: मुझे ज्ञात नहीं है कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया है अथवा नहीं। यदि राज्य सरकार इस बारे में कोई अध्ययन करे, तो उससे हमें इस समस्या को समझने में सहायता मिलेगी।

## खाद्यान्नों का वसूली मूल्य

*154. **श्री काशी नाथ पान्डेय** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने खाद्यान्नों के वसूली मूल्यों में किसी भी प्रकार की वृद्धि की जाने का विरोध किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : (क) योजना आयोग उपभोक्ता मूल्यों और समूची अर्थ-व्यवस्था पर सम्भावी प्रतिक्रिया के कारण खाद्यान्नों के अधिप्राप्ति मूल्य बहुत ऊँचे स्तर पर निर्धारित करने के विरुद्ध था।

(ख) योजना आयोग द्वारा व्यक्त विचारों को ध्यान में रखा गया था और योजना आयोग से परामर्श करने के बाद अधिप्राप्ति मूल्य निर्धारित किए गए थे।

**श्री काशी नाथ पान्डेय**: क्या खाद्यान्नों के वसूली मूल्य निर्धारित करते समय उत्पादन लागत को ध्यान में रखा जाता है?

**श्री अन्ना साहिब शिन्दे**: वसूली मूल्य निर्धारित करने के बारे में कोई निर्णय करने से पहले इस बात पर विचार करना आवश्यक है। हेम यह समझते हैं कि घोषित वसूली मूल्यों में प्रोत्साहन का तत्व भी रहे। अतः उत्पादन लागत भी अवश्य ध्यान में रखी जाती है। सरकार ने कृषि मूल्य आयोग द्वारा दी गई सलाह और विभिन्न कारणों के आधार पर निर्णय किया था तथा सरकार ने निर्णय करने से पहले मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में व्यक्त किए गए विचारों को भी ध्यान में रखा था।

**श्री काशीनाथ पान्डेय**: क्या गन्ने के मामले में भी यह सिद्धान्त लागू होता है?

**श्री अन्ना साहिब शिन्दे**: माननीय सदस्य इस प्रश्न के क्षेत्र से बाहर की बात कर रहे हैं। गन्ने के मूल्यों में भी पर्याप्त वृद्धि की गई है....

**अध्यक्ष महोदय**: यह प्रश्न खाद्यान्नों के बारे में है।

**श्री देवकीनन्दन पाटोदिया**: क्या राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा व्यक्त विचारों के अनुसार मूल्य कम निर्धारित किए गए हैं तथा क्या वसूली कार्यक्रम के असफल होने की आशंका है? एक ओर तो खाद्यान्न किसानों के पास पड़े रहते हैं और दूसरी ओर हमें खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप हमारी विदेशी मुद्रा व्यय होती है। क्या निर्धारित वसूली कार्यक्रम तथा कम वसूली मूल्य को देखते हुए सरकार 80 लाख टन के वसूली के कार्यक्रम को पूरी कर सकेगी?

**श्री अन्ना साहिब शिन्दे**: हम नहीं समझते कि कुछ राज्यों और केन्द्रीय सरकार के बीच मतभेद के कारण वसूली कार्यक्रम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में राज्य सरकारों की सलाह से केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित वसूली मूल्य राज्य सरकारों ने स्वीकार कर लिए हैं यद्यपि कुछ राज्यों में वसूली मूल्यों के बारे में विचार किया जा रहा है किन्तु अधिकांशतः इसके बारे में सहमत हैं।

**श्री रा० बरुआ**: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कुछ राज्य केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित वसूली मूल्यों के बारे में सहमत नहीं हैं, इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है और यह वसूली कार्यक्रम कब आरम्भ होगा?

**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम)**: यह कहना बिल्कुल गलत है कि अधिकतर राज्य सरकारें सहमत नहीं हैं। वास्तव में अधिकतर राज्य इस बारे में सहमत हैं। वसूली मूल्य उनकी सहमति से निर्धारित किए गए हैं। केवल कुछ राज्य, उन राज्यों में विशेष कठिन परिस्थितियों के कारण वसूली मूल्यों में कुछ वृद्धि चाहते हैं?

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी**: खाद्यान्न के मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं। अधिक मात्रा वाले राज्यों तथा कमी वाले राज्यों के भावों में अन्तर है। क्या सरकार ने सारे देश में राज्य सरकारों से बात-चीत करके वसूली के एक जैसे मूल्य करने के बारे में कोई प्रयत्न किया है?

**श्री जगजीवन राम**: मेरे विचार में स्वतंत्र अर्थ व्यवस्था में भी सारे देश में एक जैसे मूल्य होना संभव नहीं है। हमने राज्य सरकारों से बातचीत करके ही मूल्य निर्धारित किए हैं। उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाल के खाद्यान्न के भावों में अन्तर है क्योंकि बंगाल में भाव अधिक हैं। इस कारण वहाँ तस्कर व्यापार होता है परन्तु उड़ीसा सरकार इसे रोकने का प्रयत्न कर रही है।

**श्री पें० वेंकटासुब्बया**: सरकार ने योजना आयोग से परामर्श करके वसूली के मूल्य निर्धारित किए हैं उससे मैं सहमत नहीं हूँ। सरकार ने दो प्रकार के स्तर अपनाये हैं और इस प्रकार अधिक अन्न वाले राज्यों के कृषकों को घाटा उठाना पड़ता है तथा कमी वाले राज्यों के कृषकों को लाभ पहुँचता है। इन बातों को देखते हुए क्या सरकार एक ही प्रकार के मूल्य निर्धारित करेगी ताकि जो कृषक अधिक उत्पन्न करते हैं उन्हें घाटा नहीं रहे?

**श्री जगजीवन राम**: हम मूल्य निर्धारित करते समय राज्य सरकारों से परामर्श कर लेते हैं। राज्य सरकारों को वसूली करनी होती है इसलिए वे इन प्रश्नों पर अच्छी प्रकार से विचार करते हैं। कमी वाले राज्यों में अधिक अन्न वाले राज्यों से मूल्य कुछ अधिक होते हैं। मेरे विचार में शीघ्र ही सारे देश में एक जैसे मूल्य होने संभव नहीं हैं।

**श्री तेन्नेटि विश्वनाथन** : कमी तथा अधिक अन्न वाले राज्यों में मूल्य निर्धारित करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है और क्या कारण है कि अधिक अन्न वाले राज्यों में मूल्य कुछ कम रखे हैं? अब अन्तर लगभग 10 रुपए या लगभग 25% है।

**श्री जगजीवन राम**: मैं सदस्य महोदय का ध्यान कृषि मूल्य आयोग के प्रतिवेदन की ओर दिलाना चाहता हूँ कि उसमें देख लें।

**Shri Baswant** : Most of the work done is on paper only and the loan given to the farmers for production is not in fact given. Will the minister reply to it ?

**Shri Jagjiwan Ram** : Most of the work which we do ever in Parliament is done on paper.

**Shri Bhogendra Jha** : The prices of foodgrains at the time of harvest are lesser but after two to six months they rise. In order to curb this tendency has Government considered but the fact that they should buy grain from the open market so that Government may get more foodgrains and the blackmarket may also not be there ?

**श्री अन्ना साहिब शिन्दे**: हमारे लिये खुले बाजार में अन्न खरीदना ठीक नहीं है। हम उन्हीं मूल्यों पर खरीदेंगे जिनकी हमने घोषणा कर दी है। हमें उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखना चाहिये।

**श्री चेंगलराया नायडू**: क्या मंत्री महोदय यह चाहते हैं कि अधिक अन्न वाले राज्य भी कमी वाले राज्य हो जावें क्योंकि यदि मूल्य नहीं बढ़ाये तो कृषक वाणिज्यिक फसल उगाना आरम्भ कर देंगे और आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्य भी कमी वाले राज्य बन जायेंगे?

**श्री अन्ना साहिब शिन्दे**: मूल्य हम राज्य सरकारों के परामर्श से निर्धारित करते हैं। मूल्यों में भिन्नता तो होगी ही क्योंकि फाल्तू अन्न वाले राज्यों से कमी वाले राज्यों को ले जाने का किराया भी तो उसमें शामिल किया जायेगा।

**श्री चेंगल राया नायडू** : प्रत्येक राज्य में उत्पादन लागत समान है।

**श्री कृष्णमूर्ति**: भारत सरकार ने धान की वसूली के मूल्य निर्धारित किए हैं और मद्रास सरकार उसका पालन कर रही है परन्तु कांग्रेस के प्रधान मद्रास में कृषकों को मद्रास सरकार के विरुद्ध भड़का रहे हैं कि उन्होंने धान के मूल्य कम रखे हैं। खाद्य मंत्री का इसके बारे में क्या विचार है?

**श्री अन्ना साहिब शिन्दे**: मेरे विचार में मद्रास सरकार ने उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं के हितों का ध्यान रखते हुए जो वसूली के मूल्य निर्धारित किए हैं, वे उचित हैं और हम उनसे सहमत हैं।

**श्री कृष्णमूर्ति**: महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि काँग्रेस प्रधान के बारे में वे क्या कहते हैं?

**अध्यक्ष महोदय**: मंत्री महोदय, काँग्रेस अध्यक्ष के बारे में कैसे उत्तर दे सकते हैं?

**श्री नाथपाई**: महोदय, आप काँग्रेस के अनुभवशील तथा भूतपूर्व प्रधान होने के नाते कुछ परामर्श दे सकते थे।

मंत्री महोदय ने प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा है कि उन्हें उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखना पड़ता है। हम उपभोक्ताओं के प्रति उनकी सहानुभूति देखते हुए बहुत प्रसन्न हैं।

क्या सरकार यह अनुभव करती है कि खाद्यान्न की वसूली के बारे में वर्तमान नीति तथा भ्रान्त विचार से कृषकों को अधिक उपज करने के लिए नहीं बल्कि खाद्यान्न सीधे चोर बाजार में भेजने का प्रोत्साहन मिलता है। क्या आप अनुभव करते हैं कि यदि हम प्रो० खुसरो के विचारों के अनुसार मण्डियों में जबर्दस्ती खरीद नहीं करेंगे तो फालतू अन्न वाले राज्य शीघ्र ही कमी वाले राज्य बन जायेंगे। इसलिए क्या सरकार इस बारे में पुनर्विचार करेगी?

**श्री जगजीवन राम**: मैं इस बात के लिये सहमत नहीं हूँ कि यह मूल्य प्रोत्साहन मूल्य नहीं है। यह हिसाब लगाया गया है कि यह मूल्य प्रोत्साहन मूल्य है। दूसरे, विभिन्न राज्यों में वसूली का कार्यक्रम बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है और महाराष्ट्र में एकाधिकार द्वारा क्रय तथा वसूली का तरीका बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है।

**श्री नाथपाई**: महाराष्ट्र में वसूली के कार्यक्रम से जिन लोगों को हानि हो रही है, आप उनसे क्यों नहीं पूछते कि इससे किसको लाभ हो रहा है?

**श्री जगजीवन राम**: कई बार उपज करने वालों से परामर्श करना पड़ता है और मेरे विचार में वहाँ उपज करने वालों ने इसका अधिकाँशतः स्वागत किया है।

वसूली का मूल्य निर्धारित करते समय हमें यह ध्यान करना होता है कि कृषकों को उचित मूल्य मिले तथा उसके साथ अधिकांश उपभोक्ता उसे खरीद सकें। जहाँ तक खुले बाजार में खरीद का सम्बन्ध है, दो वर्ष सूखा रहने के बाद जो बाजार मूल्य हैं वे साधारण बाजार मूल्य नहीं हैं और वे मूल्य कमी की परिस्थिति के कारण हैं और यदि हमें विद्यमान बाजार मूल्यों तथा वसूली के मूल्यों में अन्तर को कम करना है तो बहुत बड़ी मात्रा में वसूली करनी होगी ताकि उसका बाजार मूल्यों पर प्रभावी प्रभाव हो सके। हम यही करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

**श्री पीलू मोदी**: क्या आप यह कह रहे हैं कि मूल्य कम हो रहे हैं?

**श्री जगजीवन राम**: जी हाँ, मूल्य कम हो रहे हैं।

**Shri Sheo Narain.** It is the general impression that the price at which the Government procures the foodgrains, does not prevail throughout the year. I would like the Government to give assurance that the consumer will not have to pay more that 25 percent above the procurement price.

**श्री अन्ना साहिब शिन्दे**: अन्तर 25 प्रतिशत भी नहीं होता है। वास्तव में आशा करते हैं कि खाद्य निगम तथा गैर सरकारी क्षेत्र 9 से 10 प्रतिशत के बीच लाभ लें।

**श्री शिव नारायण**: परन्तु आपका खाद्य निगम पर कोई नियंत्रण नहीं है।

**Shri Kanwarlal Gupta** : I would like to know the names of States which have pleaded for the enhancement of procurement price ? It is possible that the prices may fall

owing to excess produce. In such a case will the Government assure the farmers that even in that case Government will procure at the procurement price.

**Shri Jagjiwan Ram** : We have settled the prices by mutual negotiations in Maharashtra, Gujarat, Andhra, Madras and Mysore. There was a difference of opinion in the case of Punjab and Haryana which has been settled. Bihar wanted more since there was a state of scarcity in that State. Whatever Madhya Pradesh wanted, has been agreed to. I have decided that if there is a slight doubt that due to bumper crop the market price is less than the support price, we will make procurement on procurement price and not on support price.

**अध्यक्ष महोदय**: प्रश्न संख्या 155 के साथ ही प्रश्न संख्या 175 को भी ले लिया जाये।

**Co-operative Farming**

*155. **Shri Sharda Nand :** **Shri N. S. Sharma:**

**Shri A. B. Vajpayee :** **Shri O. P. Tyagi:**

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the acreage of land under co-operative farming in the country at present ;

(b) whether it is a fact that a common farmer is not inclined towards co-operative farming even now ;

(c) whether Government propose to reduce expenditure on co-operative farming ; and

(d) if so, the steps being taken in this direction ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी**: (क) अनुमान है कि लगभग 11 लाख एकड़ भूमि में सहकारी खेती होती है;

(ख) जी नहीं; हर क्षेत्र में भिन्न-भिन्न प्रतिक्रिया है;

(ग) जी नहीं; परिव्यय वास्तविक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है;

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

**Co-operative Farming**

*175. **Shri N. S. Sharma** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government have decided to allot land in some States to the Co-operative Societies for co-operative farming ;

(b) if so, the names of the States where such land is being allotted ; and

(c) the facilities provided by Government to such allottees ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी)**: (क) जी हाँ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश, असम, गुजरात, बिहार, जम्मू तथा काश्मीर, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, मैसूर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल।

(ग) सहकारी खेती समितियों को सहकारी खेती कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता और तकनीकी मार्गदर्शन दिया जाता है। आवंटियों को भूमिहीन कृषि मजदूरों के पुनर्वासन की केन्द्र

द्वारा चलाई गई योजना के अन्तर्गत भूमि सुधार और पुनर्वासन के लिए भी वित्तीय सहायता मिलती है ।

**Shri Sharda Nand** : Will the Hon. Minister be pleased to state the names of places where the co-opertive farming was experiemented first and it is working successfully at those places ?

**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी** : उसकी सूची लम्बी है। विभिन्न राज्य सरकारों ने अग्रिम परियोजनायें आरम्भ की थीं और जून के अन्त तक लगभग 7720 सहकारी कृषि समितियाँ कार्य कर रही थीं। पूरी सूची देनी बहुत कठिन है।

**Shri Sharda Nand** : My question related to the places where co-operative farming was first experimented and whether it has proved successful ?

**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी** : मैं यह नहीं कहता कि वह असफल रही हैं। यदि माननीय सदस्य एक अन्य प्रश्न की सूची दें तो मैं सभी समितियों की सूची देने को तैयार हूँ।

**Shri Sharda Nand** : Whether Government will consider to give up this experiment since the agriculturists are not in favour of co-operative farming ?

**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी** : मैंने यह नहीं कहा कि कृषक यह सहकारी कृषि समितियाँ नहीं चाहते हैं। उन समितियों पर लगभग 730 लाख रुपए व्यय किए गए हैं। इस वर्ष इन सहकारी समितियों के लिये लगभग 70 लाख रुपए नियत किए गए हैं।

**Shri N. S. Sharma** : According to the Hon. Minister 11 lakh acres of land is under Co-operative cultivation and there are about 7500 co-operative Societies. I would like to know the name of the State where cultivation is carried on mostly through co-operative farming and the names of one or two Co-operative Societies in which the cultivators are completely satisfied and the Societies are giving profit ?

**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी** : महाराष्ट्र ने सहकारी कृषि आन्दोलन के सम्बन्ध में बहुत अच्छा कार्य किया है। कुछ राज्यों के कुछ जिलों में जैसे महाराष्ट्र में धूलिया, उड़ीसा में सम्बलपुर, गुजरात में भावनगर तथा पंजाब में जलंधर जिले ने बहुत अच्छा कार्य किया है।

**Shri Atal Bihari Vajpajee** : If you want to increase agricultural production you will have to increase per acre production. I would like to know whether the Central Government has made any comparative study whether per acre production has increased more in the land under cultivation by the Government or the land cultivated on co-operative basis. I would also like to know whether the report of such a study will be laid on the Table of the House ?

**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी** : हमने कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया है, परन्तु हमारे अधिकारी सहकारी समितियों में उपज सम्बन्धी आँकड़े प्राप्त करते हैं। उन आँकड़ों से पता लगता है कि कुछ सहकारी समितियों में उत्पादिकता तथा उपज अन्य क्षेत्रों में उत्पादिकता तथा उपज से अधिक है।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** : The report, on the basis of which the Hon. Minister is making this statement, should be laid on the Table of the House. If it is a report by the officials, the House should be informed about it and if it is any other report, we should be told about it.

**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी** : मैंने कहा है कि अभी तक कोई औपचारिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है परन्तु इस बात के संकेत हैं कि इन सहकारी कृषि समितियों में उत्पादन किसी प्रकार भी अन्य क्षेत्र से कम नहीं है।

**श्री सरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मंत्री महोदय ने उत्तर बदल दिया है।

**श्री एम० एस० गुरुपस्वामी**: मैंने उत्तर नहीं बदला है।

**श्री रंगा** : यह किस आधार पर कहा गया है ?

**Shri O. P. Tyagi** : The hon. Minister has told that out of about 7500 Co-operative societies operating in 7,50,000 villages only two or three have been successful. Is it not due to the fact that a majority of the Central and State Ministers oppose this scheme ? If the coperative farming is not proving successful, why lakhs of rupees are being spent on it ?

**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी**: मैं यह नहीं मानता कि यह आन्दोलन असफल हो रहा है। यह सच है कि जून के अन्त तक हमने 7720 समितियाँ बनाई हैं और उनमें केवल 730 लाख रुपये लगाये हैं। फिर भी इस सम्बन्ध में विकास की बहुत गुंजाइश है। इस वर्ष राज्य सरकारों ने इस प्रयोजन के लिये कम राशि रखी है अर्थात् केवल 70 लाख रुपये रखे हैं। मेरा विचार है कि गैर सरकारी लोगों विशेषतया सहकारी नेताओं के सहयोग से इस सम्बन्ध में बहुत प्रगति होगी। मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि केन्द्र तथा राज्यों के मंत्री अधिकांशतः इसके विरुद्ध हैं।

**Shri O. P. Tyagi** : The Chief Minister of Uttar Pradesh is against it.

**अध्यक्ष महोदय** : कोई नाम नहीं लिये जा सकते। उन्होंने कहा है कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है।

**Shri Randhir Singh** : The Co-operative farming for the agriculturists is like a red rag to bull and the sooner it is given up, the more incentive it will give to the farmers. If instead of hollow slogans and wasting money like this, the agriculturists are given incentives and good seeds, good manures and other facilities are provided to them, they will increase the production of foodgrains manyfold. By such a scheme the agriculturist will advance. The slogan of co-operative farming should not be raised time and again.

**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी**: इस आंदोलन की सफलता लोगों पर निर्भर करती है। जहाँ तक सरकार का सम्बन्ध है, हम सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देते हैं। निश्चय ही यह एक गैर-सरकारी आंदोलन है। यदि कृषक ऐसी समिति बनाना चाहें तो उनकी सहायता के लिये एक योजना बनाई गई है। इस योजना के अन्तर्गत कृषकों को तकनीकी तथा वित्तीय सहायता मिल सकती है। हम सहकारी कृषि के महत्व को मानते हैं और उसके लिये गैर-सरकारी तत्वों, विशेष रूप से सहकारी नेताओं के सहयोग की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ कि अभी आरम्भ ही हुआ है और हमने इस मामले में अधिक प्रगति नहीं की है। इसमें प्रगति करने के लिये सभी गैर-सरकारी तत्वों, जिनका सहकारी खेती में विश्वास हो, के सहयोग की आवश्यकता है।

**Shri Madhu Limaye** : The hon. Minister just now stated that co-operative farming is done in 11 lakh acres of land whereas, the total land under agriculture in India is 31-32 crore acres, which proves that it is negligible. This toy of co-operative farming was given seven or eight years at Nagpur and the toy of socialism was given at Avadi. Now they are giving the slogan of social control of the banks. Will the Hon-Minister seriously consider, what is the use of such slogans? The programmes should be decided after due deliberations. Otherwise, the position will be as it is now i.e., the target was fixed for 32 crores of co-operative farming but so far it could be introduced only in 11 lakh acres.

**Shri Jagjiwan Ram** : I have least hesitation to admit that the progress of co-operative farming is not satisfactory but it should also be admitted that co-operative movement is a voluntary movement. It is wrong to compel for its introduction through government machinery. The Government gives incentive but the people should be willing to accept it.

Where incentive is given without people being willing to accept it, it becomes an artificial co-operation. I would, therefore, say that it cannot be done by a particular party alone. Unless those who believe in co-operative farming, to whichever party they belong, do not participate with full incentive, its success will not be possible with Government incentives alone.

**Shri Madhu Limaye** : I would like to know, the reasons of failure ?

**Shri Jagjiwan Ram.** There are many reasons for the same. The feeling of sanctity of private property has also contributed much to it and until we overcome it, the hinderance to co-operative farming will continue.

**Shrimati Sushila Rohatgi** : Did the Government not consider all those aspects before launching such a huge co-operative movement ? If so, they must have thought that co-operation of the public is necessary for this purpose. I would like to know whether in view of all these things the government would consider to make it a real and not an artificial movement.

**Shri Jagjiwan Ram** : If the people with incentive like the Hon. Member participate in this programme I feel we can be successful in our goal.

**Shri Gulam Mohammad Bakshi** : The co-operative farming was introduced with the purpose of making them model farms, to make the farmers learn how to grow the seeds and also to provide better seeds in order to increase per acre yield. I would, therefore, like to know the yield in any co-operative farm and how many of them distribute the seeds. Money is being spent on them but it should be ascertained how much increase there has been in production through those model farms and what is the per acre yield of Suratgarh Farm ?

**श्री जगजीवन राम** : सूरतगढ़ फार्म सहकारी फार्म नहीं है।

**Shri Madhu Limaye** : What happened to the Question of Bakhshi Gulam Mohammed ?

**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी** : विभिन्न फार्मों के सम्बन्ध में आँकड़े इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। यह ठीक है कि सहकारी कृषि आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य छोटे कृषकों की सहकारिता द्वारा मिलाना था ताकि वे इन क्षेत्रों में अधिक उपज करने के लिये अधिक योग्यता प्राप्त कर सकें तथा अच्छे तरीकों की जानकारी प्राप्त कर सकें। अब प्रश्न यह है कि क्या सहकारी आन्दोलन स्वेच्छा के आधार पर चलेगा। माननीय मंत्री पहले ही उत्तर दे चुके हैं कि यह स्वेच्छा पर आधारित आन्दोलन है। उन्होंने यह भी कहा है कि इस आंदोलन को गम्भीरतापूर्वक चलाना गैर-सरकारी तत्वों, विशेषतया सहकारी आंदोलन के सदस्यों पर निर्भर है। सरकार केवल उनकी सहायता करेगी।

**श्री रंगा** : यदि लोग नहीं चाहते, तो आप इस पर क्यों आग्रह करते हैं ?

**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी** : हम इस समूचे आन्दोलन को सरकारी आधार पर नहीं चला सकते।

**श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या यह सच है कि सरकार उन समितियों को पर्याप्त सहायता नहीं दे रही है जो निजी भूमि के लिये बनाई गई हैं और सरकारी भूमि तथा मन्दिरों की भूमि लेकर बनाई गई समितियों को बहुत धन दिया जाता है। यदि नहीं, तो इन दोनों प्रकार की समितियों को पृथक्-पृथक्, कितना धन दिया गया है ?

**श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी** : सहायता के लिये बनाई गई योजना विभिन्न-समितियों के लिये भिन्न नहीं है। योजना के अनुसार तकनीकी तथा वित्तीय सहायता दी जाती है। सभी सिद्धान्त निर्धारित किये गये हैं। इसलिये इस सम्बन्ध में भेदभाव का कोई प्रश्न नहीं है। जब राज्य सरकारों द्वारा सरकारी भूमि देने का प्रश्न होता है, हम सामान्यतः सहकारी

समितियों को प्राथमिकता देते हैं। हम सरकारी भूमि के साथ सहकारी समितियाँ बनाने के प्रोत्साहन देते हैं और इस योजना के अन्तर्गत सहायता भी ऐसी समितियों को उपलब्ध होगी।

**दिल्ली के लिये टेलीफोन सलाहकार समिति**

**अ०सू०प्र० 1. श्री कंवर लाल गुप्त :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा दिल्ली के लिये गठित की गई टेलीफोन सलाहकार समिति में दो को छोड़कर शेष सभी सदस्य कांग्रेस दल के हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पिछले सब वर्षों की प्रक्रिया के अनुसार उस समिति में दिल्ली नगर निगम को प्रतिनिधित्व न दिये जाने के क्या कारण हैं?

**संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० रामसुभग सिंह)** (क) से (ग) : टेलीफोन सलाहकार समितियां दलों के आधार पर नहीं बनाई जातीं। इन समितियों में सरकार द्वारा नामजद व्यक्ति और कुछ महत्व पूर्ण संस्थाओं के प्रतिनिधि होते हैं। कुछ अन्य हितों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों की एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है:

**दिल्ली टेलीफोन सलाहकार समिति 1967—गठन**

| | |
|---|---|
| 1. अध्यक्ष | जनरल मैनेजर टेलीफोन, दिल्ली |
| 2. सचिव | दिल्ली टेलीफोन विभाग का एक अधिकारी |
| 3. दिल्ली प्रशासन का कर्मचारी | विशेष सचिव, कार्यकारी, परिषद, |
| 4. सदस्य, महानगर परिषद | 1. श्री ओम प्रकाश बहल |
| | 2. ठाकुर ओंकार सिंह |
| 5. संसद सदस्य | श्री हरदयाल देवगुण |
| 6. चिकित्सा व्यवसाय | 1. डा० दीवान हरीश चन्द |
| | 2. डा० दलजीत सिंह |
| 7. वाणिज्य तथा व्यापार | 1. श्री गोविन्दराम हस्सा राम (न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसियेशन) |
| | 2. श्री महेश्वर दयाल (युनाइटेड चेम्बर आफ ट्रेड एसोसिएशन) |
| 8. शरणार्थी | एस० त्रिलोचन सिंह, |
| 9. प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता | 1. एस० संतोख सिंह, संसद-सदस्य |
| | 2. श्रीमती दुर्गा देउलकर. |
| | 3. मीर मुश्ताक अहमद, |

| | |
|---|---|
| | 4. भाई मोहन सिंह, |
| | 5. डा० करतार सिंह, |
| | 9. श्री सोनी राम, |
| 10. समाचारपत्र | 1. श्री रणवीरसिंह |
| | 2. श्री कुलदीप नय्यर |
| | 3. श्री के० सब्बरवाल |
| 11. विधि व्यवसाय | श्री गजानन्द |
| 12. फरीदाबाद | प्रेजीडेंट इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, फरीदाबाद |
| 13. गाजियाबाद | प्रेसीडेंट, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, गाजियाबाद |
| 14. वे हित जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है | 1. श्री ब्रज भूषण शरण, |
| | 2. श्री मदन लाल, |
| | 3. एस० पूरन सिंह सेठी, |
| | 4. श्री मेहताब चन्द्र, |
| | 5. श्री साँई दास लाम्बा । |

**Shri Kanwar Lal Gupta** : Mr. Speaker, the hon. Minister has stated that this Committee was not constituted on the basis of political parties. He stated that certain interests have been represented on it and certain prominent citizens have been nominated to it. The prominent people who have been nominated are (1) Sardar Santokh Singh M. P., (2) Shrimati Durga Deolkar (3) Mir Musthaq Ahmed (4) Bhai Mohan Singh (5) Dr. Kartar Singh and (6) Shri Soni Ram. They have called them as prominent citizens but many of them are people who were defeated in the elections such as Mir Mustaq Ahmed. So far as Delhi is concerned now instead of Congress you will find Jan Singh in power in Corporation and in the Metropolitan council and to the Lok Sabha also out of 7 seats six belong to Jan Sangh. But all the people nominated belong to Congress Party. Trade and commerce has been represented by two persons and the press has a representation of three persons. I want to know why Congressmen have been taken in the Committee when they have been defeated in the elections by the people ?

**Dr. Ram Subhag Singh:** The allegations made by the hon. member are not correct. From the trade and commerce side we have taken Shri Govind Ram Hase Ram and Shri Maheshwar Dayal who are not Congressmen. Similarly Shrimati Durga Deolkar is a social worker and not Congressman . The two names we received from the chief Executive Councillor and we have nominated them too. Again we have nominated Shri Hardayal Deogun who belongs to Jan Sangh. But I must emphasise that we are not going to surrender our rights. The allegations are not correct.

**Shri Kanwar Lal Gupta:** Sir, the persons which he chose from the trade and commerce are those who belong to Congress. He has not taken anybody from the Harijans. Will the Minister tell us whether he is going to do something that the Chairman of the Committee would be non-official ?

**Dr. Ram Subhag Singh:** We have Dhani Ram from the Harijans. We can appoint the Hon. Member also to the District Advisory Committee. For Chairmanship we should take only a technically qualified person.

**Shri Shrichand Goel** : The persons nominated to the Chandigarh Telephone Advisory Committee are those who were nominated before the elections took place.

**अध्यक्ष महोदय**: यदि चंडीगढ़ के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी तो प्रत्येक नगर के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति देनी पड़ेगी।

**श्री स० कुण्डू**: महोदय, यह आरोप लगे हैं कि इन समितियों द्वारा कांग्रेस कुछ लोगों को संरक्षण प्रदान करती है तथा सरकार ने कोई ठीक नीति अभी तक इस दिशा में अपनाई नहीं है। उदाहरण के रूप में इन समितियों में डाक्टरों तथा वकीलों का प्रतिनिधित्व नहीं है। कटक में 700 वकीलों में से किसी के पास भी टेलीफोन नहीं है और व्यापारियों के पास कई-कई टेलीफोन हैं। क्या सरकार इन समितियों में अधिक लोगों को प्रतिनिधित्व देगी जिससे सारी संस्थाओं को प्रतिनिधित्व मिल सके ?

**डा० राम सुभग सिंह** : अब हम सब व्यवसायों को प्रतिनिधित्व देंगे। दिल्ली में जो समिति बनाई है उसमें तो डाक्टरों, वकीलों, समाचारपत्र वालों ने ही यह समिति गठित की है। टेलीफोन के देने के बारे में मैं पता करूँगा और उन्हें सूचित कर दूँगा।

**Shri Manubhai Patel** : I want to know whether the names received from the Metropolitan Council contained only Jan Sangh people ?

**Dr. Ram Subhag Sinhg**: We do not nominate them on party basis.

**Shri Prakash Vir Shastri**: Does Delhi zone consist of Delhi and Faridabad only and you keep representatives from Delhi and Faridabad alone ? If not, why you have not given any representation to people of Ghaziabad and Sahibabad ?

**Dr. Ram Subhag Singh**: We have included the President of the Industries Association of Ghaziabad in it.

**Shri Yajna Datt Sharma** : Do you have any representative from the Corporation too? Why it is that no telephone has so far been installed at the residence of Shri Balraj Madhok ?

**Dr. Ram Subhag Singh.** I will inquire as to why no telephone has been installed at the residence of Shri Balraj Madhok. We take only Delhi Metropolitan Counil as the representative of Delhi. It would become very difficult if we include the Corporations and the Municipal Committees too.

**Shri Sheo Narain** : Will you include members of Parliament also in the Advisory Committee as they all are now residing in Delhi ?

**Dr. Ram Subhag Singh** : We have Shri Hardayal Deogun in it who is a member of Parliament and whose name was sent to us by the Metropolition Council of Delhi.

---

# प्रश्नों के लिखित उत्तर

## WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

### उर्वरक खरीदने के लिए राज्यों की सहायता

153. **डा० रानेन सेन**: क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्यों को पहले 100 प्रतिशत ऋण के आधार पर उर्वरक दिए जाते थे तथा उर्वरक का स्टाक उतारे जाने के 18 महीनों बाद ऋण की अदायगी ली जाती थी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में राज्यों से कहा है कि उन्हें दिये गये उर्वरकों का 50 प्रतिशत भाग नगद दें तथा बकाया राशि उर्वरकों का स्टाक उठाये जाने के बाद 6 महीनों में दिया जाये; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या यह नई प्रणाली राज्यों से परामर्श करके तथा उनकी सहमति प्राप्त करके अपनाई गई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे) :**

**विवरण**

(क) 1966-67 से पहले जरूरतमन्द राज्यों को, उनको सप्लाई किये गये उर्वरकों के मूल्य के 100 प्रतिशत तक अल्पकालीन ऋण दिये गये थे। ये ऋण 18 महीनों के भीतर दिये जाने थे तथापि, केन्द्रीय उर्वरक पूल उर्वरकों की सप्लाई के शीघ्र पश्चात् उनका मूल्य वसूल कर लिया करता था।

(ख) केन्द्रीय पूल से सप्लाई किये गये उर्वरकों के मूल्य के भुगतान की तिथि अब 60 दिन के लिये स्थगित कर दी गई है। उर्वरकों के लिये राज्य से इकट्ठे किये गये ऋण के 50 प्रतिशत तक जरूरतमन्द राज्यों को अल्पकालीन ऋण मंजूर किये जाते हैं।ये ऋण 6 महीने के भीतर ही चुकाये जाने होते हैं।

(ग) जी, नहीं। उर्वरक समिति की सिफारिश के अनुसार नया तरीका 1 अप्रैल, 1966 लागू किया गया है।

**रोजगार दिलाऊ दफ्तर (रिक्त पदों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम**

*156. **श्री धीरेश्वर कलिता:** **श्री कं० हाल्दर:**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने रोजगार दिलाऊ दफ्तर (रिक्त पदों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 में संशोधन करने का सुझाव दिया है, जिससे सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्र के नियोजकों के लिये यह अनिवार्य हो जाये कि वे केवल रोजगार दिलाऊ दफ्तरों के माध्यम से ही सभी कर्मचारी भरती करें, और,

(ख) यदि हाँ तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी)** : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने सुझाव दिया है कि निजी क्षेत्र में संस्थापनों द्वारा, अधिसूच्य रिक्त स्थानों में से एक निश्चित भाग--लगभग 50 प्रतिशत--की पूर्ति, अनिवार्य रूप से, नियोजन कार्यालयों द्वारा की जानी चाहिये।

(ख) भारत सरकार, नियोजन कार्यालय (रिक्त स्थानों की अनिवार्य सूचना) अधिनियम, 1959 में संशोधन करने का कोई इरादा नहीं रखती।

**गुजरात में धान का समाहार**

*157. **श्री वीरेन्द्र कुमार शाह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने गुजरात राज्य के किसानों से अनिवार्य रूप से धान का समाहार करने के आदेश के बारे में अपनी सहमति दे दी है;

(ख) गुजरात राज्य में धान का समाहार अनिवार्य कर देने के क्या कारण हैं, और

(ग) अन्य कितने राज्यों ने इस प्रकार धान का समाहार अनिवार्य किया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी हाँ।

(ख) प्रत्येक राज्य में जो अधिप्राप्ति का तरीका अपनाया जाना है उस के बारे में सम्बन्धित राज्य सरकार निर्णय करेगी। गुजरात सरकार ने यह निर्णय किया है कि अधिक से अधिक अधिप्राप्ति करने के हित में उत्पादक पर लेवी की प्रणाली वाला तरीका अपनाना आवश्यक था। यह अधिप्राप्ति का अत्यधिक विश्वसनीय तरीका है।

(ग) गुजरात के अलावा आन्ध्र प्रदेश, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, मैसूर और पश्चिमी बंगाल राज्यों में धान के उत्पादकों पर लेवी अधिप्राप्ति लागू है।

**बैंक उद्योग सम्बन्धी औद्योगिक समिति**

*158. **श्री गणेश घोष:** **श्री प० गोपालन:**
**श्री ज्योतिर्मय वसु:** **श्री सत्य नारायण सिंह:**
**श्री अ० क० गोपालन:**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैंक उद्योग सम्बन्धी औद्योगिक समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उस समिति के सदस्य कौन-कौन होंगे; और

(ग) उक्त समिति की पहली बैठक कब होने की सम्भावना है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी)** : (क) **और (ख)** : यह मामला विचाराधीन है।

(ग) इस समय प्रश्न नहीं उठता।

**राष्टीय श्रम आयोग**

*159. **श्री ईश्वर रेड्डी:** **श्री यज्ञदत्त शर्मा:**
**श्री चंगलराया नायडू:** **श्री ज्योतिर्मय बसु:**
**श्री विश्वनाथ मेनन:** **श्री चक्रपाणि:**
**श्री प० गोपालन:**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय श्रम आयोग के कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या कोई अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए आयोग को कहा गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो अन्तरिम प्रतिवेदन कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

**श्रम तथा पुमर्वास मंत्री (श्री हाथी)** : (क) अब तक जो प्रगति हुई है वह आयोग द्वारा संतोषजनक मानी गई है।

(ख) जी नहीं, 'परन्तु विचारार्थ विषय' में यह व्यवस्था है कि आयोग, यदि उचित समझे, तो किसी विशिष्ट समस्या पर अंतरिम रिपोर्ट दे सकता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**ग्रामीण ऋण पुनर्विलोकन समिति**

*160. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनका ध्यान रिजर्व बैंक की अखिल भारतीय ग्रामीण ऋण पुनर्विलोकन समिति द्वारा नियुक्त की गई तकनी की समिति द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों की सफलता के बारे में समिति किस निष्कर्ष पर पहुँची है;

(ग) क्या यह सच है कि अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज कम मिलने के कारण कृषि उत्पादन वांछित सीमा तक नहीं किया जा सका ; और

(घ) ऐसे बीजों का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है तथा आगामी वर्ष में ऐसे बीजों की जितनी माँग होने का अनुमान है उसकी तुलना में इनका कितना उत्पादन होने की आशा है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब-शिन्दे)**: (क) जी हाँ।

(ख) कार्यक्रम, ऋण तथा कृषि के अन्य साधनों - सम्बन्धी माँगों और ये माँगें किस हद तक पूरी की गई थीं; सेवाएं उपलब्ध कराने में संस्थायी अधिकरणों के कार्य और कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न उपकरणों में समन्वय के प्रति किसानों की प्रतिक्रिया जानने के लिये अध्ययन किया गया था न कि केवल अधिक उपज वाले बीजों के बारे में ही;

(ग) अधिक उपज वाले विभिन्न प्रकार के बीजों की सफलता में अन्तर होने के निम्न कारण हैं:—

(एक) विभिन्न फसलों के लिये सिफारिश किये गये तरीकों का अपनाया जाना या आंशिक रूप में अपनाया जाना।

(दो) अधिक उपज वाले बीजों की खेती के लिये अनुपयुक्त क्षेत्रों का चुना जाना।

(तीन) 1966-67 में अननुकूल मौसम की हालत का होना।

सिफारिश किये गये तरीकों को अपना कर इन बीजों की प्रति एकड़ उपज में अब भी सुधार किया जा सकता है।

(घ) 1966-67 में बीजों की कमी के कारण लक्ष्य पूरे प्राप्त नहीं किये जा सके।

**दिल्ली के लिये चीनी का कोटा**

*161. **श्री प्रेम चन्द वर्मा**: क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली प्रशासन को दीपावली के लिए कितनी मात्रा में चीनी का कितना विशेष कोटा दिया गया था ;

(ख) क्या यह सच है कि महानगर परिषद दिल्ली के प्रत्येक सदस्य को लगभग 1,20,000 किलोग्राम चीनी हलवाइयों को देने के लिए विशाल अधिकार दिया गया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि इस विशेष कोटे में से केवल 25 प्रतिशत चीनी का प्रयोग मिठाइयाँ बनाने के लिए किया गया और शेष चीनी चोर बाजार में बेची गई;

(घ) यदि हाँ, तो क्या इन आरोपों की जाँच की गई है और क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**:

(क) 1260 मीटरी टन। यह मात्रा दशहरा तथा दीवाली दोनों त्योहारों के लिये थी।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने यह निर्णय किया कि महानगर परिषद् का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक मामले में 15 किलो तक चीनी आवंटन करने की सिफारिश कर सकता था लेकिन प्रत्येक सदस्य के लिये अधिकतम सीमा 2000 किलो (20 बोरियाँ) थीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

**चीनी मिलों के लिये धन**

*162. **श्री स्वतन्त्र सिंह कोठारी : श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने संकट-ग्रस्त चीनी मिलों की सहायता करने के लिये, ताकि वे अपनी पुरानी और जीर्ण शीर्ण मशीनरी एवं संयंत्र के स्थान पर नई मशीनें ला सकें और पुरानी मशीनों की मरम्मत आदि करवा सकें, कोई धन नियत किया है; और

(ख) इस दिशा में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**:

(क) जी नहीं।

(ख) मामला विचाराधीन है।

**चुकन्दर का उत्पादन**

*163. **श्री कामेश्वर सिंह : श्री श्रीधरन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में चुकन्दर के उत्पादन को लोकप्रिय बनाने तथा उसके लिये रियायतें देने का है, और

(ख) यदि हाँ तो जो रियायतें देने का विचार है, उनका ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) जी नहीं। चुकन्दर की खेती प्रयोगात्मक आधार पर की जा रही है और चुकन्दर से चीनी के उत्पादन के लाभालाभ का अभी निश्चय किया जाना है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**उत्पादन उपकर**

*164. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खाद्यान्न की वसूली की आवश्यकता के संबंध में उत्पादन उपकर निर्धारित रखने में सरकार कहाँ तक सफल रही है; और

(ख) कितना उपकर निर्धारित किया गया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) स्थानीय परिस्थितियों तथा कृषि मूल्य आयोग द्वारा सुझाये गये अधिप्राप्ति लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए अधिप्राप्ति के तरीके अपनाने का काम प्रत्येक राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, मैसूर, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों में उत्पादकों पर लेवी लगायी गयी हैं।

(ख) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रक्खा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1634/67]

**पंचायती राज संस्थाएं**

*165. **श्री भोगेन्द्र झा :** **श्री ईश्वर रेड्डी :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य संचालन का पुनरावलोकन किया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ; और

(ग) इन संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरूपदस्वामी)** : (क), (ख) व (ग) : पंचायती राज संस्थाओं के कार्य संचालन का पुनरावलोकन करने का प्रक्रम लगातार जारी रहने वाला है। केन्द्र द्वारा नियुक्त की गई अनेक अध्ययन टोलियों ने समय-समय पर पंचायती राज व्यवस्था के विभिन्न पक्षों की जाँच की है, जैसे ग्राम सभा, न्याय पंचायतें, बजट तथा लेखा तैयार करने की प्रक्रियाएँ, लेखा-परीक्षा, वित्त, निर्वाचन तथा प्रोत्साहन व बचाव। सामुदायिक विकास तथा पंचायती राज के वार्षिक सम्मेलन ने भावी कार्यवाही के बारे में स्वीकृत उपागम तैयार करने के लिये इनकी तथा इनसे सम्बन्धित विषयों की नियमित रूप से जाँच की है। राज्य सरकारों, जो कार्यान्वयन के लिये उत्तरदायी हैं, को उन्हें कार्य रूप देने के लिए कहा जाता रहता है। अनेक राज्य सरकारों ने अपने-अपने राज्यों में पंचायती राज के कार्य-संचालन का अध्ययन करने के लिये अपनी टोलियाँ भी नियुक्त की हैं।

जिन उपायों की सिफारिश की गई उनका उद्देश्य मुख्य रूप से इन संस्थाओं को व्यवस्थात्मक तथा वित्तीय रूप से अधिक चलने योग्य बनाने का रहा है। राज्य सरकारें साधनों की कुल उपलब्धता तथा अन्य सम्बन्धित बातों के अनुरूप कार्यवाही करती रही हैं।

**अमरीका तथा अन्य देशों से खाद्यान्नों का आयात**

*167. **श्री हेम बरुआ :** **श्री शिवचन्द्र झा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अमरीका ने हाल ही में भारत को खाद्यान्न भेजना कम कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने खाद्यान्न के सम्भरण के लिये विश्व के अन्य देशों, जैसे रूस से प्रार्थना की है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में रूस की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, हाल में नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**Common Civil Code**

*168. **Shri Prakash Vir Shastri:** **Shri Y. S. Kushwah:**
**Shri Shiv Kumar Shastri:** **Shri Ram Avtar Sharma:**
**Shri Ramji Ram:** **Dr. Surya Prakash Puri:**
**Shri Raghuvir Singh Shastri:**

Will the **Minister of Law** be pleased to state :

(a) whether any decision has been taken in regard to the evolving of a common Civil Code for all communities in the country ;

(b) if not, the reasons therefor ; and

(c) when a final decision is likely to be taken in this regard ?

**The Minister of Law (Shri Govind Menon)** : (a) No , Sir.

(b) The main reason is that there is no uniformity of views among the different sections of the citizens of India as to the enactment of a uniform code of laws relating to Marriage, Succession etc. applicable to all citizens of India.

(c) Does not arise.

**पुनर्वास उद्योग निगम**

*169. **श्री समर गुह :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये शरणार्थियों को रोजगार देने के लिये स्थापित पुनर्वास उद्योग निगम घाटे में चल रहा है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या पुनर्वास उद्योग निगम के ढांचे, प्रबन्ध तथा काय-संचालन की जाँच करने तथा स्थिति को सुधारने के लिये अपेक्षित कार्यवाही का सुझाव देने के लिये एक जाँच समिति नियुक्त करने का सरकार का विचार है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हान)** :

**(क) से (ग)** यह सत्य है कि पुनर्वास उद्योग निगम घाटे में चल रहा है। वास्तव में सरकार का सम्बन्ध घाटे से है जिसके आँकड़े अब 72.43 लाख रुपये तक पहुँच गए हैं। एक पृथक तदर्थ पुनर्वास बोर्ड स्थापित किया जा रहा है। बोर्ड के विचारार्थ विषयों में यह प्रस्तावित किया गया है कि बोर्ड पुनर्वास उद्योग निगम के कार्य संचालन का अध्ययन करेगा तथा ऐसे आवश्यक उपायों का सुझाव देगा जिससे कि पुनर्वास उद्योग निगम आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ हो सके। घाटे के कारणों के बारे में सरकार किसी निश्चय पर पहुँचने से पूर्व बोर्ड की जाँच की प्रतीक्षा को अधिमान्यता देगी।

**Committee on Cow Protection**

*170. **Shri Shiv Kumar Shastri** : **Shri Prakash Vir Shastri** :
**Shri Ram Avtar Sharma** : **Shri Ramji Ram** :
**Dr. Surya Prakash Pouri** : **Shri Sradhkar Supakar** :
**Shri Raghuvir Singh Shastri** :

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the progress made so far by the Committee on Cow Protection ; and

(b) when the Committee would submit its report to the Government ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde)** : (a) The Committee has so far held four meetings, received written memoranda from 74 experts and has examined orally 6 persons, nominated by members of the Committee.

(b) In accordance with the terms of reference, the Committee is required to submiti ts report by December, 1967. But it is difficult at this stage to indicate specifically as to when the report would be submitted by the Committee.

**खरीफ की फसल का उत्पादन**

*171. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों के परामर्श से राष्ट्रीय समाहार लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) राज्यों के समाहार कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिये केन्द्रीय सरकार किस प्रकार से उनकी सहायता करेगी ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : (क) खरीफ के अनाजों की 70 लाख टन अधिप्राप्ति करने के लक्ष्य निर्धारित करने संबंधी कृषि मूल्य आयोग की सिफारिशों पर सितम्बर, 1967 में हुये मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था। यद्यपि यह महसूस किया गया था कि खरीफ की पैदावार के लिए 70 लाख मीटरी टन का लक्ष्य कुछ अधिक था, फिर भी राज्य सरकारें यह मान गई कि इस लक्ष्य तक यथा सम्भव पहुँचने के प्रयत्न किए जाने चाहिए।

(ख) जब कभी भी राज्य सरकारों द्वारा अनुरोध किया जाएगा तब उन्हें अधिप्राप्ति के लिए अपेक्षित धनराशि सुलभ करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा, अधिशेष राज्यों को चावल का निर्यात करने के लिए प्रोत्साहन बोनस देने हेतु एक योजना तैयार की गई है।

**खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि**

*172. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर/अक्तूबर, 1967 में खुले बाजार में सभी आवश्यक खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(ग) क्या खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार आरम्भ करने की सम्भावना है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जुलाई/अगस्त, 1967 में चल रहे भावों की तुलना में सितम्बर/अक्तूबर, 1967

में गेहूँ को छोड़कर, आवश्यक खाद्यान्नों के भावों में गिरावट का रुख रहा है। गेहूँ के भाव प्रायः स्थिर रहे हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार सीमित पैमाने पर पहले ही किया जा रहा है। तथापि इस अवस्था में सरकार का खाद्यान्नों का पूर्ण एकाधिकार व्यापार करने का विचार नहीं है।

**Drought-Hit States**

*173. **Shri Ram Avtar Sharma :** **Dr. Surya Prakash Puri ;**
**Shri Ramji Ram :** **Shri Prakash Vir Shastri ;**
**Shri Raghuvir Singh Shastri:** **Shri Shiv Kumar Shastri :**

Will the Minister **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the present situation in those States where scarcity conditions prevailed recently on account of drought;

(b) Whether there are still some areas which are facing the scarcity of foodgrains ; and

(c) if so, the arrangements made to suply foodgrains to them ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Sri Annasahib Shinde) :**

(a) to (c) A statment is laid on the Table of thc Sabha.

**[Placed in Library. See No. LT-1635/67]**

**दूध के उत्पादन कमी**

*174. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की खाद्य तथा कृषि संस्था ने अपने हाल के वार्षिक प्रतिवेदन में भारत में दूध तथा मक्खन के उत्पादन में लगातार कमी होने पर चिन्ता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हाँ, तो अगले पाँच वर्षों में अखिल भारतीय स्तर पर दूध तथा मक्खन का उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) भारत सरकार के ध्यान में संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आयी है जिसमें भारत में दूध और मक्खन के उत्पादन में कमी होने के सम्बन्ध में विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

**खाद्यान्न का उत्पादन**

*176. **श्री मधुलिमये**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आगामी वर्ष में खाद्यान्न के उत्पादन का कोई अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अनाज सम्बन्धी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये यह उत्पादन पर्याप्त होगा; और

(घ) यदि नहीं, तो अनुमानतः कितना अनाज कम पड़ेगा ?

**खाद्य कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) और (ख) सभी राज्यों में फसलों की कटाई पूरी होने के पश्चात् ही 1967-68 के लिये खाद्यान्न उत्पादन के पुख्ता अनुमान उपलब्ध हो सकेंगे। तथापि, वर्तमान संकेतों को ध्यान में रखते हुए, आशा है कि 1967-68 में अनाज का उत्पादन 8.9 करोड़ टन से भी अधिक होगा जो कि 1964-65 में अभूतपूर्व उत्पादन था और हो सकता है यह 9.5 करोड़ टन हो। पुख्ता अनुमानों के न होने के कारण खाद्यन्न उत्पादन का राज्यवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) उपभोग पर कोई ढंग का सर्वेक्षण न होने के कारण और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि खाद्यान्न की आवश्यकता विभिन्न कारणों से घटती-बढ़ती रहती हैं, किसी भी दिये गये वर्ष में खाद्यान्न की सही आवश्यकता का अनुमान लगाना संभव नहीं है तथापि, सार्वजनिक वितरण व्यवस्था की निम्नतम आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1968 के लिये हम अस्थायी अनुमान के अनुसार लगभग 7.5 लाख टन आयातित अनाज की आवश्यकता होगी।

**Procurement of Kharif Crop**

*177. **Shri Mohan Swarup:** Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that difficulties have arisen in the procurement of foodgrains of Kharif crop in accordance with the programme chalked out in the Chief Ministers' Conference held recently because various State Governments are in favour of paying increased price for foodgrains and abolishing food zones ; and

(b) if so, Government's attitude in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde)** : (a) and (b). The Government is not aware of any difficulty arising in procurement of foodgrains in accordance with the decision reached in the last Chief Ministers' Conference. However, some State Governments have proposed to fix procurement prices at a level higher than that suggested to them. They have been advised to consider the impact of a very high price on the over-all economy.

**निर्वाचन आयोग द्वारा राजनैतिक दलों को मान्यता दी जाना**

*178. **श्री रविराय** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी राजनैतिक दल को किस आधार पर मान्यता दी जाती है; और

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों में कितने दलों को मान्यता दी गई है ?

**विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)** : (क) राजनीतिक दलों को अखिल भारतीय या राज्य-स्तर पर मान्यता देने के लिए निर्वाचन विधि में कोई उपबन्ध नहीं है। किन्तु, निर्वाचन आयोग कुछ रजनीतिक दलों को, केवल प्रतीकों के आबंटन प्रयोजनार्थ अखिल भारतीय दलों और राज्य दलों के रूप में मान्यता देता है।

किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में किसी राजनीतिक दल को निर्वाचन प्रतीक के आरक्षण के प्रयोजन के लिए मान्यता देने के लिए आयोग द्वारा यह सिद्धान्त अपनाया गया है कि उसके अभ्यर्थियों ने या तो संसदीय निर्वाचनों में या सभा निर्वाचनों में उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में डाले गए कुल विधिमान्य मतों के अन्यून 4 प्रतिशत मत प्राप्त किए होने चाहिए। ऐसा निर्धारण करने में, दल के उन अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मत, गणना में नहीं लिए जाते, जिनके प्रतिभूति निक्षेप निर्वाचनों में समपहृत हो गए हैं

(ख) आयोग की अधिसूचना सं० का० आ० 3483, तारीख 26 सितम्बर, 1967 और सं० का० आ० 3771, तारीख 18 अक्तूबर, 1967 की एक-एक प्रति, जिसमें विभिन्न राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त दलों के नाम उपदर्शित हैं, सदन के पटल पर रखी जाती है। **[पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०** 1636/67]

**एक राज्य खाद्य क्षेत्र प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न की वसूली**

*179. **डा० कर्णी सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक राज्य खाद्य क्षेत्र प्रणाली के द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खाद्यान्न की वसूली के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता मिल रही है; और

(ख) क्या सभी राज्य सरकारें केन्द्रीय निर्देशों का पालन करने के लिये इस मामले में सहयोग दे रही हैं?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री अन्नासाहिब-शिन्दे):** (क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ।

**पश्चिम बंगाल में किये गये राहत कार्य सम्बन्धी प्रतिवेदन**

*180. **श्री मधु लिमये:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पुरूलिया जिले में अकाल ग्रस्त लोगों के लिये सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा किये गये राहत कार्यों के बारे में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है;

(ख) क्या इस प्रतिवेदन में भूख से मरे लोगों सम्बन्धी सूचना सम्मिलित है;

(ग) उस प्रतिवेदन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं, और

(घ) अकाल के बाद पैदा हुए रोगों, ऋण का भुगतान, बीज, खेती के औजारों की कमी और सूखा से प्रभावित पशुओं की समस्याओं को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):**

(क) **से (घ)** सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1637/67]

**आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के लिये मजूरी बोर्ड**

1114. **श्री म०ला० सोंधी:** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों से एक मजूरी बोर्ड स्थापित करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी):** (क) आकाशवाणी के स्टाफ आर्टिस्टों के संघ द्वारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय को यह अभ्यावेदन किए जाने की सूचना मिली है कि उन्हें श्रमजीवी पत्रकारों को दिए जाने वाले लाभ दिए जाएं या कोई वेतन आयोग या फीस निर्धारण बोर्ड स्थापित किया जाए।

(ख) यह सुझाव स्वीकार नहीं किया गया है।

**पशु महामारी**

1115. **श्री वि० नरसिम्हा राव**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आन्ध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों के कुछ भागों में पशु महामारी फैली हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इस महामारी को काबू में करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) 1966-67 में आन्ध्र प्रदेश में इस महामारी से कितने पशु मरे?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) जी हाँ।

(ख) केन्द्रीय सरकार ने प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान नमूने के आधार पर एक रिन्डरपैस्ट इराडीकेशन प्रोग्राम (आर० ई० पी०) शुरू किया था, जो बाद में समस्त देश में चलाया गया। दूसरी तथा तीसरी योजनावधि में और गत दो वर्षों के दौरान, बड़े पैमाने पर टीका लगाने का कार्यक्रम चलाया गया जिसके अन्तर्गत समस्त देश में लगभग 1,460 लाख पशुओं के टीके लगाए गए हैं। जिन पशुओं के टीके नहीं लग सके और जो हाल ही में पैदा हुए हैं उनको टीके लगाए जा रहे हैं। सभी महत्वपूर्ण मार्गों पर चैक पोस्ट स्थापित कर दिए गए हैं ताकि घूमने फिरने वाले पशुओं को टीके लगाए जा सकें, क्योंकि यह मालूम हुआ है कि यह रोग इन पशुओं के द्वारा रोगग्रस्त क्षेत्रों में से रोग मुक्त क्षेत्रों में फैलता है। इसके अतिरिक्त, पशु मेलों, बाजारों, चरागाहों आदि में पशुओं और भैंसों के समूहों को टीके लगाए जा रहे हैं। चालू कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक लगभग 647 लाख पशुओं को टीके लगाए जा चुके हैं। यह रोग लगभग 8,000 बार फैला करता था और इसके द्वारा सन् 1958 में लगभग एक लाख मौतें हुई। सन् 1966 में यह कम होकर केवल 611 बार फैला और इससे 3,638 मौतें हुई।

(ग) 461.

**बीज तैयार करने वाले फार्म**

1116. **श्री वि० नरसिम्हा राव**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आन्ध्र प्रदेश के प्रत्येक जिले में केन्द्रीय सहायता से बीज तैयार करने वाले फार्म और अनुसन्धान केन्द्र स्थापित किये जा रहे हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) तथा (ख): आन्ध्र प्रदेश सरकार से अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उनसे जानकारी मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**घेराव**

1117. **श्री बाबूराव पटेल**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 अप्रैल, 1967 से 30 सितम्बर, 1967 तक की अवधि में राज्य-वार कितने घेराव हुए तथा काम करने के कितने दिन नष्ट हुए;

(ख) घेरावों के कारण राज्य-वार कितने व्यक्ति मरे अथवा घायल हुए तथा कितने उद्योग बन्द हुए अथवा क्षतिग्रस्त हुए;

(ग) क्या यह सच है कि घेरावों के कारण बहुत से उद्योग तथा औद्योगिक व्यक्ति पश्चिमी बंगाल छोड़कर अन्यत्र चले गये हैं और यदि हाँ तो ऐसे व्यक्तियों तथा उद्योगों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार श्रम सम्बन्धी कानूनों में उचित रूप से संशोधन करने तथा घेरावों पर प्रतिबन्ध लगाने और इसे श्रम सम्बन्धी कानूनों के अन्तर्गत अवैध कार्य बनाने का है और यदि हाँ तो कब; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग) एक विवरण, जिसमें राज्यवार घेरावों की संख्या दी गई है, नीचे दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में, जहाँ घेरावों की संख्या अत्यधिक थी, सम्बन्धित उद्योगों में उत्पादन और रोजगार काफी अस्त-व्यस्त हो गया, परन्तु माँगा गया विस्तृत ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(घ) से (ङ) इस मामले पर मई, 1967 में हुई स्थायी श्रम समिति की बैठक में विचार-विमर्श किया गया। समिति ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें 'घेराव' की यह कह कर निन्दा की गई कि इससे त्रिपक्षीय विचार-विमर्श और परामर्श द्वारा देश में स्थापित किए गए मालिक-मजदूर के व्यवस्थित सम्बन्धों के आधार को ही खतरा है। सरकार का यह विचार है कि इस सम्बन्ध में कार्रवाई करने के लिए दण्ड विधि के वर्तमान उपबन्ध पर्याप्त हैं और श्रम कानूनों में किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता नहीं है।

**विवरण**

**1-4-67 से 30-9-1967 तक राज्यवार घेरावों की संख्या का ब्यौरा**

| क्रमांक | राज्य का नाम | घेरावों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | असम | 5 |
| 2 | आन्ध्र प्रदेश | 9 |
| 3 | बिहार | 34 |
| 4 | गुजरात | 3 |
| 5 | केरल | 10 |
| 6 | महाराष्ट्र | 1 |
| 7 | मध्य प्रदेश | 4 |
| 8 | मद्रास | 3 |
| 9 | मैसूर | 2 |
| 10 | उड़ीसा | 4 |
| 11 | पंजाब | 5 |
| 12 | उत्तर प्रदेश | 7 |
| 13 | पश्चिमी बंगाल | 841 |
| | योग... | 928 |

**रेडियो लाइसेंस**

1118. **श्री बाबूराव पटेल:** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में कितने रेडियो लाइसेंस जारी किये गये तथा इस अवधि में इनसे कितनी राशि वसूल हुई ?

**संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : अपेक्षित जानकारी इस प्रकार है।

| लाइसेंस देने का वर्ष | जारी किये गये रेडियो लाइसेंसों की संख्या | प्राप्त राजस्व |
|---|---|---|
| 1964 | 43,15,242 | 5,54,29,097 |
| 1965 | 53,99,918 | 7,64,68,436 |
| 1966 | 64,83,896 | 8,92,95,763 |

**भारतीय खाद्य निगम**

1119. **श्री दामानी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्न की कीमत का भुगतान न करने पर ब्याज देना पड़ता है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले दो वर्षों में निगम को दंड के रूप में कितना ब्याज देना पड़ा;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई विचार अभी चल रहा है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी, हाँ।

(ख) 1965-66 और 1966-67 के दो वर्षों के दौरान निगम द्वारा दण्ड के रूप में 16.89 लाख रुपया देय था।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

**Procurement of Food by F. C. I.**

1120. **Shri Deorao Patil:** Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the names of the States which have permitted the Food Corporation of India to procure foodgrains within their States ;

(b) whether this step will ensure remunerative prices to the producers ;

(c) whether in view of the fact that the State Governments have allowed the Food Corporation of India to procure foodgrains within their territories and Government have decided to make one food zone for the whole country by abolishing the existing food zones ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde)** : (a) A statement is given below :—

(b) The element of incentive to producers has been taken into account in fixing the procurement prices of foodgrains.

(c) and (d) : Zonal restrictions on the movement of foodgrains have been continued in order to maximise procurement and to build up a buffer stock. The Food Corporation is an agent of procurement only. So even after the induction of F.C.I. the need for zonal restrictions continues.

**Statement**

In the States of Bihar, Assam, West Bengal, Orissa, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh and Madras, the Food Corporation of India have been permitted to procure rice. The Food Corporation of India will also be making open market purchases of rice/paddy in Mysore, Punjab, Haryana and U. P. The Food Corpration will also be procuring Coarse grains in the States of Punjab, Haryana, U. P., Bihar, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, Andhra Pradesh, Mysore and Madras.

**Foodgrains Requirement of Bihar**

1121. **Shri Ram Avtar Shastri:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the annual food requirements of Bihar State to feed its five crores and 20 lakhs population ;

(b) the yearly production of foodgrains in Bihar in normal conditions and the extent of deficit ;

(c) the quantity of maize crop produced in Bihar this year and the estimated quantity of Kharif crop production ; and

(d) whether Government propose to grant any special assistance to make Bihar self-sufficient in food ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde)** : (a) Requirements of foodgrains depend upon a number of other factors in addition to population viz. extent of material prosperity and food habits of the people and the availability of subsidiary and substitute foods. In India, all these factors are constantly changing. In view of this and in the absence of any scientific surveys regarding consumption of foodgrains it is difficult to estimate the requirements even of the country as a whole more so of any individual State.

(b) Production of foodgrains in Bihar during the past five years has been as follows :

| Year | Production ('000 Tonnes) |
|---|---|
| 1962-63 | 7329 |
| 1963-64 | 7517 |
| 1964-65 | 7532 |
| 1965-66 | 7148 |
| 1966-67 | 4225 |

For the reasons stated againt part (a) the extent of deficit cannot be estimated.

(c) Final estimate of production of Kharif foodgrains for 1967-68 are not yet available.

(d) Every effort is being made to assist the State Government to increase foodgrains production. Considering the situation created by unprecedented drought in Bihar, short term loan assistance for purchase and distribution of fertilizers, seeds and pesticides on 100% basis

to the State Government in relaxation of the normal basis of 50% of the cost of these inputs has been given during the year 1967-68.

**Arrears of Telephone Bills in Delhi**

1122: **Shri Ram Avtar Shastri** : Will the Minister of **Communication** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an amount of rupees three crores remains to be realized from the telephone users in Delhi ;

(b) if so, the reasons for the non-realisation of such a large amount in one city and whether Government propose to take some action against the officers involved in it ;

(c) whether industrialist and big traders are also amongst those who have not paid the Telephone Bills and if so, their names ; and

(d) the steps proposed to be taken by Government to realize the outstanding amount ?

**The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral)** : (a) The arrears on 1.9.67 for bills issued upto 31.5.67 were Rs. 2.03 crores.

(b) The rapid and enormous increase in the number of telephones resulted in the present arrears. There is no question of taking any action against individual officers.

(c) Subscribers from different walks of life defaulted in payment. No names can be disclosed as accounts are held in trust.

(d) Steps, such as, issue of notices, disconnection of telephones, personal contact with subscribers, and finally legal action, where necessary, are being taken with a view to enforce recovery.

**सामुदायिक विकास खण्ड**

1123. **श्री दामानी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 में सामुदायिक विकास खण्डों का कुल योजना बजट कितना था ;

(ख) सामुदायिक विकास अभिकरण के माध्यम से अन्य विकास विभागों की कितनी धनराशि 1966-67 में सामुदायिक विकास खण्डों के योजना बजट की पूर्ति करने के लिये दी गई; और

(ग) 1967-68 में सामुदायिक विकास अभिकरण के माध्यम से कितनी धनराशि दिये जाने का अनुमान है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी)** : (क) 1966-67 में सामुदायिक विकास खण्डों की 78.92 करोड़ रुपए की योजना सम्बन्धी कुल आवश्यकताओं के मुकाबिले में 41.21 करोड़ रुपए का परिव्यय स्वीकृत किया गया था।

(ख) व (ग) राज्य सरकारों से जानकारी की प्रतीक्षा है।

**गुजरात को चीनी की आवश्यकता**

1124. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात की चीनी की वार्षिक आवश्यकता कितनी है;

(ख) गुजरात में चीनी के कौन-कौन से मिल हैं;

(ग) 1966-67 के सीजन में ये मिल कितनी कितनी अवधि तक चले और उपरोक्त अवधि में इनमें कितनी चीनी का उत्पादन हुआ; और

(घ) आगामी सीजन में ये मिल अनुमानतः कितने समय तक चलेंगे और इस अवधि में कुल कितनी चीनी का उत्पादन हो सकेगा?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) राज्य सरकार के अनुसार गुजरात की चीनी की वार्षिक आवश्यकता लगभग 3 लाख टन है।

(ख) से (घ) अपेक्षित जानकारी बताने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 1638/67]

**गुजरात में प्रयोगात्मक नलकूप**

1225. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में जिलेवार कितने कितने प्रयोगात्मक नलकूप खोदे गये हैं;

(ख) इसमें कितने प्रतिशत सफलता मिली है; और

(ग) वर्ष 1967-68 में गुजरात में जिलेवार कितने-कितने नलकूप खोदने का प्रस्ताव है?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) संघ कृषि विभाग के अधीन प्रयोगात्मक नलकूप संगठन ने पिछले तीन वर्षों में गुजरात में कोई प्रयोगात्मक नलकूप छिद्रण कार्य आरम्भ नहीं किया।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निम्न जिलों में 1967-68 के दौरान 14 स्थानों पर प्रयोगात्मक नलकूप खोदने का विचार है:

| | |
|---|---|
| 1. बनसकन्ठा | 6 |
| 2. मेहसाना | 4 |
| 3. सावरकण्ठा | 1 |
| 4. बरोच, सूरत | 3 |
| कुल...14 | |

**बीज फार्म**

1126. **श्री महेन्द्र सिंह महीडा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात में चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बीज फार्म शुरू करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो ये फार्म किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे;

(ग) प्रत्येक प्रस्तावित फार्म कितने एकड़ का होगा; और

(घ) इन फार्मों से सरकार को प्रत्येक वर्ष अनुमानतः कितना बीज मिलेगा?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) केन्द्रीय सरकार के पास गुजरात राज्य में चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बीज फार्म शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं होते।

**गुजरात में सीधी टेलीफोन व्यवस्था**

1127. **श्री नरेन्द्र सिंह महीडा**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में सीधी टेलीफोन व्यवस्था शुरू करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो कब; और

(ग) गुजरात के किन भागों में सीधी टेलीफोन व्यवस्था शुरू की जायेगी ?

**संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) : दिल्ली और अहमदाबाद के बीच "प्वाइंट-टू-प्वाइंट" सीधे टेलीफोन करने की पहले ही व्यवस्था है। अहमदाबाद और सूरत को 1968 के मध्य तक बम्बई ट्रंक के स्वचालित एक्सचेंज के साथ जोड़ने का विचार है, जिससे भारत में कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के लिये राष्ट्रीय अंशदाता ट्रंक टेलीफोन सुविधा प्राप्त हो जायेगी।

1968 के अन्त तक अहमदाबाद और राजकोट के बीच भी "प्वाइंट-टू-प्वाइंट" सीधे टेलीफोन की व्यवस्था करने का विचार है।

**Public Sector Undertakings in M. P.**

1128. **Shri G. C. Dixit**: Will the **Minister of Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of posts advertised by the public sector undertakings in Madhya Pradesh through Employment Exchanges from the Ist. January, 1967 to 30th. June, 1967 ; and

(b) the number of posts filled up by these establishments through the various Employment Exchanges during the above period ?

**The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi)** : (a) and (b) The information is being collected and will be placed on the Table of House as early as possible.

**चावल का मूल्य**

1129. **श्री श्रीधरन**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राशन की दुकानों से बेचे जाने वाले चावल के मूल्य को बढ़ाने के लिये राज्य सरकारों को निर्देश जारी किये हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे निर्देश जारी करने के क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) राज्य सरकारों को केन्द्रीय भण्डार से दिये गये खाद्यान्न के निर्गम मूल्य में समय-समय पर पुनरीक्षण किया जाता है। मूल्य के सम्बन्ध में अन्तिम पुनरीक्षण 15-7-1967 को किया गया था। तथापि, दिल्ली के लिये चावल के निर्गम मूल्य 28-10-67 से पुनरीक्षित किये गये हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 1639/67]

(ग) सारे देश भर में मूल्यों में समानता लाने के लिये मोटे चावल का निर्गम मूल्य पुनरीक्षित किया गया था। अन्य किस्मों के निर्गम मूल्य उनकी लागत के आधार पर निर्धारित किये गये थे। पंजाब में ऊंचे समाहार मूल्य के परिणाम स्वरूप दिल्ली के लिये निर्गम मूल्यों में हाल ही में पुनरीक्षण किया गया था।

**भारतीय खाद्य निगम**

1130. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य, तथा, कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम एक भवन के किराये के रूप में प्रतिमास लगभग 45,000 रुपये दे रहा है, जिसमें मुश्किल से इस के दो दर्जन अधिकारी बैठते हैं।

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) क्या सरकार इस प्रकार के अपव्यय को रोकने के लिये किन्हीं उपायों का विचार कर रही है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी नहीं। खाद्य निगम का मुख्यालय चूंकि मद्रास से नई दिल्ली आ गया है। इसलिये उसके कर्मचारियों के लिये खाद्य निगम ने वह इमारत किराये पर ली है जिसका मासिक किराया लगभग 45,000 रु० प्रति मास दिया जा रहा है। कुछ अनुभागों को छोड़कर सभी अनुभाग आ गये हैं। इस समय इस इमारत में 172 कर्मचारी हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

**हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम**

1131. **श्री न० कु० साल्वे** : **श्री म० ला० सोंधी** :

क्या **विधि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि हरयाणा सरकार अपने राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन कराना चाहती है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)** : (क) जी हाँ।

(ख) मामले की सभी पहलुओं से ध्यानपूर्वक परीक्षा की जाने की आवश्यकता है।

**अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित पद**

1132. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों के लिये आरक्षित पदों पर उन्हीं जातियों के लोगों को लगाये जाने के बारे में रोजगार तथा प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा किया जा रहा सर्वेक्षण कार्य पूर्ण हो गया है,

(ख) यदि हाँ तो उसका मुख्य ब्यौरा क्या है, और

(ग) सर्वेक्षण के परिणामों को ध्यान में रखते हुए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हाँ।

(ख) सर्वेक्षण सिर्फ अनुसूचित जाति के उम्मीदवरों के सम्बन्ध में है। इससे पता चलता है कि अनुसूचित जाति के प्रार्थियों में से तीन-चौथाई लोग अपने जिले से बाहर नियुक्ति के लिए नहीं जाना चाहते थे। इनमें से अधिकाँश लोगों ने अपना नाम सिर्फ सरकारी नौकरियों के लिए दर्ज कराया था। अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित स्थानों में से रद्द हुए रिक्त स्थान, ऐसे व्यवसायों से सम्बन्धित थे जिनमें योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की आमतौर से कमी रहती है। यद्यपि अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए भारत सरकार के आदेश और उनके पालन के लिए नियोजन कार्यालयों का प्रबन्ध पर्याप्त माना गया है फिर भी अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में नियुक्ति सहायता दिलाने के मार्ग में प्रमुख रुकावट कुशल और योग्य उम्मीदवारों का उपलब्ध न होना है।

सर्वेक्षण द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ नीचे लिखी बातों की आवश्यकता सुझाई गई है:--

(1) राज्य सरकारों के आधीन कार्यालयों में श्रेणी तीन और चार के कर्मचारियों की नियुक्ति नियोजन कार्यालयों की सहायता से करना अनिवार्य होना चाहिए जैसा कि केन्द्र सरकार के कार्यालयों के लिए है।

(2) बिल्कुल अस्थायी अथवा 3 माह से कम अवधि की नौकरियों पर नियुक्ति के लिए भी, अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित स्थान।

(3) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए, विशेष रोस्टर (नामावली) आदि रखने से सम्बन्धित आदेशों पर सख्ती के साथ अमल।

(4) व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के लगभग सभी कार्यक्रमों में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए सुरक्षित स्थान रखना।

(5) गावों और छोटे शहरों में नियोजन और प्रशिक्षण सुविधाओं की जानकारी देने की व्यवस्था करना, और

(6) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों तथा उनके अभिभावकों को व्यावसायिक मार्ग-दर्शन की सुविधाएँ दिलाना।

(ग) अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरियों में भर्ती करने के प्रश्न पर विचार करने के लिए, गृह मंत्रालय के आधीन नियुक्त, अध्ययन दल ने उक्त सर्वेक्षण के परिणामों का उपयोग अपनी रिपोर्ट में किया है, जो कि शीघ्र ही भारत सरकार के विचारार्थ रखी जाएगी।

**Demands of D.M.S. Employees**

1133. **Shri Ramji Ram** : Will the **Minister of Food and Agriculture** be to pleased state :

(a) whether the demands of the Delhi Milk Scheme employees have been considered ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) whether Government have accepted their demands ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde)** : (a) and (b) : Yes, Sir. A list of 42 demands made by the Delhi Milk Scheme Employees Union is given below (Sr. Nos. 22, 35 and 36 of the list are missing). The total number, therefore, comes to 39. Out of these 39, four are in the nature of suggestions. These are Sr. Nos. 1, 2, 3 and 19.

(c) Fifteen demands have been accepted. These are Sr. Nos. 4, 6, 10, 11, 12, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 30 and 32. Eleven of the demands are still under consideration. These are Sr. Nos. 13, 20, 26, 28, 33, 34, 37, 39, 40, 41 & 42.

(d) It has not been found feasible to accept 9 of the demands. These are Demand Nos. 5, 7, 8, 9, 14, 16, 17,31 and 38. The reasons for non-acceptance of these demands are explained in the statement laid on the Table of the House [**Placed in Library See. No.** LT-1640/67].

**Demands of the Workers of the D. M. S. New Delhi**

1. Permanent officers/staff for the permanent scheme in the interest of the efficient and economical running of the Scheme.

2. Formation of Joint Committee consisting of the representative of the Government Management worker/public and contractor for smooth running of the Scheme.

3. Abolishing of the posts of the higher officer cerated after July, 1964.

4. Grant of annual leave under F.R.S. & S.R.S. to the workers of Delhi Milk Scheme as per Pay Commission Recommendations enforced arbitarily and unilaterally in the Scheme have not been accepted by the Government of India. All the workers are governed under C. C. S. R. therefore Industrial and Non-Industrial both categories are entitled for annual leave under revised leave rules 1933.

5. Representation of the Union representatives in the Quarter allotment Committee.

6. Provision of Telephone Connection in the Union Office.

7. Creation of Selection Grade M.V.D./Office Supdt. posts.

8. Filling up of the post of the Selection Grade L.D.C.'s who have put in 10 years service in the grade/scale.

9. Revision of the pay scale of the Staff/Car-Drivers/Milk Van Drivers in the Scheme.

10. Regularisation of all the Daily paid workers working at Milk Collection and Chilling Centres before resorting to open market recruitment to the post of J.P.O's etc. lying vacant in U. P. and Punjab Chilling Centres.

11. Regularisation of Daily-paid Class III/IV workers working in the Central Dairy Chilling Centres.

12. Provision of electric fans in the H. type Quarters at Milk Collection and Chilling Centres.

13. Filling up of the post of Cash Clerk/L.D.C's by Departmental promotions on the basis of seniority-cum-merit from amongst the Tally Clerks giving them age relaxation.

14. Filling up of the post of Tally Clerks by Departmental promotions on the basis of seniority-cum-merit from amongst the Class IV workers of the Scheme giving them age relaxation.

15. NIL Accidents Rewards to Drivers as per Government of India orders/sanctions.

16. Revised recruitment rules sent to the Government may kindly be discussed in the meeting with the Union representatives before Final approval of the Government.

17. Filling up of the posts of the Managers, All Day Milk Stall from amongst the Depot Managers who had been working on ad-hoc basis and had gained experience.

18. Conversion of 80% temporary posts into permanent ones and position as on 1.6.66 may kindly be intimated.

19. Fixing up of the strength of each section/centre. Time measurement to reduce the payment of heavy over-time wages/expenditures.

20. Payment of Cash handling allowance to the Cash Clerk/Counter Clerk as per original sanction of the Government i.e., Rs. 20.00 P.M. instead of Rs. 15.00 P. M. being paid.

21. (A) Filling up of the vacant posts of the Skilled Operators/Semi-Skilled Operators strictly by the Departmental promotion and other vacant posts in workshop.

23. Payment of wages in respect of National Holidays to the Daily Paid Workers working at Jalmana, Safiden, Assand Chilling Centres in Punjab.

24. Payment of washing allowances to the Mates (Chilling Centres Workers) for the period prior to 1964.

25. Payment of difference of pay arrears to Daily Paid brought on the regular cadre with retrospective effect in 1965.

26. Payment of over-time/holidays wages to the Ministerial Staff working in the Central Dairy/Stores at the rates admissible to such staff.

27. Grant of compensatory off to the workers of the Chilling Centre whose off falls on Gazetted Holidays as being granted to the workers in the Central Dairy.

28. Payment of over-time/holidays wages to Cash Clerks for the period 1959 and scooter charges for 1/64.

29. Fixing up a date for payment of overtime/holidays wages and other dues to the staff/workers working at Centres.

30. Payment of over-time/holidays wages in respect of the Chowkidars and Sweepers for the period 1959 to date.

31. Payment of off arrears from 1959 to 2/61 to Daily paid workers who were previously being paid Rs. 2/50 per day.

32. Fixation of pay of the U.D.Cs promoted with effect from 6.6.1966.

33. Payment of National Holidays wages to Depot Staff.

34. Payment of fixed conveyance allowance to the A.M.D.Os.

37. Grant of cash handling allowances to the Managers. All Day Milk Stalls of the D. M. S.

38. Payment of Rs. 70+allowances to the Daily Paid Workers on the roll of the D. M. S. from 2/61 to 9/63 instead of Rs. 2/- per day being paid at that time.

39. Payment of Rs. 110 plus allowances to the Daily Paid workers working on the Class III post in the Scheme instead of Rs. 2.50 and Rs. 4/- per day in pay at that time.

40. Release of increments of the Cash-Clerks/counter clerks and payment of arrears.

41. Release of increments of the L.D.C.'s joined Delhi Milk Scheme prior to the enforcement of the Recruitment Rules.

42. Release of increments of the L.D.C's/Q.P./Temp. joined Delhi Milk Scheme prior to 1967.

**'गाइड टू एक्सपोर्ट आफ फ्राग्स' नामक पुस्तक**

*1134. **श्री रामचरण :** **श्री देवराव पाटिल :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री पी० वी० सत्यन द्वारा संकलित तथा मैसर्स हरक्यूलिस पब्लिकेशन, एलूस (आन्ध्र प्रदेश) द्वारा प्रकाशित "गाइड टु एक्सपोर्ट आफ फ्राग्स" नामक एक पुस्तक है;

(ख) क्या उपरोक्त पुस्तक में मैंढकों की टाँगों को विशेष प्रयोजन के लिए तैयार करने तथा उनका निर्यात करने के तरीके बताये गये हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि पशु कल्याण बोर्ड ने सरकार से अनुरोध किया है कि इस पुस्तक पर रोक लगादी जाय; और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार ने इस पुस्तक पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) और (ख) जी हाँ

(ग) और (घ) :

भारत सरकार को पशु कल्याण बोर्ड से ऐसी कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई थी। परन्तु बोर्ड ने लेखक को लिखा है (और इसकी प्रतिलिपि प्रकाशक को भेजी है) और प्रार्थना की है कि इस पुस्तक का परिचालन बन्द कर दिया जाए और उसकी कोई प्रति न बेची जाए। बोर्ड ने पत्र की एक प्रतिलिपि आन्ध्र प्रदेश सरकार को भेजी है और प्रार्थना की है कि यदि लेखक अपेक्षित कार्यवाही न करे तो उचित कानूनी कार्यवाही करने के बारे में विचार किया किया जाए।

हमने पशु कल्याण बोर्ड की सुझाव दिया है कि मेंढ़को की टांगों को अलग करने के मानवीय तरीकों को प्रचार हेतु पशुओं को बेरहमी से बचाने वाली उन समितियों के नोटिस में लाया जाए जिनके क्षेत्रों में यह कार्य हो रहा है।

**बन्दरगाहों पर उर्वरक की चोरी**

1135. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष में प्रति वर्ष विभिन्न बन्दरगाहों पर बन्दरगाहवार कितना तथा कितने मूल्य का आयातित उर्वरक चुकाया गया;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि उर्वरक की यह चोरी बन्दरगाह तथासीमा शुल्क अधिकारियों की साँठगाँठ से होती है ; और

(ग) यदि हाँ, तो ऐसी चोरियों को रोकने के लिये अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) गत तीन वर्षों में, प्रति वर्ष विभिन्न बन्दरगाहों पर बन्दरगाहवार चुराए या उठाए गए उस आयातित उर्वरकों की मात्रा तथा मूल्य निम्नलिखित है, जिसकी हानि हो चुकी है :

1965—कुछ नहीं।

1966—

| बन्दरगाह का नाम | मीट्रिक टन में मात्रा | मूल्य (रुपयों में) |
|---|---|---|
| ट्यूटीकोरीन | 3 (यूरिया) | 1,830 |

1967—

| | | |
|---|---|---|
| काकिनेडा | 32 (यूरिया) | 19,520 |
| | 9 (अमोनियम फास्फेट) | 6,642 |
| | कुल .. | 26,162 |

(ख) जी नहीं।

(ग) जहाज से किनारे तक और ककीनेदा के सभी उतराव स्थानों तक नावों की रक्षा के लिए अब पुलिस की सहायता ली जाती है। चोरी और उठाई गीरी से बचाने हेतु जहाज से सीधा किनारे तक नावों को पहुँचाने के लिए पुलिस रक्षा के साथ पावर टग्ज का प्रयोग भी किया जाता है।

**लघु सिंचाई योजनाएं**

1136. **श्री चेंगलाराया नायडू** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिंचाई कार्य के लिए भूमिगत जल को उपयोग में लाने के उद्देश्य से लघु सिंचाई योजनाओं को वरीयता देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में बड़ी झीलों से पानी लेने के संबंध में अमरीकी विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुत की गई योजना को कार्यान्वित न करने का सरकार ने निर्णय किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब-शिन्दे)** : (क) और (ख)

देश में सिंचित कृषि के विकास में भूमिगत जल का काफी योगदान रहा है। अनुमानतः एक-तिहाई सिंचाई भूमिगत जल से होती है। नलकूप, फिल्टर पुआइन्ट, छिद्रण एवं खुदाई के कुओं तथा उचित गहरे किये हुए कुयें आदि भूमिगत जल विषयक योजनाओं से अधिकांश क्षेत्रों में केवल सुनिश्चित सिंचाई संसाधन ही उपलब्ध नहीं होते अपितु उनसे जल स्तर को बढ़ने से रोकने में भी सहायता मिलती है और यदि जल स्तर को रोका न जाए तो उर्वर भूमि को बड़ी क्षति पहुँच सकती है। इन लाभों को देखते हुए तथा सिंचाई के समुचित विकास को दृष्टि में रखते हुए लघु सिंचाई कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमिगत जल के उपयोग की योजनाओं पर बड़ा बल दिया जा रहा है।

(ग) और (घ)

यह कहना सही नहीं है कि बिहार व उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल के विकास की किसी योजना को क्रियान्वित न करने का निर्णय किया गया है। वस्तुस्थिति यह है जैसा कि निम्नलिखित आँकड़ों से स्पष्ट होता है बिहार तथा उत्तर प्रदेश के जलौढ़ क्षेत्रों में भूमिगत जल के विकास कार्यों को अधिकाधिक गतिमान किया जा रहा है:—

| मद | तीसरी योजना के अन्त में संख्या | 1966-67 में स्थापित किए गए | 1967-68 की अवधि में स्थापित होने की आशा |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **बिहार** | | | |
| 1. खुदाई के कुओं की संख्या | 2,13,879 | 10,263 | 22,000 |
| 2. खुदाई के कुओं का छिद्रण | 6,961 | 3,753 | 10,000 |
| 3. गैर-सरकारी नलकूप | 5,269 | 1,170 | 6,000 |
| 4. राजकीय नलकूप | 11,023 | 52 | 175 |
| 5. पम्प सेट | 18,473 | 21,812 | 27,000 |
| **उत्तर प्रदेश** | | | |
| 1. खुदाई के कुओं की संख्या | 10,54,794 | 84,340 | 70,000 |
| 2. खुदाई के कुओं का छिद्रण | 1,06,106 | 68,469 | 80,000 |
| 3. गैर-सरकारी नलकूप | 23,990 | 24,996 | 21,000 |
| 4. राजकीय नलकूप | 7,689 | 428 | 443 |
| 5. पम्प सेट | 34,283 | 23,180 | 22,000 |

अमरीकी विशेषज्ञों ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसका संबंध गंगा के उत्तरी मैदान के जल संशोधन परीक्षण कार्यक्रम की एक और योजना से है। इसमें भूमिगत जल के सर्वेक्षण तथा परीक्षण को शुरू करने का सुझाव दिया गया है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार के जलौढ़ क्षेत्रों के लिए भूमिगत जल के बारे में काफी दिया पहले ही उपलब्ध है। एक गतिमान विकास कार्यक्रम की सहायता के लिए भमिगत जल के सर्वेक्षण तथा समन्वेषण को गतिमान करने के लिए और कदम उठाए गये है।

**पशु प्रजनन के लिये हरियाना को केन्द्रीय सहायता**

1137. **श्री रणधीर सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिये राष्ट्रीय हित की दृष्टि से बढ़िया नस्ल के पशुओं के प्रजनन को बढ़ावा देने के लिये हरियाना राज्य के लिए पर्याप्त धन का नियतन करने की सरकार की कोई विशेष योजना है;

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नहीं हो तो उसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहिब शिन्दे)** : (क) हरियाना राज्य के लिए केन्द्र द्वारा चलाई जाने वाली दो सघन पशु विकास परियोजनाओं की स्थापना के लिए एक योजना स्वीकृत की गई है।

(ख) योजना की प्रमुख बातों को प्रदर्शित करने वाला एक विवरण नीचे दिया जाता है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

**विवरण**

**गह पशु विकास परियोजना**——हरियाना के करनाल और गुड़गाँव जिलों में दो केन्द्रीय प्रायोजित गहन पशु विकास परियोजनाएँ चालू करने के लिये 1967-68 से 1970-71 की अवधि के लिये

122.97 लाख रु० की अनुमानित लागत रप एक योजना मंजूर की गई है। योजना की मुख्य बातें निम्न हैं।

(1) योजना का उद्देश्य पशु की उत्पादिता में सुधार करना और दूध का उत्पादन बढ़ाना है। पशु विकास और दूध उत्पादन के लिये यह एक व्यापक योजना है और यह पशु विकास के सभी पहलुओं की ओर ध्यान देती है जैसे कि नियन्त्रित प्रजनन, पर्याप्त चारा खिलाना, प्रभावशाली रोक नियन्त्रण, उचित प्रबन्ध तथा विपणन सुविधायें आदि।

(2) गहन पशु विकास क्षेत्रों में उत्पादित दूध के विपणन को सुनिश्चित करने और दिल्ली दुग्ध योजना को देने के लिये दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिये इस परियोजना को दिल्ली दुग्ध योजना से जोड़ा गया है।

(3) 75 प्रतिशत अनुदान और 25 प्रतिशत ऋण के आधार पर इस योजना का सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

**कृषि ऋण निगम**

1138. **श्री गणेश** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने प्रस्तावित कृषि ऋण निगमों के लिये नमूने की एक योजना बनाने के लिये छः सदस्यों का एक कार्यकारी दल बनाया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके सदस्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) उसके द्वारा यह कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी)** : (क) जी हां।

(ख) सरकारी संकल्प की एक प्रति।

सभा पटल पर रखी जाती है (**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1641/67)

(ग) दल ने अपना कार्य पूरा कर दिया है और सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है।

**दहेज प्रथा**

1139. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** :

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि कानून द्वारा दहेज प्रथा पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है किन्तु यह प्रथा अब भी विद्यमान है; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने इस प्रथा को पूर्णतया समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

**विधि उपमंत्री (श्री मोहम्मद यूनुस सलीम)** : (क) कुछ ऐसी शिकायतें हैं कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 के होते हुए दहेज पद्धति प्रवर्तमान है।

(ख) दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 का प्रशासन, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के हाथ में है। इनमें से किसी भी सरकार ने इस अधिनियम के संशोधन के लिए, अब तक कोई सुझाव नहीं दिया है।

**खाद्यान्नों का अन्तर्राज्य व्यापार**

1140. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी** : क्या **खाद्य** तथा **कृषि मंत्री** यह यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य अनाज, दालों और तिलहनों के अन्तर्राज्य व्यापार पर शुल्क लगा सकते हैं;

(ख) यदि नहीं, तो क्या राज्य विभिन्न नामों, जैसे मुख्य मंत्री का सहायता कोष अथवा ऐसे ही किसी अन्य कोष के अन्तर्गत उपर्युक्त शुल्क लगा सकते हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात का पता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने दालों और गुलाबी चने पर क्रमश: 5 रुपये और 30 रुपये प्रति क्विन्टल के हिसाब से निर्यात शुल्क लिया है और उस राशि को मुख्य मंत्री के सहायता कोष के लिये अंशदान का नाम दिया है;

(घ) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि उपर्युक्त धनराशि स्टेट बैंक आफ इंडिया में जमा कराई गई थी और उसके पश्चात् परमिट जारी किये गये थे;

(ङ०) क्या मध्य प्रदेश से चने और दालें बाहर ले जाने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति लेनी जरूरी होती है;

(च) यदि हां, तो क्या ऐसी अनुमति ली गई थी; और

(छ) गैर-कानूनी तौर से वसूल की गई उपर्युक्त राशि के संबंध में यदि कोई कार्यवाही करने का विचार है तो क्या ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) और (ख) खाद्यान्न, दालों और तिलहन के अन्तर्राज्यिक व्यापार पर राज्य सरकारें सीधे रूप से या किसी अन्य नाम के अन्तर्गत कर वसूल नहीं कर सकती हैं।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार ने सूचना दी है कि उसने दालों और गुलाबी चनों के निर्यात पर शुल्क नहीं लिया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ०) और (च) किसी भी खाद्यान्न के विनियमन के लिये केन्द्र की आज्ञा आवश्यक है। चनों को छोड़ कर दालों के वहन पर कोई रोक नहीं है और उन्हें मध्य प्रदेश से बाहर ले जाने के लिये किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश से चना बाहर ले जाने पर रोक लगाने के लिये राज्य सरकार द्वारा केन्द्र की अनुमति ली गई थी।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता।

## बिना लाइसेंस के तार यन्त्र (वायरलेस सेट)

1142. **श्री कृष्णमूर्ति**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में बिना लाइसेंस के कुल कितने नभोवाणी यन्त्र (वायरलेस सेट) हैं; और

(ख) क्या सरकार का विचार दोषी को एक मौका देने का है; ताकि वे बिना कोई जुर्माना दिए निश्चित अवधि के अन्दर लाइसेंस प्राप्त कर लें?

**संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)**: (क) यह पता नहीं है कि भारत में बिना लाइसेंस के कितने रेडियो सेट हैं तथापि 31-3-1967 को समाप्त होने वाले वर्ष में 1,18,000 बिना लाइसेंस वाले रेडियो सेटों का पता लगा था।

(ख) बिना लाइसेंस वाले रेडियो सेटों के मालिकों को विमुक्ति देने के प्रश्न पर विचार किया गया था परन्तु ऐसा करना ठीक नहीं पाया गया।

**डाक और तार क्लर्कों के विरुद्ध लेख याचिकाएं**

1143. **श्री नायनार :** **श्री प० गोपालन :**

**श्री चक्रपाणी :** **श्री अ० क० गोपालन :**

**श्रीमती सुशीला गोपालन :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भूतपूर्व राज्य अधिकारियों ने त्रिवेन्द्रम इंजीनियरिंग डिवीजन के भूतपूर्व क्लर्कों की भूतलक्षी वरिष्ठता निर्धारित करने तथा उनको स्थायी बनाने के बारे में भारत सरकार तथा डाक व तार विभाग के नियमित क्लर्कों के विरुद्ध केरल उच्च न्यायालय में लेख याचिकाएँ तथा अपील दायर की थीं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार लेख याचिका संख्या ओ० पी० 906/64 जिसकी डिक्री 30 दिसम्बर, 1965 को हुई थी और उसपर हुई अपील संख्या डब्लू० ए० 108/66 जिसकी डिक्री 8 अगस्त, 1967 को हुई थी, में सफल हो गई है;

(ग) क्या एक अन्य भूतपूर्व राज्य कर्मचारी ने उसी मामले में लेख याचिका संख्या 1966 की पी० 2783 दायर की थी जिसकी डिक्री 10 अगस्त, 1967 को हुई थी;

(घ) क्या ओ० पी० 2783/66 के विरुद्ध केन्द्रीय सरकार ने समय पर शपथपत्र नहीं दिया था और उच्च न्यायालय को भारत सरकार को इस मामले को विभाग के नियमों तथा विनियमों अनुसार निपटाने का निर्देश देना पड़ा था; और

(ङ) यदि हाँ, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)**: (क) से (ङ) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०** 1641/67]।

**पूतकी कोयला खान में काम रोको हड़ताल**

1145. **श्री मुहम्मद इस्माइल :** **श्री गणेश घोष।**

**श्री अ० क० गोपालन :** **श्री सत्य नारायण सिंह :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद के निकट पूतकी कोयला खान के कर्मचारी 23 अक्तूबर, 1967 से काम रोको हड़ताल पर थे;

(ख) यदि हाँ, तो उनकी माँगें क्या थीं;

(ग) कितने कर्मचारी हड़ताल पर थे; और

(घ) विवाद को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हाँ।

(ख) हड़ताल के समय श्रमिकों की कोई भी शिकयतें/माँगें केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के अधिकारियों के पास अनिर्णीत नहीं पड़ी थीं। परन्तु कुछ खनिकों ने जिनकी कोयला खान में काम उपलब्ध न होने के कारण बदली हो गई थी, बदली का विरोध किया और जबरी-छुट्टी के मुआवजे की माँग की।

(ग) 417 श्रमिक।

(घ) केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के अधिकारियों ने स्थिति पर कड़ी निगाह रखी और काम रोको हड़ताल बिना शर्त के 27 अक्तूबर, 1967 को समाप्त कर दी गई। यह मामला समझौते के लिए भेज दिया गया है।

**कर्मचारी राजकीय बीमा योजना के अधीन अस्पताल**

1147. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1964 में रिंग रोड पर स्थित बसेदरपुर नामक गाँव में कर्मचारी राजकीय बीमा योजना के अधीन एक अस्पताल खोलने का सरकार ने निर्णय किया था;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि प्रस्तावित अस्पताल वर्ष 1965–66 में तैयार हो जायेगा;

(ग) यदि हाँ, तो क्या प्रस्तावित अस्पताल आरम्भ कर दिया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार ने इस कार्य को शीघ्रतापूर्वक कराने के लिये क्या कार्यवाही की है?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हाँ।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) ले-आउट प्लान के अनुमोदन के लिए दिल्ली नगर निगम की शर्तें कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और अस्पताल के भवन के लिए प्लान बनाने की कार्यवाही शुरू की जा रही है।

**कर्मचारी राजकीय बीमा औषधालय कर्मपुरा (दिल्ली)**

1148. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में कर्मपुरा के कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय के कार्य के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हाँ, तो शिकायतें क्या हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हाँ।

(ख) शिकायतें इस प्रकार हैं:—

(i) कर्मचारियों की कमी और उनका अशिष्ट व्यवहार।

(ii) दवाइयों की कमी और उनकी सप्लाई में देरी।

(iii) उपकरणों के विसंक्रमण की सुविधाओं का अभाव।

(iv) दवाखानों में विशेषज्ञों की सुविधाओं का अभाव।

(v) एक्स-रे यंत्र की आवश्यकता।

(vi) शिकायत पुस्तक की अप्राप्यता।

(vii) बल्बों की अप्राप्यता।

(viii) दवाखानों में रोगियों के लिए बैठने की व्यवस्था की आवश्यकता।

(ix) अतिरिक्त अस्पताल गाड़ी की आवश्यकता।

(ग) (i) कर्मचारियों की संख्या की स्थिति पर अक्सर विचार किया जाता है और जब कभी जरूरत होती है तो कर्मचारियों को नियुक्ति की जाती है। वैयक्तिक शिकायतों की जाँच की गई है और की जा रही है। कुछ वैयक्तिक शिकायतों का कोई आधार नहीं था और अन्य शिकायतों का निवारण कर दिया गया है और किया जा रहा है।

(ii) स्थानीय रसायनज्ञ नियुक्त करके औषधियों की कमी को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(iii) उपकरणों के विसंक्रमण की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है।

(iv) चिकित्सा विशेषज्ञ को 1-8-1967 से सप्ताह में दो बार दवाखाने में आने के लिए कहा गया है।

(v) एक एक्स-रे यंत्र लगा दिया गया है, जो शीघ्र ही काम करना शुरू कर देगा।

(vi) दवाखाने में एक शिकायत बक्स है और रहता आया है।

(vii) और बल्ब सप्लाई किए जा चुके हैं।

(viii) बैठने की व्यवस्था पहले से ही विद्यमान है।

(ix) अतिरिक्त अस्पताल गाड़ी के मामले पर विचार किया जा रहा है।

## श्रम विधियों का संहिताकरण

1149. **श्री भोरेश्वर कलिता** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्तमान श्रमविधियों का एक ही अधिनियम में संहिताकरण करने के प्रस्ताव के संबंध में विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस विधेयक के संसद में कब तक पुरः स्थापित होने की संभावना है?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## मुस्लिम स्वीय विधि का संहिताकरण

1150. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मुस्लिम स्वीय विधि को संहिताबद्ध करने का है;

(ख) क्या यह सच है कि सभी प्रगतिशील मुसलमान तथा अधिकतर मुसलमान औरतें इस विधि के संहिताकरण के पक्ष में हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं?

**विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)**: (क) अभी ऐसी कोई प्रस्थापना नहीं है।

(ख) अब तक जो स्थिति अधिनिश्चित की गई है, वह इस सदन में 25 जुलाई, 1967 को दिए गए तारांकित प्रश्न सं० 1377 के भाग (क) के उत्तर में बताई जा चुकी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**दिल्ली में मजदूरों के लिये मकान**

1151. **श्री कंवर लाल गुप्त**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि दिल्ली में मजदूरों के लिए मकानों की बहुत कमी है और कुछ मिल मालिकों ने पिछले 10 वर्षों से अपने मजदूरों के लिए क्वार्टर नहीं बनवाये हैं;

(ख) क्या सरकार को इस बात का भी पता है कि इन मिलों के क्वार्टरों में और विशेषकर बिड़ला मिल्स के क्वार्टरों में बिजली, पानी और शौचालयों जैसी मूलभूत सुविधाओं की भी पर्याप्त व्यवस्था नहीं है;

(ग) क्या बाड़ा हिन्दू राव में दिल्ली कपड़ा मिल की चिमनी से अत्यधिक धुआँ निकलता है जिसका पास में रहने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है; और

(घ) यदि हाँ, तो उपरोक्त सभी कठिनाइयों को दूर करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी)**: (क) जी हाँ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा की मेज़ पर रख दी जायगी।

(ग) दिल्ली प्रशासन को इस चिमनी के धुएं से उत्पन्न मुसीबत के बारे में एक शिकायत प्राप्त हुई है।

(घ) दिल्ली प्रशासन का औद्योगिक श्रमिकों के लिए शाहदरा में 880 और ओखला में 1184 मकान बनाने का विचार है। 29,000 और क्वार्टर बनाने की एक योजना भी उसके विचराधीन है।

जहाँ तक धुएं की मुसीबत का सम्बन्ध है, दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली क्लाथ मिल्स की चिमनी का निरीक्षण करने के लिए चीफ इन्सपेक्टर आफ बायलर्स को भेजा। उसके कहने पर मैनेजमेंट ने चिमनी में कुछ सुधार कर दिया है और इस चिमनी के धुएं द्वारा उत्पन्न मुसीबत को दूर करने के लिए और भी कार्यवाही की जा रही है।

**दिल्ली में टेलीफोन सेवा के विरुद्ध शिकायतें**

1152. **श्री कंवर लाल गुप्त**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पाँच महीनों में दिल्ली के डाक और तार विभाग के विरुद्ध सरकार को टेलीफोन सेवा के बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई;

(ख) ये शिकायतें किस प्रकार की हैं;

(ग) क्या यह सच है कि अधिकांश शिकायतों के बारे में जाँच नहीं की गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि जिन मामलों में जाँच की गई थी, उनके परिणाम शिकायत करने वालों को नहीं बताये गए; और

(ङ) दिल्ली में टेलीफोन सेवा में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

**संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)**: (क) जून से अक्तूबर, 1967 के दौरान महाप्रबन्धक टेलीफोन, दिल्ली को कुल मिलाकर 2320 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। ये शिकायतें सामान्य रूप से इस बारे में थीं कि 198 नम्बर पर की गई शिकायतों की ओर

तुरन्त ध्यान नहीं दिया गया।

(ख) टेलीफोन सेवा के विरुद्ध शिकायतें निम्न मुख्य श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं:

1. स्थानीय त्रुटियों को दूर करने में विलम्ब।

2. "मैनुअल" या "ओटो मैनुअल" बोर्डों पर स्थानीय कालों का उत्तर देने या उन्हें अंकित करने में विलम्ब।

3. ट्रंक कालों के मिलाने में विलम्ब।

4. ट्रंक कालों की गलत अवधियाँ।

5. टेलीफोन कनेक्शनों के आवंटन में विलम्ब।

6. अधिष्ठापन और स्थान बदलने में विलम्ब।

7. विवादास्पद मीटर रीडिंग ।

8. स्थानीय तथा ट्रंककाल बिलों में अशुद्धियाँ।

9. कनेक्शनों का गलत तरीके से काटा जाना (बिलों का भुगतान करने के बाद)।

10. विभागीय कर्मचारियों की अशिष्टता, लापरवाही आदि।

11. टेलीफोन डाइरेक्टरी में गलत प्रविष्टियाँ।

(ग) जी नहीं। शिकायतों की हमेशा जाँच की जाती है।

(घ) जी नहीं। जाँच के परिणाम सामान्यतः शिकायत करने वालों को भेज दिए जाते हैं।

(ङ) अधिकांश शिकायतों का सम्बन्ध स्थानीय दोषों और विवादास्पद मीटर रीडिंग से है। उचित संधारण द्वारा स्थानीय दोषों को कम करने की कार्यवाही की गई है। 80 प्रतिशत मामलों में अब स्थानीय त्रुटियों को 2 घंटे के भीतर ही ठीक किया जा रहा है। मीटर रीडिंग की संख्या को बिलों में दिया जा रहा है ताकि ग्राहक अपने रिकार्डों से उसकी पड़ताल कर सकें। आशा की जाती है कि इससे मीटर रीडिंग सम्बन्धी शिकायतें कम हो जायेंगी। सामान्य सेवा में सुधार करने के लिए अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। अब तक जो उपाय किए गए हैं उसके परिणामस्वरूप जून से सितम्बर, 1967 की शिकायतों की औसत 511 से कम हो कर अक्तूबर, 1967 में 275 हो गई है।

**सहकारिता के आधार पर दुग्धशालाओं और मुर्गीपालन केन्द्रों के लिये वित्तीय सहायता**

1153. **डा० रानेन सेन**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ राज्य सरकारों को आश्वासन दिया है कि केन्द्र राज्यों के सहकारी आधार पर दुग्धशालायें तथा मुर्गीपालन केन्द्र खोलने के लिए धन देगा;

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रयोजन के लिये कितने राज्यों ने अपनी योजनायें दी हैं; और

(ग) इन योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं; और उन पर क्या कार्यवाही की गई है?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) सहकारी आधार पर डेरियाँ और मुर्गी पालन केन्द्र स्थापित करने के लिए उदार केन्द्रीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी राज्य सरकार को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्य सरकारों को कहा है कि वे सहकारी समितियों द्वारा उनकी योजनाओं में शामिल किए विभिन्न डेरी और मुर्गीपालन कार्यक्रमों की क्रियान्विति को

प्रोत्साहन दें और उनको यह सुझाव दिया है कि उद्देश्य डेरी और मुर्गीपालन कार्यक्रमों के लिए निश्चित किए गए योजना संसाधनों के 75 प्रतिशत को उपयोग में लाने के लिए एक मजबूत सहकारी क्षेत्र निर्माण करना होना चाहिये। मुर्गीपालन और सहकारी समितियों की योजनाओं पर कृषि पुनर्वित्त निगम से ऋण के रूप में वित्तीय सहायता मिल सकती है। डेरी सहकारी समितियों की सहायता के लिए हाल ही में एक योजना बनाई गई है और निगम ने उसे सभी राज्य सरकारों को भेजा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

**खाद्यान्न की खपत**

1154. **डा० रानेन सेन**: क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पोषाहार प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा हाल ही में प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार भारत में गत दस वर्षों (1953–1963) में खाद्यान्न विशेषकर अन्न और दालों की खपत में कमी हुई है; और

(ख) यदि हाँ, तो लोगों को खाद्यान्न की अन्य वस्तुयें सप्लाई करके इस कमी को पूरा करन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) और (ख) पोषाहार प्रयोगशाला, हैदराबाद द्वारा प्रकाशित किए गए ऐसे किन्हीं आँकड़ों का पता नहीं चल सका। 1953–63 के वर्षों के दौरान वास्तविक खाद्य की खपत के कोई अन्य आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1962 में खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति उपलब्धता 169 किलोग्राम थी जबकि 1953 में 150 किलोग्राम थी। 1953 में यह घट कर 161 किलोग्राम हो गई, परन्तु 1965 में यह फिर बढ़ कर 173 किलोग्राम हो गई।

देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए और खाद्यान्न के स्थान पर अन्य वस्तुएं उपयोग करने के लिये निरन्तर रूप से प्रयत्न किए जा रहे हैं।

**तंजौर जिले में धान सुखाने की मशीनें लगाना**

1155. **श्री चपलाकान्त भटटाचार्य**: क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने मद्रास राज्य में तंजौर जिले में 1 करोड़ रुपए की लागत से धान सुखाने मशीनें की 30 लगाने की व्यवस्था की है;

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) उन्हें कब चालू किया जायेगा?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) जी हाँ।

(ख) भारत के खाद्य निगम द्वारा तंजोर जिले में 30 मैकनिकल ड्राइंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। इन केन्द्रों के स्थान संलग्न विवरण में दिए गए हैं। (**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1642/67**)। प्रत्येक केन्द्र में धान सुखाने की दो मशीनें होंगी और सम्बन्धित उपकरण द्वारा और गोदाम भी होंगे।

प्रत्येक केन्द्र की प्रति दिन 160 टन धान सुखाने की क्षमता होगी। आशा है कि परियोजना की कुल अनुमानित लागत लगभग 110 लाख रु० होगी।

(ग) 30 में से 15 केन्द्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और आशा है कि शेष 30 नवम्बर, 1967 से पहले ही चालू हो जायेंगे।

**खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा उर्वरकों की सप्लाई**

1156. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का खाद्य तथा कृषि संगठन भारत में 'भख से मुक्ति" अभियान के लिए 85,080 डालर के मूल्य का उर्वरक सप्लाई करेगा; और

(ख) उर्वरक की सप्लाई के लिए राशि किसने दी है?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) जी हाँ। संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य तथा कृषि संगठन द्वारा दिए जाने वाले उर्वरकों का मूल्य 85,348 डालर होगा, न कि 85,080 डालर।

(ख) आस्ट्रेलिया की 'भूख से मुक्ति' अभियान समिति द्वारा यह निधि दी गई है।

**आसाम में प्रव्रजक**

1157. **श्रीमती ज्योत्सना चन्दा**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आसाम में वर्ष 1967 में आये नये परिवारों के लिये शिविरों की व्यवस्था पर तथा उन्हें अन्य प्रकार की सहायता देने पर खर्च करने के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ख) क्या नौगाँव जिले में पूर्वी पाकिस्तान से आये नये प्रव्रजक परिवारों के लाभ के लिये 3.2 किलो मीटर लम्बी नई सड़क बनाने और 9.66 किलोमीटर लम्बी वर्तमान सड़कों की तथा पुलों की मरम्मत तथा पुनर्निर्माण पर खर्च के लिये 1.50 लाख रुपये मंजूर किये गये हैं; और

(ग) आसाम के अन्य जिलों के लिये जिन में नये प्रव्रजक शिविरों में रह रहे हैं या वैसे बस गये हैं, कितनी धनराशि नियत की गई है?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: (क) और (ग) चालू वित्तीय वर्ष में आसाम सरकार को पुनर्वास कार्य के लिये 75.20 लाख रु० दिये गये थे। पुनर्वास कार्यक्रमों के अतिरिक्त उसको 32.82 लाख रु० दिये गये हैं। सहायता तथा पुनर्वास कार्यक्रमों के लिये प्रतिरिक्त आबंटन करने सम्बन्धी उनकी प्रार्थनाएँ विचाराधीन हैं। जिलावार आबंटन बताना संभव नहीं है क्योंकि उनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन आदि के लिये दी गई एक मुश्त रकमें भी शामिल हैं।

ये रकमें, 1967 से पूर्व तथा 1967 के दौरान शिविरों में दाखिल किये गये परिवारों के लिये सहायता कार्यक्रमों के लिये उपलब्ध हैं।

(ख) जी हाँ

**संकर बीज का उत्पादन**

1158. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में नियमित रूप से संकर बीज उत्पादन उद्योग की स्थापना करने की दृष्टि से विशेषज्ञों का एक दल अमरीका भेजा है;

(ख) यदि हाँ, तो उस दल में कौन-कौन व्यक्ति हैं;

(ग) क्या गैर-सरकारी फर्मों के वे प्रतिनिधि, जो संकर बीज तैयार कर रहे हैं, भी इस दल में शामिल किये गये हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) बीज उत्पादन, विधायन, प्रमाणीकरण, विपणन, बीज परीक्षण, बीज के नियमों को लागू करने तथा एक सुदृढ़ बीज उद्योग के विकास के लिए विभिन्न आवश्यक रूप रेखायें तैयार करने और कृषकों को सर्वोत्तम व उच्च कोटि के बीज उपलब्ध करने के बारे में एक दीर्घकालीन नीति तैयार करने व विभिन्न निकायों के उत्तरदायित्वों को तय करने का प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन रहा है। अतः मौजूदा स्थिति पर विस्तृत विचार करने तथा भविष्य के बारे में सिफारिशें करने के लिए एक बीज मूल्यांकन दल की नियुक्ति की गई है। इस समय दल विदेशों, जिनमें अमरीका भी शामिल है, का भ्रमण कर रहा है (राकफैलर संस्थान ने दल के लिए विदेशी मुद्रा देना स्वीकार कर लिया है)।

(ख) दल की रचना निम्न प्रकार है:—

(1) श्री आई० जे० नायडू,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार, कृषि विभाग — नेता

(2) डा० एच० आर० एगाकेरी,
कृषि निर्देशक, मैसूर

(3) डा० आर० एल० पालिवाल,
उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पंतनगर

(4) डा० अनांद सावंत,
आफिसर आन स्पैशल, डियूटी;
संकर बीज अनुसंधान व उत्पादन, महाराष्ट्र सरकार

(5) श्री बी० आर० बारवाले
चीफ एक्जीक्यूटिव एण्ड मैनेजिंग पार्टनर,
महाराष्ट्र संकर बीज निगम, जालना (महाराष्ट्र)

(6) श्री सी० जी० रामनाथन,
स्पैशल डायरेक्टर, ई०आई० डी०,
पैरी एण्ड कम्पनी, मद्रास

(7) श्री जे० वीराराघवन, — सदस्य-सचिव
मुख्य प्रशासकीय अधिकारी,
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, नई दिल्ली।

(ग) जी हाँ। गैर-सरकारी फर्मों के दो प्रतिनिधि लिए गए हैं। वे हैं महाराष्ट्र संकर बीज निगम के श्री बी० आर० बरवाली तथा पैरी एण्ड कम्पनी के श्री सी० जी० रामनाथन।

(घ) अन्य बातों के साथ-साथ यह दल विभिन्न स्तरों पर बीजों के विपणन विकास का भी पुनर्विलोकन करेगा और केन्द्रीय व राज्य सरकारों की एजेंसियों तथा बीज उत्तपादन, प्रक्रिया व वितरण संबंधी सहकारी व गैर-सरकारी एजेंसियों के कार्यकलापों पर विचार करके एक स्वस्थ बीज उद्योग के शीघ्र विकास के विषय में सिफारिशें करेगा। इसलिए दल में गैर-सरकारी बीज उद्योग के प्रतिनिधियों को शामिल करना आवश्यक समझा गया है।

**भेड़ों की नस्ल में सुधार**

1159. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊन उत्पादक राज्यों में भेड़ों की नस्ल सुधारने के लिये कोई योजना बनाई गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) ऊन उत्पादक राज्यों में भेड़ों के विकास के सम्बन्ध में कई योजनाएँ शुरू की गई हैं। इसके अतिरिक्त ऊन कटाई, ऊन का क्रमीकरण तथा विपणन सम्बन्धी एक विशेष कार्यक्रम को जो राजस्थान में पहले ही शुरू किया हुआ है जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के संघ क्षेत्र में भी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (विशेष निधि) को सहायता से चालू करने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अधिकारी विचार कर रहे हैं।

(ख) ये योजनाएँ भेड़ प्रजनन फार्मों की स्थापना विस्तार, भेड़ तथा ऊन विस्तार केन्द्रों की स्थापना, पारजैविक पीड़ा को नियंत्रित करने हेतु भेड़ों को औषधि पिलाने के लिए शुरू की गई हैं। ऊन-कटाई, ऊन के क्रमीकरण तथा विपणन सम्बन्धी कार्यक्रम में प्रशिक्षण, संगठनात्मक तथा प्रदर्शनात्मक अंश शामिल हैं। ऊन-कटाई, ऊन इकट्ठी करना, क्रमीकरण तथा निपटान, ऊन उपयोगिता तथा भेड़ पालन में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। भेड़ प्रजनन फर्मों की स्थापना और पुर्नगठन में, भेड़ों के समूहों के सुधार, भेड़ों के चरने के लिए चरागाहों की स्थापना में चारे के संरक्षण और ऊन-कटाई, ऊन क्रमीकरण तथा निपटान सम्बन्धी संगठनों की स्थापना में भाग लेने वाले राज्यों को सलाह तथा सहायता देने का प्रस्ताव है। भेड़ पालन तथा भेड़ प्रजनन में विकास कार्यक्रम देशीय भेड़ों के सुधार में सहायता देना जिनसे बेहतर ऊन का उत्पादन होगा।

**फ्रीक लिफाफे (ऐसे लिफाफे जिन पर छपाई ठीक नहीं)**

1160. **श्री रा० स्व० विद्यार्थी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 पैसे के फ्रीक लिफाफे हाल में लोगों को बेचे गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उनके स्थान पर दूसरे लिफाफे दे दिये हैं ;

(ग) इसके लिये उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(घ) भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न होने पायें, इसके लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य-मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) से (घ) लोगों को कुछ खराब लिफाफे बेचे जाने की खबरें समाचार पत्रों में आई हैं। एम्बोस्ड लिफाफे नासिक सुरक्षा मुद्रणालय द्वारा तैयार किये जाते हैं। सुरक्षा मुद्रणालय नियमित रूप से जाँच करता है और यदि इसके बावजूद भी लोगों द्वारा कुछ खराब लिफाफे खरीद लिये जाते हैं तो लोग उन्हें डाकघरों के काउन्टर पर बदलवा सकते हैं।

**रेगिस्तान का सुधार**

1161. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेगिस्तान के सुधार और उसके कृषि प्रयोजनों हेतु संरक्षण के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) क्या जयपुर में हाल ही में हुए सम्मेलन में इस प्रयोजन हेतु कृषि **ऋण** निगम स्थापित करने का सुझाव दिया गया है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) भारत सरकार ने देश के रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए एक रेगिस्तान विकास बोर्ड की स्थापना की है जिसका मुख्य कार्यालय जोधपुर में है। यह बोर्ड राज्य सरकारों की निकायों के माध्यम से रेगिस्तान के विकास की योजनाओं को कार्यरूप देने का प्रबन्ध करेगा। राज्य सरकारों को रेगिस्तानी क्षेत्रों के विकास के लिए उचित प्रयोगात्मक परियोजनायें तैयार करने के विषय में प्रार्थना की गई है। शुरू में गुजरात, राजस्थान तथा हरियाणा राज्यों में प्रयोगात्मक परियोजनायें शुरू करने का प्रस्ताव है। कृषि, पशुपालन, रेत के टीलों के स्थायीकरण करने, नर्सरी स्थापित करने, ऊन कतरने तथा उसका वर्गीकरण करने के केन्द्रों की स्थापना करने आदि कार्यों के विकास पर बल दिया जायेगा।

(ख) और (ग) : कुछ समय से भारत सरकार उन राज्यों में कृषि ऋण निगम की स्थापना करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जहाँ सहकारी अभियान कमजोर है। एक मार्गदर्शी योजना तैयार करने के लिए खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय में एक कार्यकारी दल की स्थापना की गई है। यह योजना अक्तूबर, 1967 में आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा मणिपुर राज्यों को भेजी गई थी और उसके बारे में उनकी टिप्पणियाँ माँगी गई थी। वित्त मंत्रालय ने भी कृषि ऋण निगम की स्थापना के बारे में विधान का प्रारूप तैयार करके टिप्पणी हेतु उपरोक्त राज्यों को भेज दिया है। विधान के इस प्रारूप तथा मार्गदर्शी योजना के बारे में राज्य सरकारों की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है।

विश्वविद्यालय के तत्वाधान में 27 से 29 अगस्त, 1967 तक कृषि विकास के लिए सहकारी रूप से वित्त व्यवस्था करने (और विशेषकर राजस्थान के लिए) के लिए एक सेमिनार की व्यवस्था की गई थी। सेमिनार ने इस विषय पर भी विचार किया था। इसने भी राजस्थान में एक कृषि ऋण निगम की स्थापना करने का प्रस्ताव सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया था।

**पुनर्वास उद्योग निगम**

1162. **श्री प्रेम चन्द वर्मा**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 3620 विस्थापित व्यक्तियों को रोज़गार दिलाने के लिये पुनर्वास उद्योग निगम ने विभिन्न उद्योगों को ऋण दिया था;

(ख) क्या 31 अगस्त, 1966 तक पुनर्वास उद्योग निगम के माध्यम से केवल 2309 विस्थापित व्यक्तियों को रोज़गार मिला;

(ग) क्या यह भी सच है कि बंगाल टेक्स्टाइल मिल्स ने, जिनको पुनर्वास उद्योग निगम ने जुलाई' 1963 में 12.35 लाख रुपये का ऋण दिया था, अपनी मिलें 10 जून, 1965 को बन्द कर दी थीं और ऋण अभी तक नहीं लौटाया है;

(घ) क्या पुनर्वास उद्योग निगम ने मैसर्स सीताराम राइस मिल्स और मैसर्स बुदनि एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को उसकी अपनी पूंजी का पता लगाये बिना कई बार ऋण दिया था और क्या ये मिलें ऋण प्राप्त करने के थोड़े समय बाद बन्द हो गई थीं जिसके फलस्वरूप 2½ लाख रुपये से भी अधिक राशि की हानि हुई; और

(ङ०) यदि हाँ, तो सरकार को हुई इतनी अधिक हानि और विस्थापित व्यक्तियों को रोज़गार न मिलने से हुई हानि के लिये कौन जिम्मेदार है और क्या उन लोगों के, जो ज़िम्मेदार थे, विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई थी ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: (क) जी, हाँ,

(ख) 31 अगस्त, 1966 को 3620 के लक्ष्य के स्थान पर वास्तव में 2360 विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार मिला ।

(ग) 14.2.1962 और 9.7.1963 के बीच की अवधि में बंगाल टैक्सटाइल मिल्स को वास्तव में 9,34, 335 रुपये 84 पैसे की राशि दी गई। प्रबन्धकों ने श्रमिक अशान्ति के कारण 10 जून, 1965 से मिल में तालाबन्दी की घोषणा कर दी थी। मिल 12 फ़रवरी, 1965 से पुनः चालू हो गई थी। इस कम्पनी ने मूलधन की देय 3.80 लाख रुपये की राशि में से 95,000 रुपए की राशि अब तक वापस कर दी है।

(घ) और (ङ) जी नहीं। 22.12.1962 को मैसर्स सीताराम राइस मिल को 20,000 रुपए दिये गये थे। मालिकों ने 23.10.1963 को कारखाना बन्द कर दिया क्योंकि वह काम करने योग्य पर्याप्त धन नहीं जुटा सका। समस्त ऋण तथा अन्य देय राशि के लिये फर्म के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया गया था और न्यायालय ने पुनर्वास उद्योग निगम के पक्ष में डिग्री देदी है, जिसमें दिसम्बर, 1967 तक देय राशि देने के लिये कहा गया है। ऋण के लिये पर्याप्त जमानत है। जहाँ तक मैसर्स बुदीन एण्ड कम्पनी का सम्बन्ध है, इसके बारे में 1967 के लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) में एक पैराग्राफ (कण्डिका) में इसका उल्लेख है। पुनर्वास उद्योग निगम से विस्तृत जानकारी माँगी गई है। जब सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति पुनर्वास विभाग के प्रतिनिधियों की साक्ष्य लेगी, तब पूर्ण तथ्य उसके समक्ष प्रस्तुत कर दिये जायेंगे।

**Smuggling in Foodgrains In the Capital**

1163. **Shri Hukum Chand Kachwai** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8221 on the 8th. August, 1967 and state :

(a) whether the cases and enquiries against the persons, who indulged in the smuggling of foodgrains in the Capital, have since been finalised ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time likely to be taken in this connection ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde)** : (a) to (c) : The infomation is being collected from the Delhi Administration and would be placed on the Table of the Sabha as soon as it is received.

**Deaths in Deoria District U. P.**

1164. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 200 persons have died due to starvation in Deoria district of Uttar Pradesh during the last two months ; and

(b) if so, the action taken by the Central Government in regard thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde):**

(a) : The Uttar Pradesh Government have reported that no starvation death has taken place in Deoria district.

(b) Does not arise.

**Wheat and Sugar Quota for States**

1165. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state the quota of sugar and wheat supplied by the Central Government to Himachal Pradesh, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh respectively during the last three months ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasaheb Shinde)** :

The quantities of wheat supplied to Himachal Pradesh, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh during the last three months were as under :

**Figures in thousand tonnes**

| | |
|---|---|
| Himachal Pradesh | 25.9 |
| Madhya Pradesh | 93.4 |
| Uttar Pradesh | 173.1 |

The quotas of sugar allotted by the Central Government to these three States for the said period were :—

| | |
|---|---|
| Himachal Pradesh | 2.5 |
| Madhya **Pradesh** | 29.4 |
| Uttar Pradesh | 53.5 |

**Bogus Votes Cast during the Fourth General Election**

1166. **Shri Hukam Chand Kachwai.** Will the **Minister of Law** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 6602 on the 25th July, 1967 and state :

(a) whether the lists of bogus votes cast during the Fourth General Elections have been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the number of persons involved and the action taken against them ?

**Minister of Law (Shri Govind Menon)** :(a) A Statement showing the number of cases of tendered votes and number of cases in which indentity of voter was successfully challenged is placed on the Table of the House. (**Placed in Library See No.** LT-1643/67).

(b) Bogus voting can take place either by impersonation a dead or absent voter or a voter who has yet to cast the vote. In the former case it is not possible to find out whether impersonation has actually taken place unless an election petition is filed. In the latter case the persons who are said to have impersonated would have already cast his vote and the person who claims to be the real voter is given only a tendered ballot paer, which is not put into the box and counted. Even here it cannot be said which of the two persons is the real voter. Thus the number of tendered votes will not give a correct idea of the number of cases of impersonation. In the case of challenged votes also, as the persons whose identity is successfully challenged are not allowed to vote, impersonation does not take place. Thus it is not possible to indicate the number of cases of bogus voting. The number of cases of tendered votes can at least give an approximate idea. The evil of impersonation indicated by tendered votes is only .03% of the total electorate.

(c) The total number of persons whose identity was successfully challenged was 5,202. According to the standing instructions of the Commission, all such persons have to be prosecuted before Criminal Courts.

**Hindi Assistant in Labour and Rehabilitation Ministry**

1168. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Hindi Assistants in his Ministry and its subordinate offices have been deployed for work other than Hindi work while there is sufficient Hindi work in his Ministry ; and

(b) whether it is proposed to put all these Hindi Assistants on Hindi work ?

**The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi)** : (a) and (b) Assistants for Hindi work are engaged on Hindi work. If at some time there is insufficient Hindi work they are put on other work consistant with their qualifications rather than lay them off.

**Employment Opportunities in Rural Areas**

1169. **Shri Molahu Prasad** : Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the rents of houses have gone up in cities all over the country ;

(b) if so, whether it is also a fact that the constant increase in house rents in cities is mainly due to the reason that the persons come from rural areas on account of unemployment and settle in cities ; and

(c) if so, the measures proposed to be adopted to increase employment opportunities in the rural areas with a view to solve this problem ?

**The Minister of Labour and Rehabilitation (Shri Hathi) (a) :** Yes.

(b) The rents in urban areas have shown increase due to various reasons such as mounting cost of construction, increasing demand for residential accommodation, progressive increase in the urbanisation of the country as a result of various developments taking place. It may also be partly due to the migration of some unemployed from the rural areas to the urban areas in search of job opportunities but no precise information is available in this regard.

(c) Various development programmes in the rural areas are being undertaken in the field of agriculture, village and small industries, rural roads, rural housing, rural industries etc. to provide more employment opportunities to the unemployed in the rural areas. The rural works programme is also likely to provide additional employment to agricultural labour in the off-season.

## गन्ने के मूल्य में वृद्धि

1170. **श्री कामेश्वर सिंह :** **श्री श्रीधरण :**
**श्री एस० एम० जोशी :** **श्री विश्वम्भरन :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र राज्य कृषि निगम की कारखानों को दिये जाने वाले गन्ने का मूल्य बढ़ाकर 120 रुपये प्रति टन करने की माँग को स्वीकार कर लिया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार चीनी कारखानों के द्वारा उन्हें गन्ना सप्लाई करने वाले सभी किसानों को देय केवल गन्ने का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। अतः यह महाराष्ट्र राज्य कृषि निगम को देय मूल्य निर्धारित नहीं कर सकती है। महाराष्ट्र राज्य कृषि निगम से गन्ना प्राप्त करने वाले कारखाने भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य दे सकती है क्योंकि केन्द्रीय सरकार केवल कारखानों द्वारा तैयार की गई केवल 60 प्रतिशत चीनी लेगी और शेष 40 प्रतिशत खुले बाजार में बेची जा सकती है। यह मूल्य निगम और सम्बन्धित कारखानों के बीच बातचीत से तय हो सकता है।

## Loan given to Farmers through Co-operatives

1173. **Shri Bhogendra Jha** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the amount of loan given to the farmers in different States through cooperative societies during the last ten years and the amount recovered so far ; and

(b) the amount given to the land-less farmers and agricultural labourers out of the amount of loan referred to in part (a) above and the amount recovered from them during the last ten years.

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri M. S. Gurupadsawamy)** : (a) A stateemnt is laid on the Table of the House. [**Placed in Library See. No. LT-1644/67.**]

(b) No separate information is collected on loans given to land-less farmers and agricultural labourers.

## खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के कृषि विभाग का पुनर्गठन

1174. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न कृषि उत्पादन कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय कृषि विभाग के पुनर्गठन का सुझाव किस स्थिति में है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : उत्पादन कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से क्रियान्वित करने के लिए कृषि विभाग को पहले ही पुनर्गठित किया जा चुका है।

**जिला निर्वाचन आफिसरों के लिए विशेष वेतन**

1175. **श्री राम चरण :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के निर्वाचन आयुक्त ने जिला निर्वाचन आफिसरों को को 100 रुपए मासिक विशेष वेतन दिए जाने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हाँ, तो पिछले साधारण निर्वाचनों के दौरान अपने कर्त्तव्यों के पालन के लिए जिला निर्वाचन आफिसरों को विशेष वेतन देने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की गई है ?

**विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

**खाद्य मंत्रालय में सुपरिन्टेंडेंट**

1176. **श्री राम चरण :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य विभाग के अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में राजपत्रित तथा अराजपत्रित सुपरिटेंडेंटों की कुल संख्या कितनी है ; और

(ख) उनमें अनसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों की संख्या कितनी है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :**

(क) 210.

(ख) 14.

**Unemployed Persons Registered at Employment Exchanges**

1177. **Shri Ram Charan :** **Shri Rane :**

Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of Graduates and non-Graduates registered for employment in the various Central or State Employment Exchanges till the end of last month ; and

(b) the number of persons out of them belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes who have been registered for employment ?

**The Minister of Labour and Reehabilitation (Shri Hathi) :** (a) (b) : Statistics of educated job seekers (Matriculates and above) are collected at half yearly intervals relating to June and December. Latest available figures are given below :—

| Types of applicants | Number on Live Register as on 30th June, 1967 | Number on Live Register as on 31st December 1966* | |
|---|---|---|---|
| | All categories of applicants | Scheduled Castes | Scheduled Tribes |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Graduates (including Post-Graduates). | 1,10,349 | 3,480 | 490 |
| Matriculates (including Higher Secondary passed and Intermediates). | 8,92,299 | 60,260 | 7,978 |
| Below Matric (including illiterates) | 17,13,253 | 2,32,074 | 47,473 |
| Total | 27,15,901 | 2,95,814 | 55,941 |

* Information relating to Scheduled Castes and Scheduled Tribes is collected at annual intervals ending December of each year.

## सहकारी समितियों द्वारा उर्वरकों की बिक्री

1178. **श्री यशपाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व खाद्य मंत्री श्री अजीत प्रसाद जैन ने यह आरोप लगाया है कि कुछ सहकारी समितियाँ चोर बाजारी में उर्वरक बेच रही हैं ;

(ख) क्या इस मामले में कोई जाँच की गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी)** : (क) भारत सरकार को इस प्रकार के किसी आरोप की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

## बीजों में मिलावट

1179. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीजों में बड़े पैमाने पर मिलावट की जा रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) बीजों में बड़े पैमाने पर मिलावट की जाने की कोई सूचना नहीं मिली है।

(ख) बिक्री के लिए कुछ बीजों की किस्म को नियमित करने हेतु बीज अधिनियम, 1966 बनाया गया है। अधिनियम की धारा 6 के अनुसार केन्द्रीय सरकार को किसी अधिसूचित बीज में अंकुरण तथा शुद्धता की न्यूनतम सीमा निश्चित करने का अधिकार है जबकि अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, जब तक अधिसूचित बीज निर्धारित न्यूनतम सीमा के समानुरूप नहीं होते, तब तक उन्हें बेचने का किसी व्यक्ति को अधिकार नहीं है।

## Tele-Communication Circuits

1180. **Shri Bibhuti Mishra** : Will the **Minister of Communications** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Tele-Communication circuits operating between various big cities generally remain out of order ;

(b) if so, whether the newspaper organisations and other institutions face difficulty in receiving the news ; and

(c) the steps contemplated by Government to ensure that the service remains in order?

**The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral)**: (a) No. Tele-communication circuits operating between big cities are generally working satisfactorily, though some unavoidable breakdowns occurred during the last rainy season.

(b) During such unavoidable breakdowns, newspaper organisations are, no doubt, inconvenienced to some extent.

(c) The Department has proposed developing alternative routes between principal cities, so that breakdowns on any of the systems do not disrupt communications completely. A

microwave system between New Delhi and Jaipur has been sanctioned and is expected to be completed in 18 months time. It will provide an alternative route from New Delhi to Calcutta and New Delhi to Bombay in cases of disruption in the existing co-axial system between New Delhi-Agra and New Delhi-Jaipur respectively. The execution for other schemes is, however, linked with the availability of resources.

**पाकिस्तान से दूर संचार सम्बन्धी बकाया राशि**

1181. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** **श्रीमती तारा सप्रे :**

**श्रीमती सुशीला रोहतगी :**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने तारों और टेलीफोन के बिलों की बहुत बड़ी राशि अभी तक नहीं दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस रकम की वसूली के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

**संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गजराल) :** (क) जी, हाँ।

(ख) यह राशि माँगी गई है परन्तु इसका भुगतान नहीं किया गया है। भारतीय और पाकिस्तानी डाक तथा तार विभागों के प्रतिनिधियों की अक्तूबर, 1967 में हुई पिछली बैठक में इस प्रश्न पर चर्चा हुई थी। पाकिस्तान के डाक तथा तार प्रशासन ने कहा कि यह मामला दोनों के वित्तीय समझौते तथा दोनों देशों के बीच अन्य सम्बद्ध समस्याओं से सम्बन्ध रखता है।

**खरीफ की फसल वाली भूमि**

1182. **श्री दामानी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खरीफ की फसल अधिक भूमि में बोई गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें खरीफ की फसल अधिक क्षेत्र में बोई जाने का समाचार मिला है; और

(ग) उससे कृषि-उपज में कितनी वृद्धि हुई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री (अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) 1967-68 की खरीफ फसल के क्षेत्र के बारे में पूर्ण जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं होते।

**राजस्थान में रेगिस्तान**

1183. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 अगस्त, 1967 के "स्टेट्स मैन" में "राजस्थान में रेगिस्तान के प्रसार को रोकना" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या रेगिस्तान का क्षेत्र बढ़ रहा है; और

(ग) रेगिस्तान को और अधिक बढ़ाने से रोकने के लिये केन्द्रीय बंजर क्षेत्र अनुसन्धान संस्था द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :** (क) जी हाँ।

(ख) ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं है जिससे पता लगे कि राजस्थान की मरु भूमि फैल रही है। भारत के महा सर्वेक्षक द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान मरु-भूमि में कोई विवेचनीय वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता। फिर भी केन्द्रीय बंजर क्षेत्र अनुसन्धान संस्थान, जोधपुर आँधी द्वारा कटाव को कम करने, फसलों के उत्पादन के लिए वर्षा-जल की अधिकतम उपयोगिता, वनरोपण तथा क्षेत्र-प्रबन्ध सम्बन्धी पद्धतियों को विस्तृत करने के लिए अनुसन्धान कर रहा है। संस्थान ने स्थान बदलते रहने वाले टीलों पर वनरोपण करने, वृक्षावलि-एवं-आश्रय, क्षेत्र बढ़ाने, प्राकृतिक चरागाह भूमि में बीज बोना, संरक्षण फार्मपद्धतियों आदि की सुधार सम्बन्धी तकनीनियों का विस्तार किया है। मरु भूमि के सुधार के लिए संस्थान द्वारा अब तक विकसित की गई सभी तकनीकियाँ प्रयोगात्मक अवस्था में प्रभावशाली सिद्ध हुई हैं। अनुसन्धान कार्य के परिणामों पर विस्तार कार्य राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा।

**दिल्ली ग्रेन सिंडीकेट**

1184. **श्री दामानी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 32.60 लाख रुपये की वसूलीके लिदिल्ली ग्रेन सिंडीकेट के विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले की अब क्या स्थिति है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में मंत्री राज्य (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

**Sale of Improved Seeds**

1185. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the farmersin Delhi had to purchase the improved seeds for the present crop on very high prices ;

(b) whether it is also a fact that complaints of certain malpractices and black-marketing in the sale of seeds have also been received against Government seed godowns in addition to those against the private traders ; and

(c) if so, the steps taken by Government in this regard?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde)** : (a) No, Sir. Supply of improved seeds to the farmers of Delhi was arranged by Delhi Administration at reasonable rates.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

**Ban on Export of Gur from Madras**

1186. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Chief Minister of Madras has made an announcement in regard to the imposition of a ban on the export of "gur" from the State ;

(b) if so, whether the Central Government had given their approval for the same ; and

(c) if not, the reaction of Government thereto and the action taken in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture ; Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde)** : (a) In order to ensure that gur and khandsari are available to the consumers in Madras State at reasonable prices and to facilitate availability of more sugarcane to the sugar factories, the Madras Government have issued a direction under the Madras Gur, Khandsari & Sugar Dealers ' Licensing Order that no licensee under this order shall sell gur or Khandsari to any person outside the district except on permit issued by the Commissionor of Civil Supplies.

(b) The Madras Government had not sought the approval of the Central Government for this action.

(c) The action taken by the Madras Government may benefit the consumer inside Madras State, regulate flow of gur and khandsari outside that State and help in making available more cane to the sugar factories in Madras. The effect of the action taken by the Madras Government is being watched.

**Bajra Crop Affected by Ergot**

1187. **Shri Raghuvir Singh Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Bajra crop in Delhi and in the District of Haryana near Delhi has become unfit for human consumption due to ergot ;

(b) if so, whether a request has been made to Government for purchasing this crop, keeping in view the plight of the farmers and the effect of the crop on the health of the people when it comes ; and

(c) the reaction of Goverment thereto ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Co-operation (Shri Annasahib Shinde)** : (a) Incidence of ergot was noticed in certain areas of Union Territory of Delhi and adjoining areas of Haryana State, particularly Rohtak and Gurgaon districts. It is estimated that about 2 to 5 percent of the total bajra crop in Delhi Territory and 2 to 3 percent of overall crop in Haryana State was damaged. The diseased crop is not safe for human consumption.

(b) No, sir.

(c) Does not arise.

**Import of Foodgrains**

1188. **Shri R. S. Vidyarthi** : Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of countries excluding U.S.A. from where foodgrains have been imported during the last two years and the quantity of foodgrains thus imported ; and

(b) the cost thereof and the terms and conditions of the import ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde)** : (a) A statement giving the information is laid on the Table of the House [**Placed in Library See no. LT-1645/67**].

(b) : (i) Total C &F value of the foodgrains for the years 1965 and 1966 is as under:

1965 .. Rs. 42.2 crores

1966 .. Rs. 125.2 crores

(ii) Imports made on commercial basis are paid for in free foreign exchange or in non-convertible Indian Rupees under Trade Agreements (as in the case of U.A.R. rice) or barter deals (as in the case of Guyana rice). For imports of gifts no payment is made except for freight where the donor country has not donated the freight charges also. In the case of commercial purchase from Australia one year credit is given by the Government of Australia.

**Import of Foodgrain from U. S. A.**

1189. **Shri R. S. Vidyarthi** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantity of foodgrain imported from U.S.A. during the last two years ;

(b) the cost thereof ; and

(c) the terms and conditions of its payment ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde)** :

| | | | |
|---|---|---|---|
| (a) | 1965 | .. | 6.4 million tonnes. |
| | 1966 | .. | 8.4 million tonnes. |
| (b) | 1965 | .. | Rs. 248.1 Crores. |
| | 1966 | .. | Rs. 398.1 Crores. |

(c) In respect of foodgrains imported from the U.S.A. under P.L. 480, the agreement entered into prior to January, 1967 provided for sale of commodities entirely against local currency. Half the quantities were required to be shipped in U.S. Flag vessels and the other half could be shipped in non-U.S. Flag vessels. For the U. S. Flag vessels the freight was payable by us at the rate of non-U.S. Flag vessels and the difference between U.S. Flag and non-U.S. Flag rates was paid by the U.S. Government.

In addition to the imports made under P.L. 480, some commercial purchases of wheat were also made from U. S. A. against free foreign exchange.

**अमृतसर में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास**

1190. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :** क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये पुतलीघर क्षेत्र, अमृतसर में कुछ भूमि 8 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से अर्जित की है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार ने 1-10-1955 के बाद इन सम्पत्तियों के किराये के साथ साथ 5 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से एकमुश्त अधिभार भी माँगा है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को विस्थापित व्यक्तियों से कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(घ) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) जी हाँ, परन्तु सरकार ने 8 रुपए प्रतिगज के अतिरिक्त 15 प्रतिशत अनिवार्य अर्जन प्रभार भी दिया था।

(ख) कोई अधिभार नहीं वसूल किया गया है। अर्जन के बाद सम्पत्ति की उपयुक्त यूनिटों में बाँट दिया गया था, जिनका पृथक् रूप से प्रत्येक यूनिट की स्थिति के आधार पर मूल्यांकन किया गया था।

1966 तक, जब इसका भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत इसका अर्जन किया गया था, केन्द्रीय सरकार को भूमि का स्वामित्व प्राप्त नहीं था। विभाग ने अर्जन की तिथि तक मालिक को किराये का भुगतान कर दिया है, इसलिये उसपर कब्जा किये हुए लोगों से किराया छोड़ देने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। उनके द्वारा 20 प्रतिशत मूल्य दिये जाने की तारीख तक उस पर कब्जा किये हुए व्यक्तियों से किराया वसूल किया जाना है।

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, 1955 के उपबन्धों के अनुसार विस्थापित व्यक्तियों को मूल्य का किश्तों में भुगतान करने की अनुमति दी गई है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) शरणार्थी (रिफ्यूजी) एसोसिएशन, अमृतसर को 2 नवम्बर, 1967 को उत्तर भेजा गया था, जिसकी एक प्रति सभा पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०** 1646/67]

**गेहूं तथा चावल का आयात और उनका राज्यों को आवंटन**

1191. **श्री श्रीधरन**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर, 1967 में सरकार ने कितने चावल तथा गेहूँ का आयात किया;

(ख) आयात किये गये इस चावल तथा गेहूँ में से प्रत्येक राज्य के लिये कितना-कितना चावल तथा गेहूँ आबंटित किया गया; और

(ग) उन्हें वास्तव में कितना चावल तथा गेहूँ दिया गया ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क)

| खाद्यान्न | आयातित मात्रा (हजार टनों में) |
|---|---|
| चावल | 155.2 |
| गेहूँ | 1900.2 |

(ख) और (ग) आयातित गेहूँ और चावल का सीधे जहाजों से आबंटन और भेजना हमेशा संभव नहीं होता। कुछ स्टाक को गोदामों में ले जाना पड़ता है और वहाँ से भेजना होता है। प्रत्येक जहाज अथवा फालतू भण्डार वाले प्रत्येक राज्य से डिपुओं में प्राप्त स्टाक के सम्बन्ध में आवंटन तथा प्रेषण के पृथक् लेखे नहीं रखे जाते हैं। इसलिये यह बताना संभव नहीं है कि अगस्त से अक्तूबर, 1967 को अवधि में प्रत्येक राज्य को कितने आयातित गेहूँ और चावल का आवंटन किया गया अथवा सप्लाई की गई। अगस्त से अक्तूबर, 1967 की अवधि में विभिन्न राज्यों को गेहूँ और चावल (आयातित और देशी) की दी गई मात्रा दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1647/67]

**भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियां**

1192. **श्री बाबूराव पटेल: श्री विभूति मिश्र :**

क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दिल्ली में 21 अगस्त, 1967 के समाचारपत्र सम्मेलन में यह बयान दिया था कि भूतपूर्व नरेशों की निजी थैलियाँ एक कार्यपालिका आदेश से समाप्त की जा सकती हैं तथा इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है;

(ख) क्या यह सच है कि उन्होंने यह भी कहा था कि जब सरकार किसी नरेश के साथ हुए करार को रद्द करती है और यदि वह नरेश यह कहता है कि उसके राज्य का विलय भी इसके साथ ही रद्द हो गया है तो उस नरेश को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है; और

(ग) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने ये विचार व्यक्तिगत हैसियत से व्यक्त किए थे अथवा अपनी पदीय हैसियत से ?

**विधि मंत्री (श्री गोविंद मेनन)** : (क) जी हाँ।

(ख) मुझे उस यथार्थ पदावली का स्मरण तो नहीं है जिसका मैंने प्रयोग किया था। मेरा विवक्षित अभिप्राय तो यह था कि यदि कोई व्यक्ति भारत की अखण्डता पर आक्षेप करता है तो वह अपराध करेगा।

(ग) ये विचार वकील के रूप में मेरी व्यक्तिगत हैसियत में व्यक्त किए गए थे, न कि मंत्री के रूप में पदीय हैसियत में।

**बेकार भूमि**

1193. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में कितने-कतने एकड़ उपजाऊ तथा कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी है ;

(ख) उक्त भूमि में प्रति वर्ष कितनी और कितने मूल्य की खाद्य फसलें उगाई जा सकती हैं;

(ग) कृषि योग्य भूमि का राज्यवार उपयोग न करने के क्या कारण हैं;

(घ) बेकार भूमि-सर्वेक्षण तथा कृष्यकरण सम्बन्धी उप्पल समिति द्वारा भूमि के विकास के लिए एक संविहित निगम की स्थापना करने के बारे में की गई सिफारिश पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस भूमि का विकास करने के लिए गैर सरकारी क्षेत्र के संसाधनों को जुटाने का है या उसके प्रस्तावों पर विचार करने का है;

(च) यदि हाँ, तो किन शर्तों पर; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1648/67]

**जम्मू और काश्मीर में चीनी की कमी**

1194. **श्री गुलाम मुहम्मद बख्शी**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य समेत कुछ राज्यों में चीनी की अत्यधिक कमी है;

(ख) जम्मू और काम्मीर में चीनी के वितरण पर नियंत्रण लागू किए जाने के पश्चात् वहाँ पर चीनी की कितनी मात्रा दी जा रही है; और

(ग) क्या चीनी के वितरण पर नियंत्रण लागू किए जाने से पहले जम्मू और काश्मीर के लिए निर्धारित चीनी उस राज्य को देने का सरकार का विचार है?

**खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब-शिन्दे)**: (क) चीनी के उत्पादन में कमी हो जाने के फलस्वरूप मासिक कोटे में कमी की जाने के कारण सभी राज्यों में चीनी का अभाव है;

(ख) जम्मू तथा काश्मीर का चीनी का वर्तमान कोटा 1,170 टन है, जो आँशिक विनियंत्रण लागू किए जाने के बाद घटाकर 742 टन कर दिया जायेगा।

(ग) जी, नहीं, चीनी के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होने पर ही कोटा बढ़ाना संभव होगा।

**दिल्ली में चीनी की कीमत**

1195. **श्री मरंडी:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित की जाने वाली चीनी की कीमत बढ़ाने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) मूल्य में कुल कितनी वृद्धि की जायेगी?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):** (क) और (ख) जी, हाँ। गन्ने का न्यूनतम मूल्य 1966–67 में 5.68 रुपए प्रति क्विंटल से बँढ़कर 1967–68 में 7.37 रुपए प्रति क्विंटल हो जाने के कारण दिल्ली में राशन की दुकानों से दी जाने वाली चीनी का मूल्य बढ़ जाने की संभावना है।

(ग) यह चीनी के नए मूल्य निर्धारित किए जाने के बाद में पता चलेगा।

**कृषि अनुसन्धान सेवा**

1196. **श्री मरंडी:** **श्री रा० रा० सिंह देव:**
**श्री धीरेन्द्र नाथ देव:**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि कृषि अनुसंधान की केन्द्रीय संस्था के निर्देशकों ने अगस्त, 1967 में हुए तीन दिवसीय सम्मेलन में कृषि अनुसंधान सेवा बनाने के लिये सरकार से प्रार्थना की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन्होंने सुझाव दिया था कि यह सेवा ब्रिटेन की कृषि अनुसंधान परिषद् जैसी बनाई जानी चाहिये; और

(ग) उस सम्मेलन में और क्या-क्या सुझाव दिए गए और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे): (क) से (ग)** : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी० 1649/67]**

**नाशिकीट लगने से खाद्यान्न को हानि**

1197. **श्री चेंगलराया नायडू:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों से माँग की है कि वे नाशिकीटों, विशेषतया कीड़ों तथा कृन्तकों के कारण खाद्यान्न को होने वाली हानि कम करने के लिए तुरन्त कार्यवाही करें;

(ख) यदि हाँ, तो क्या राज्यों को भी खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए एक समन्वित योजना बनाने के लिए कहा गया है;

(ग) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) क्या सरकार इस सम्बन्ध म राज्य सरकारों को कोई सहायता दे रही है?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) और (ख) जी, हाँ।

(ग) राज्य सरकारों से दिसम्बर, 1967 में पहली त्रैमासिक रिपोर्ट भेजने के लिए कहा गया है। उनसे इस पत्र पर की गई कार्यवाही सूचित करने के लिए भी कहा गया था। अभी तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे केन्द्रीय सरकार से जो भी तकनीकी सहायता चाहें, ले सकते हैं?

**Supply of Foodgrains to M. P.**

1198. **Shri Y. S. Kushwah**: Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Members of Parliament from Madhya Pradesh have sent a letter to the Prime Minister requesting her to supply 30,000 tons of additional foodgrains from the Centre to Madhya Pradesh to prevent starvation deaths ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the action taken by Government in regad to supplying foodgrains to Madhya Pradesh ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde)** :

(a) Yes, Sir. A letter was sent.

(b) It was mentioned in the letter that the crops in the State were deteriorating due to failure of monsoons for the last two years. Only 55.83 lakh tonnes foodgrains were produced during 1966-67 against the annual requirements of 82 lakhs tonnes (74.64 lakh tonnes for human consumption and the balance for seed purposes) and that thus there was a deficit of 26.17 lakh tonnes. It was further stated that there was likelihood of further deterioration in the condition during the coming two months and therefore additional allocation of 30,000 tonnes foodgrains per month should be sent before the people of the drought-affected areas die due to starvation epidemics.

(c) Keeping in view the availability in Central Reserves and needs of other States, including those affected by more severe drought, supplies of foodgrains to Madhya Pradesh has been increased to the extent possible.

**उड़ीसा और आन्ध्र प्रदेश में वन श्रमिक सहकार समितियां**

1199. **श्री वी० नरसिम्हा राव**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा तथा आन्ध्र प्रदेश में प्रत्येक जिले में कितनी वन श्रमिक सहकार समितियाँ हैं और पिछले तीन वर्षों में उन्हें कितनी राशि का ऋण दिया गया ;

(ख) पिछले तीन वर्षों में उड़ीसा में गंजम जिले के पालरकीमंदी तालुक में सियाली वन श्रमिक सहकार समिति तथा आन्ध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले में गुम्मा लक्ष्मीपुरम् वन श्रमिक सहकार समिति को कितनी राशि दी गई थी; और

(ग) इन समितियों को कितना लाभ अथवा हानि हुई ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी)**: (क) से (ग) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**राज्यों में वस्तुओं के मूल्यों में असमानता**

1200. **श्री समर गुह :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों में खाद्यान्नों का वर्तमान औसत मूल्य सूचकांक क्या है;

(ख) देश के विभिन्न भागों में मूल्य में अत्यधिक असमानता होने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस वर्ष देश में बहुत अच्छी फसल होने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुए इन असमनताओं को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गए हैं?

**खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :**

(क) 28 अक्तूबर, 1967 को समाप्त होने वाले सप्ताह में चुने हुए केन्द्रों पर खाद्यान्नों के थोक मूल्यों का आर्थिक सलाहकार सूचनांक अंक दिखाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया, देखिये संख्या एल० टी०** 1650/67] मूल वर्ष के सम्बन्ध में इस सूचनाँक अंकों में विभिन्न केन्द्रों में भिन्नता है और इसलिये वर्तमान थोक मूल्यों में अन्तर्राज्यीय स्तर पर तुलना नहीं की जा सकती। इस तुलना के लिये प्रत्येक केन्द्र में खाद्यान्नों के थोक मूल्य दिए गए हैं।

(ख) विभिन्न केन्द्रों में थोक मूल्यों में असमानता, किस्म, उत्पादन स्तर, माँग और सप्लाई और खाद्यान्नों को बाजार में लाने ले जाने की लागत के कारण है?

**दिल्ली तथा कलकत्ता के बीच दूर-संचार व्यवस्था**

1201. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता तथा दिल्ली के बीच दूर-संचार व्यवस्था के बार-बार खराब हो जाने तथा उसकी मरम्मत करके उसे पुनः चालू करने में साधारणतः बहुत समय लग जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि इससे जनता को बहुत परेशानी होती है, विशेषकर हाल की वर्षा ऋतु में बड़ी परेशानी हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

**संसद कार्य तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) गत मानसून में कलकत्ता और दिल्ली के बीच दूर-संचार व्यवस्था में बहुत कम अस्तव्यस्तता हुई है। तब से यह व्यवस्था 97 प्रतिशत दक्षता से संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। अस्तव्यस्तता का मुख्य कारण अत्यधिक वर्षा और बिजली गिरने से सड़कों में दरारों तथा बाढ़ के कारण भूमिगत

तारों का काम न करना है । काम की जटिलता को ध्यान में रखते हुए मरम्मत तथा दूर-संचार को बहाल करने के कार्य में अधिक समय नहीं लगा है।

(ख) जी हाँ।

(ग) बिजली गिरने के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपाय किए जा रहे हैं। निम्न क्षेत्रों में रिपीटर स्टेशनों के भवनों में बाढ़ के पानी को दाखिल होने से रोकने के लिये सुरक्षात्मक दीवारें बनाने के लिये कार्यवाही की जा रही है। मुख्य नगरों के बीच वैकल्पिक मार्ग बनाने की भी विभाग की योजना है ताकि दूर-संचार व्यवस्था पूर्णतया भंग नहीं हो। ये योजनाएँ साधनों के उपलब्ध होने पर भी क्रियान्वित की जा सकती है। सूक्ष्म तरंग प्रणाली को जो कि आगरा से होती हुई दिल्ली और कलकत्ता के बीच वैकल्पिक मार्ग का काम करेगी और दिल्ली-जयपुर मार्ग दिल्ली और बम्बई के बीच वैकल्पिक मार्ग का काम करेगी, लगभग 18 महीनों में चालू कर दिया जायेगा।

**Refugees from Pakistan**

1202. **Shri O. P. Tyagi** : Will the **Minister of Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) the number of refugees who came from Pakistan and who could not be rehabilitated by Government so far ;

(b) the reasons for failure in rehabilitating them so far ; and

(c) the monthly expenditure being incurred by Government on food etc. for home-less refugees ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabitation (Shri D. R. Chavan)** : (a) The rehabilitation of migrants from West Pakistan and old migrants (i.e. those) migrants who have arrived upto 31.3.63) from East Pakistan, has been practicully completed except for certain residuary problems of the old migrants in West Bengal. Out of the migrants from East Pakistan, arriving after 1.1.64, the number of pereons still avaiting rehabilitation in camps is 1,02,442. There has also been a limited migration from Wesr Pakistan on account of Indo-Pak August/September, 1965 confict. 4,500 persons (1292 families) came in the wake of this migration. They are being provided with suitable resettlement assistance.

(b) Rehabilitation is necessarily a procss in time. Land ean be developed only upto the capacity of the reclamation machinery available with out Reclamation Organisation. States take time in releasing land. Industria and other schemes also take time to formulate and implement.

(c) Migrants living in camps are not provided food but are given cash doles at prescribed rates and foodgrains at subsidised rates. The scales of cash doles given to migrants in camps and details of other assistance provided to them, are indicated in the statement laid on the Table of the House [**Placed in Library, See No. LT-1651/67**].

**विदेशी महापुरुषों के नाम पर स्मृति टिकट**

1205. **श्री म० ला० सोंधी** :

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूसी लेखक मौक्सिम गोर्की के सम्मान में आगामी वर्ष की तिमाही में एक विशेष स्मृति टिकट जारी करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार अन्य देशों के विख्यात महापुरुषों यथा मसारीक, कैरेक, रोमेन रोलैंड, मार्टिन बबर आदि के सम्मान में भी ऐसे टिकट जारी करने का है; और

(ग) क्या डाक व तार विभाग की टिकट-संकलन सलाहकार समिति के समक्ष ऐसे कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त हैं कि वह विदेशों के प्रमुख व्यक्तियों से सम्बन्धित विशेष अवसरों पर स्मृति टिकट जारी करवाने की सिफारिश करे?

**संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)** :

(क) जी हाँ।

(ख) ऐसे प्रस्तावों के प्राप्त होने पर टिकट संकलन समिति द्वारा इनपर विचार किया जाता है। सरकार विद्वान नेताओं को सम्मान देने के विचार को प्रोत्साहन देती है। चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ ही हो।

(ग) प्राप्त होने वाले प्रत्येक प्रस्ताव के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद समिति अपनी सिफारिशें देती है।

**जम्मू और काश्मीर में चावल का कोटा**

1207. **श्री मयाबन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि समूचे देश में चावल का कोटा प्रति व्यक्ति कम कर दिया गया था परन्तु जम्मू और काश्मीर राज्य में ऐसा नहीं किया गया था; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे :**

(क) यह कहना ठीक नहीं है कि जम्मू और काश्मीर के अतिरिक्त सभी राज्यों की चावल की मात्रा कम कर दी गई है।

(ख) चावल की मात्रा को कम करने अथवा न करने का निर्णय आन्तरिक वसूली और भारत सरकार से प्राप्त होने वाले चावल को ध्यान में रखकर प्रत्येक राज्य द्वारा स्वयं किया गया है।

**जम्मू और काश्मीर को चावल की सप्लाई**

1208. **श्री मयाबन :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष जम्मू और काश्मीर राज्य में बहुत अच्छी फसल होने की सम्भावना है; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष इस राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा चावल दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) :**

(क) यद्यपि जम्मू और काश्मीर सरकार से चालू वर्ष में उस राज्य में खाद्य उत्पादन के बारे में कोई प्राक्कलन प्राप्त नहीं हुआ है तथापि वर्तमान समाचारों के अनुसार राज्य में खरीफ की अच्छी फसल हुई है।

(ख) जम्मू और काश्मीर सरकार का 1967–68 की फसल से (16 अक्तूबर, 1967 से 15 अक्तूबर, 1968) केन्द्रीय पूल से 46,000 टन चावल लेने का अनुमान है।

**कृषि क्षमता का अनुमान लगाने के लिये आयोग**

1209. **श्री रणधीर सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हमारे देश की कृषि तथा उससे संबंधित मामलों की क्षमता का अनुमान लगाने के लिये ब्रिटिश युग के लिनलिथगो आयोग की तरह का एक आयोग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस आयोग की स्थापना कब होगी और यदि नहीं तो उसके कारण क्या हैं?

**खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):**

(क) जी नहीं।

(ख) सरकार का यह विचार है कि आजकल ऐसे आयोग की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कृषि उत्पादन कार्यक्रम की क्रियान्विति की ओर से ध्यान हटा देगा।

**ट्रैक्टरों की आवश्यकता**

1210. **श्री रणधीर सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया गया है कि कृषि उत्पादन में वृद्धि करने और उसे देश में खाद्य की कमी को पूरा करने के लिए कितने ट्रैक्टरों की आवश्यकता है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):** (क) और (ख) जी हाँ। अनुमान लगाया गया है कि 1966-67 से 1970-71 तक की अवधि में 1,50,000 ट्रैक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी चालू वर्ष में 25,000 ट्रैक्टरों की आवश्यकता का अनुमान है।

**ट्रैक्टरों की बिक्री**

1211. **श्री रणधीर सिंह:** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में ट्रैक्टर बेचने वाली विभिन्न ऐजिन्सयों की सूचियों में ट्रैक्टर खरीदने के लिये कितने प्रत्याशियों के नाम दर्ज हैं;

(ख) उनमें से कितने कितने प्रतिशत लोगों को क्रमशः तीन महीने में, छः महीने में, एक वर्ष में तथा दो वर्षों में ट्रैक्टर मिले; और

(ग) उनकी माँग को कम से कम समय में पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे):**

(क) और (ख) ट्रैक्टरों की सप्लाई देशीय निर्माण तथा आयातों द्वारा की जाती है। निर्माताओं और आयातकर्ताओं के अधीन देश भर में कुछ विक्रेता हैं और प्रत्येक विक्रेता को वे

अपनी इच्छानुसार ट्रैक्टर सप्लाई करते हैं। पूछी गई जानकारी इस समय उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त सप्लाई सम्बन्धी स्थिति बड़ी तेजी से बदलती है, एक समय में बताई गई स्थिति थोड़ी देर के बाद ही परिवर्तित हो जाती है। ट्रैक्टरों की उपलब्धता केवल विभिन्न अवधि ही में नहीं बल्कि विभिन्न स्थानों पर भी परिवर्तित होती है। फिर भी यह कहा जा सकता है कि ट्रैक्टरों को और विशेषतया रूस से आयातित कम अश्व शक्ति वाले ट्रैक्टरों और देश में निर्मित कुछ लोकप्रिय माडलों की बड़ी माँग पूरी नहीं हुई है।

(ग) माँग को पूरा करने की दृष्टि से देश में ट्रैक्टरों के उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है और वर्तमान निर्माताओं को उत्पादन बढ़ाने में सहायता दी जा रही है। चालू वर्ष की माँग को देखते हुए ट्रैक्टर आयात करने के लिए भी प्रयत्न किए जा रहे हैं।

**चीनी का उत्पादन**

1212. **श्री विश्वम्भरन:**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गन्ना पैदा करने वाले क्षेत्रों में चीनी बनाने के लिये प्रोत्साहन देने और उसे लोकप्रिय बनाने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** :

(क) और (ख) 1967–68 में चीनी के उत्पादन को अत्यधिक करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित उपायों की घोषणा की है:

(1) 1967–68 में 1966–67 की तुलना में कारखानेदारों द्वारा गन्ने के लिए दिए जाने वाले मूल्य को 5.68 प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7.37 प्रति क्विंटल कर दिया गया है और इसको 9.4 प्रतिशत अथवा इससे कम वसूली से सम्बन्धित किया गया है। 9.4 प्रतिशत वसूली अधिक के लिए 0.1 प्रतिशत प्रीमियम की वृद्धि में 4 पैसे प्रति क्विंटल से 5.36 पैसे प्रति क्विंटल कर दिया गया है;

(2) समय-समय पर सरकार द्वारा चीनी को छोड़े जाने पर कारखानेदारों को अपने उत्पादन का 40 प्रतिशत खुले बाजार में बेचने की अनुमति दी जायेगी।

(3) 1967–68 में चीनी के उत्पादन पर मूल उत्पादन शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने की अनुमति दी जायेगी जो कि 1966–67 की तुलना में उत्पादन से 80 प्रतिशत अधिक है;

(4) 1967–68 में बनाई जाने वाली चीनी के उत्पादन शुल्क में प्रति क्विंटल 8.35 प्रतिशत की कमी कर दी जायेगी।

आशा है कि उक्त उपायों से कारखानादार गन्ना उगाने वालों को निर्धारित मूल्यों से कहीं अधिक मूल्य दे सकेंगे और गुड़ और खाण्डसारी की तुलना में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार गन्ने को खरीद कर चीनी के उत्पादन में वृद्धि कर सकेंगे।

**मत्स्य-पालन परियोजना**

1213. **श्री विश्वम्भरन**: क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की सहायता से एक बहुत बड़ी मत्स्य-पालन परियोजना शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार को यह परियोजना केरल में स्थापित करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ग) यदि हाँ, तो उनके बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने की सम्भाव्यता के प्रश्न पर खाद्य तथा कृषि संगठन के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

यदि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त हुई तो वह भारत सरकार के लिए विदेशी मुद्रा के नियतन के रूप में होगी। यदि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की कोई परियोजनायें शुरू हुई तो उनके लिए योजना-संसाधनों से धन प्राप्त करना होगा। यह बात परियोजना की किस्म व सहायता के प्रतिमानों पर निर्भर करती है कि इस सहायता में केन्द्र तथा राज्यों का कितना कितना भाग होगा। अतः परियोजनाओं को एक से अधिक स्थानों पर शुरू किया जाना चाहिये। ये परियोजनायें एक समन्वित पैकेज के आधार पर होंगी जिसमें बन्दरगाहें, तट संबंधी सुविधायें (प्रशीतन सहित) तथा मछली पकड़ने व विपणन विषयक संगठन (वे सरकारी, सहकारी या गैर-सरकारी क्षेत्र में हो सकते हैं) शामिल हैं। फिर भी चतुर्थ योजना की अवधि में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के विकास कार्यक्रमों के प्रथम भाग का संबंध अपेक्षित इन्फ्रास्ट्रकचर और मुख्यतः बन्दरगाह तथा प्रशीतन विषयक सुविधाओं से है। अनेक बन्दरगाहों पर मछली पकड़ने के पोतों के ठहरने की व्यवस्था करने का प्रश्न विचाराधीन है। इस दौरान-मछली पकड़ने की कुछ बन्दरगाहों में कार्य चालू है और इस कार्य का अधिकांश भाग केरल में हो रहा है।

(ख) इस बात के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि यदि कोई मछली विकास की योजना बड़े पैमाने पर शुरू की जाए तो वह योजना केरल में आरम्भ की जानी चाहिये। इस सम्बन्ध में विशेष प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) विश्व बैंक की सहायता से केवल एक परियोजना शुरू करने का प्रश्न ही नहीं होता। चतुर्थ योजना के उपलब्ध संसाधनों के अन्तर्गत ही परियोजनायें तैयार की जानी हैं और अस्थायी रूप से ऐसी कुछ परियोजनाओं के विस्तृत रूप तैयार कर लिये गए हैं। इस सम्बन्ध में ऐसी योजनाओं पर ध्यानपूर्वक विचार किया जाएगा जिनमें केरल में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने की परियोजनाओं की स्थापित करने का प्रस्ताव होगा।

**संसत्सदस्यों की विदेश यात्राएं**

1214. **श्री वेणीशंकर शर्मा**: क्या **संसद-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संसद के गत सत्र के पश्चात् कितने संसत्सदस्य भारत से बाहर यात्रा पर गए और उन पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई तथा उनकी यात्राओं का उद्देश्य क्या था; और

(ख) जिन उद्देश्यों के लिए वे विदेश गये थे उनमें से कितने सफल हुए हैं?

**संसद-कार्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)**: (क) और (ख) अपेक्षित जानकारी मंत्रालयों / विभागों से एकत्रित की जा रही है और यथासमय सभापटल पर रख दी जायेगी।

**Use of Rock Phosphate**

1215. **Suri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the experiments carried out in the Agriculture University, Pant Nagar (U. P.) have proved that rock phosphate is as much beneficial to rice crop as Super phosphate ;

(b) if so, the steps proposed to be taken to provide the farmers with rock phosphate; and

(c) the acreage of land where rock phosphate has been used so far ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde)** : (a) No conclusive evidence has so far been brought out by U. P. Agriculture University that rock phosphate is as efficient as super phosphate for rice in all Tarai Soils. There are only some preliminary observations which have been made in an isolated case. The soils as are generally found in Tarai area of UP are not likely to show similar response to rock phosphate as to super-phosphate. It is only under highly acidic conditions depending upon the degree of fineness of rock phosphate (about 300 mesh) and numerous other agronomic factors that rock phosphate can come up to the same efficiency as super phosphate. Even in the experiments conducted under the Model Agronomic Scheme similar observations have been made. In India, highly acid soil occur to a very limited extent. Therefore, rock phosphate can have only very limited value as a phosphatic fertiliser.

(b) Rock phosphate is imported and distributed by the State Trading Corporation. Requirements intimated by State Governments and fertiliser firms have been met in full so far.

(c) About 1,50,000 tonnes of Rock phosphate was supplied for direct application as a fertiliser in 1966-67 and 20,000 tonnes so far in 1967-68. As the rate of application varies with the type of crops, soils etc., it is not possible to estimate the acreage on which it was used.

**मजूरी बोर्ड**

1216. **श्री स० मो० बनर्जी**: क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ मजूरी बोर्डों ने अपने अन्तिम प्रतिवेदन अभी तक प्रस्तुत नहीं किए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो मजूरी बोर्ड कौन से हैं जिन्होंने अभी तक अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किए हैं; और

(ग) उनका काम शीघ्र पूरा कराने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी)**: (क) जी हाँ।

(ख) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, सभा-पटल पर रखा जाता है

**[पुस्तकालय में रखा गया देखिये एल० टी० 1652/67]**

(ग) विवरण में निर्दिष्ट मजूरी बोर्डों में से अधिकांश ने अपने काम का एक बड़ा भाग समाप्त कर लिया है और वे शेष कार्य शीघ्र ही पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं।

चूंकि उन्हें सारे देश में फैली अनेक इकाइयों में व्याप्त स्थितियों को ध्यान में रखना पड़ता है और अनेक पक्षों का समाधान करना पड़ता है इसलिए कुछ देर लगना जरूरी है। बोर्ड की रचना भी त्रिपक्षीय है। इसके अध्यक्ष को छोड़कर, इसके सदस्यों की नियुक्ति अवैतनिक अंशकालिक आधार पर की जाती है। इन कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए सभी मजूरी बोर्डों से यथाशीघ्र अपना काम पूरा करने के लिये प्रार्थना कर दी गई है।

**दिल्ली और कलकत्ते के बीच सीधे टेलीफोन करने की व्यवस्था**

1217. **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और कलकत्ता के बीच सीधे टेलीफोन करने की की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो कब और क्या इस प्रणाली के अन्तर्गत और शहरों का भी दिल्ली से सीधा टेलीफोन सम्पर्क स्थापित किया जायेगा?

**संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री अन्ना साहेब शिन्दे) :**

(क) जी हाँ।

(ख) दिल्ली और कलकत्ता के बीच सीधी टेलीफोन व्यवस्था 1970–71 तक स्थापित किए जाने की सम्भावना है। 1968–69 में अधिक नगरों को दिल्ली के साथ जोड़ा जा रहा है। लगभग 9 नगरों को सीधें टेलीफोन व्यवस्था के अन्तर्गत दिल्ली से जोड़ा जायेगा।

**Post and Telegraph Offices in U. P.**

1218. **Shri Y. S. Kushwah** : Will the Minister of **Communictions** be pleased to state:

(a) the total number of post offices and sub-post offices in Uttar Pradesh District-wise ;

(b) whether telegraph and trunk call facilities exist in each post office ;

(c) if not, the number of such post offices where telegraph and trunk call facilities are available ;

(d) the number of applications received by Government during the last two years for opening new post offices and the number of applications from among them which have been sanctioned ; and

(e) the number of new post offices opened during the last two years ?

**The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral):** (a) to (e) A statement is laid on the Table of the Lok Sabha. [**Placed in Library See No. LT-1653/67**].

**हिमाचल प्रदेश को खाद्य की सप्लाई**

1219. **श्री हेम राज :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हिमाचल प्रदेश सरकार ने जुलाई, अगस्त, सितम्बर तथा अक्तूबर, 1967 के महीनों के लिये कितने अनाज (गेहूं, चावल) और कितनी चीनी माँगी थीं; और

(ख) इन महीनों में इसे कितना अनाज दिया गया और इन महीनों तथा इससे पहले महीनों में कम दिए गए अनाज की पूर्ति के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जुलाई से अक्तूबर, 1967 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय पूल से 66,200 टन खाद्यान्नों (गेहूँ और चावल) की माँग की है। चीनी के लिये राज्य सरकार से कोई विशेष माँग प्राप्त नहीं हुई है। हिमाचल प्रदेश के लिये प्रति मास 794 टन का कोटा निर्धारित किया गया है। हिचमाल प्रदेश सरकार ने जून, 1967 में चीनी के कोटे को 1835 तक बढ़ाने तथा फिर सितम्बर, 1967 में इस कोटे को 2,522 टन तक बढ़ाने के लिये प्रार्थना की है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश को केन्द्रीय पूल से 28,400 टन खाद्यान्न सप्लाई किए गए थे। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर उनको पंजाब द्वारा 3,000 टन गेहूँ सप्लाई किया गया है। केन्द्रीय पूल में अनाज की सीमित उपलब्धता को देखते हुए राज्य सरकार को अधिकतम अनाज दिया गया है और माँग और सप्लाई के अन्तर को पूरा करने की कोई सम्भावना नहीं है।

**नालागढ़ तालुक को हिमाचल प्रदेश पोस्टल सर्किल के साथ मिलाया जाना**

1220. **श्री हेम राज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भूतपूर्व पंजाब के नालागढ़ तालुक को हिमाचल प्रदेश के साथ मिला दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह अभी तक अम्बाला पोस्टल डिवीजन में शामिल है;

(ग) क्या इसको शिमला पोस्टल डिवीज़न में शामिल कर देने से यह अधिक उपयोगी सिद्ध होगा; और

(घ) यदि हाँ, तो इसे हिमाचल पोस्टल सर्किल में कब शामिल किया जायेगा?

**संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)** :

(क) और (ख) जी हाँ।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

**पंजाब हरियाना और हिमाचल प्रदेश के लिये पोस्टल सर्किल**

1221. **श्री हेम राज** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब, हरियाना तथा हिमाचल प्रदेश के लिए अलग अलग पोस्टल सर्किल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो वह क्या है और ये सर्किल किस प्रकार के होंगे?

**संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)** :

(क) और (ख) पंजाब, हरियाना और हिमाचल प्रदेश के लिए पृथक् डाक सर्किल बनाने के प्रश्न पर विचार किया गया था और यह निर्णय किया गया था कि इसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाये।

**Use of Hindi in Correspondence by the Election Commission**

1222. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Law** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 8246 on the 8th August, 1967 and state :

(a) the number of representations received regarding the delimitation of constituencies ;

(b) the reasons for not replying to the letters in Hindi ; and

(c) whether the Election Commission proposes to conduct its entire correspondence in Hindi ?

**The Minister of Law (Shri Govind Menon)** : (a) the information regarding the number of representations, in Hindi, relating to the Delimitation of Constituencies, received in the Commission during 1st July, 1966 to 30th June, 1967 is being collected.

(b) Most of the representations relating to delimitation of constituencies were in response to Delimitation Commission's draft proposals which did not call for any individual reply as they were to be considered by the Commission at public sittings conducted by it in the States.

(c) In the matter of progressive use of Hindi in Government work, the Commission follows the instructions issued by the Ministry of Home Affairs from time to time. As at present arrangements have been made for replying in Hindi only such communications as are received in Hindi.

**Foodgrain Quota For U. P.**

1223. **Shri N. S. Sharma** : Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that 60 per cent reduction has been effected in the foodgrain quota of Uttar Pradesh during the past five months ; and

(b) if so, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde)** : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**Post Offices of U. P. Villages.**

+1224. **Shri N. S. Sharma**: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of villages in Uttar Pradesh having population of 3,000 to 6,000 which do not have Post Offices ;

(b) the reasons for not opening post offices in those villages ; and

(c) the number of villages whose applications for opening Post Offices there are under consideration ?

**The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral)** : (a) to (c) The information is being collected and will be placed on the Table of the Lok Sabha in due course.

**हजारीबाग संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में उप-निर्वाचन**

1225. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हजारीबाग संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र का उपनिर्वाचन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) निर्वाचन के कब तक होने की सम्भावना है?

**विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) निर्वाचन आयोग की प्रस्थापना यह है कि सदस्य निर्वाचित करने की उक्त निर्वाचन-क्षेत्र से अपेक्षा करने वाली अधिसूचना 13 दिसम्बर, 1967 को निकाली जाए और यदि मतदान आवश्यक हुआ तो 21 जनवरी, 1968 को कराया जाएगा।

**राज्यों के लिये चीनी का कोटा**

1226. **श्री मधु लिमये :** **श्री प्रेम चन्द्र वर्मा :**

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अगस्त से अक्तूबर, 1967 के तीन महीनों की अवधि में राज्यों के चीनी के कोटे में कटौती की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य-वार कितनी कटौती की गई है;

(ग) क्या पूजा तथा दीवाली की छुट्टियों के लिये चीनी का अतिरिक्त कोटा दिया गया था; और

(घ) यदि हाँ, तो राज्य-वार कितना अतिरिक्त कोटा दिया गया था?

**खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1654/67**]।

**भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्न की वसूली**

1227. **श्री मधु लिमये :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछली खरीफ तथा रबी की फसलों में भारतीय खाद्य निगम द्वारा कितने खाद्यान्न की वसूली की गई है:

(ख) आने वाले वर्ष में खरीफ तथा रबी की फसलों के लक्ष्य क्या हैं; और

(ग) खाद्य निगम का, विशेषतया 1,000 रुपए प्रति मास से अधिक कुल उपलब्धि सुविधायें प्राप्त करने वाले अफसरों पर, प्रशासनिक व्यय कितना है?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**:

(क) फसल वर्ष 1966-67 में 1 नवम्बर, 1966 से लेकर 31 अक्तूबर, 1967 तक की अवधि में भारतीय खाद्य निगम ने लगभग 19.27 लाख टन भिन्न-भिन्न खाद्यान्न खरीदे।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपने लिये निर्धारित किए गए समाहार लक्ष्यों की दृष्टि से तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि निगम उन राज्यों में संभवत: क्या क्या काम करेगा,

निगम ने आगामी खरीफ तथा रबी फसलों के दौरान 1 नवम्बर, 1967 से लेकर 31 अक्तूबर 1968 तक की अवधि में 41.8 लाख टन खाद्यान्न खरीदने की अस्थायी लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ग) वित्तीय वर्ष 1966–67 के लेखों को अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। कुल प्रशासनिक व्यय लगभग 344.57 लाख रुपए आने का अनुमान है। 1000 रुपए प्रतिमास से अधिक उपलब्धियाँ/सुविधाएं पाने वाले अफसरों पर होने वाले खर्च के बारे में जानकारी भारतीय खाद्य निगम द्वारा एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

**स्वचालित टेलीफोन**

1228. **श्री रवि राय :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में टेलीफोन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिये सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने स्थानों में स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था चालू की गई है; और

(ग) आगामी योजना की अवधि में कितने स्थानों पर यह व्यवस्था चालू करने का सरकार का विचार है?

**संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) देशमें टेलीफोन व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिये कई कदम उठाये गए हैं जैसे टेलीफोन केन्द्रों का स्वचालित केन्द्रों में परिवर्तन करने की व्यवस्था, सीधे टेलीफोन करने (एस० टी० डी०) की व्यवस्था का विस्तार, स्वचालित ट्रंक एक्सचेंजों की स्थापना, कोक्सियल केबुलों का बिछाया जाना तथा महत्वपूर्ण स्टेशनों के बीच कई टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने के लिये माइक्रो-वेब पद्धति स्थापना इत्यादि।

(ख) 30 सितम्बर, 1967 तक 1827 स्थानों में स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था चालू की गई थी।

(ग) आगामी तीन वर्षों में लगभग 1800 स्थानों पर स्वचालित टेलीफोन व्यवस्था चालू किए जाने की आशा है।

**पूर्वी बंगाल से आये विस्थापित व्यक्ति**

1229. **श्री रवि राय :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में रहने वाले पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों को कालकाजी कालोनी में प्लाटों का अलाटमेंट कब किया जायेगा;

(ख) क्या यह सच है कि कुछ विस्थापित व्यक्तियों ने भारी ब्याज पर ऋण लेकर पहली किस्त चुकाई हैं;

(ग) यदि हाँ, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इन विस्थापित व्यक्तियों को राहत देने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :** (क) कालकाजी कालोनी में प्लाटों के विकास से सम्बन्धित कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निष्पादित किया जा रहा है और अन्य बातों (आउटर सर्विसेज) की व्यवस्था दिल्ली नगर निगम द्वारा की

जानी है। केन्द्रीय लोक निर्माण द्वारा विभाग द्वारा दिए गए टाइम शिड्यूल के अनुसार, ऐसी आशा है कि उपयुक्त विस्थापित व्यक्तियों को अप्रैल, 1968 में लॉटरी निकालकर प्लाटों का आवंटन किया जायेगा।

(ख) उपयुक्त विस्थापित व्यक्तियों ने, जिन्हें प्रीमीयम की पहली किस्त जमा करने को कहा गया था, राशियाँ जमा कर दी हैं। तथापि सरकार को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है कि उन्होंने अपेक्षित धन की व्यवस्था कैसे की।

(ग) और (घ) उपयुक्त विस्थापित व्यक्तियों को 'बिना लाभ-हानि के आधार' पर प्लॉट देने की व्यवस्था की गई है तथा और आगे राहत देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति**

1230. **श्री रवि राय :**

क्या **श्रम तथा पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई दिल्ली की कालकाजी कालोनी में पूर्व बंगाल से आये विस्थापित व्यक्तियों को प्लाटों का अलाटमेंट किन शर्तों पर किया जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि विभाग द्वारा केवल कुछ ही मामलों में इन शर्तों में ढील दी गई है और वैसी ही शर्तों के बारे में सभी नागरिकों को समान अवसर नहीं दिए गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो किस प्रकार के प्लाटों का अलाटमेंट किया गया है?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : (क) 4 जनवरी, 1966 तथा 13 अगस्त, 1967 के प्रेस नोट की प्रतियाँ, जिनमें पात्रता की शर्तें निर्धारित की गई हैं, सभा-पटल पर रखी गई हैं।

**[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 1655/67]** ।

(ख) और (ग) दिनांक 4 जनवरी, 1966 के प्रेस नोट में उद्घोषित शर्तों के अधीन किसी आवेदक के लिये 1 अप्रैल, 1958 से पहले से दिल्ली में लगातार निवास करते रहने की शर्त पूरी करना जरूरी था अर्थात् 31 मार्च, 1966 तक, जो कि आवेदन-पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि थी उसे दिल्ली में रहते हुए कम से कम 8 वर्ष पूरे हो जाने चाहिये थे। इस शर्त से उन लोगों को दिक्कत हुई जो दिल्ली में 8 वर्ष से अधिक समय से रह रहे थे किन्तु ऐसे कारणों से जो कि उनके वश के बाहर थे, निर्णायक तिथि के पश्चात् कुछ रुकावट पैदा हो गई। इसलिए यह निश्चय किया गया कि उन लोगों को भी प्लॉट दे दिए जायें जो कुल 8 वर्ष अथवा उससे अधिक अवधि से दिल्ली में हैं। चूंकि दिल्ली में निरन्तर 8 वर्ष रहने की शर्त के आधार पर जितने आवेदक इन प्लॉटों को पाने के हकदार हो सकते थे, उनकी संख्या से प्लॉटों की संख्या अधिक थी, अतः कुल अवधि को 8 वर्ष से घटा कर 4 वर्ष करने का निश्चय किया गया। सबको समान अवसर देने के लिये 13 अगस्त, 1967 को एक प्रेस नोट जारी किया गया है।

## टेलीफोन के बिल तैयार करने की पद्धति

1231. **श्री शिव चन्द्र झा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली में शीघ्र ही टेलीफोन बिल तैयार करने की एक नई पद्धति लागू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और पिछली पद्धति की तुलना में इस पद्धति से टेलीफोन वालों को किस हद तक लाभ होगा;

(ग) क्या बिल तैयार करने की इस नई पद्धति को लागू करने के प्रश्न पर डाक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई है;

(घ) यदि हाँ, तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है और सरकार ने उनका क्या उत्तर दिया है;

(ङ) क्या सरकार का देश के अन्य बड़े शहरों में भी इस पद्धति को लागू करने का विचार है;

(च) यदि हाँ, तो कब तक; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) :** (क) और (ख) टेलीफोन बिल तैयार करने की एक सुव्यवस्थित पद्धति दिल्ली में पहले ही लागू की जा चुकी है। मुख्य बातें ये हैं कि बिल तुरन्त जारी किए जायेंगे, पिछले बिलों की देय बाकया राशि, यदि टेलीफोन वालों की तरफ कोई बकाया हो तो इन बिलों में बताई जायेगी, टेलीफोन वालों की पूछ-ताछ अथवा प्रश्नों का जवाब शीघ्र दिया जायेगा, आदि।

(ग) प्रशासनिक कर्मचारी संघ को मुख्य बातों से अवगत करा दिया गया है। इस योजना का ब्यौरा भी कर्मचारियों को उन विभिन्न वर्गों का बता दिया गया है जिन्हें उसे क्रियान्वित करना है।

(घ) इस नई योजना के कार्य प्रणाली से कर्मचारी संतुष्ट प्रतीत होते हैं।

(ङ) . (च) और (छ) दिल्ली में परिणाम देखने के बाद, इसे अन्यत्र लागू करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

## Supply of Paddy to Kerala

1232. **Shri Ram Sewak Yadav :** Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state the total quantity of paddy produced in U. P. in 1965-66 and the quantity out of it supplied to Kerala ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde):** The production of paddy in U. P. during 1965-66 was estimated at 23.43 lakh tonnes in terms of rice. During that year 5,000 tonnes rice was supplied from U. P. to Kerala.

## टेलीफोन कनेक्शन

1233. **श्री जार्ज फर्नेन्डीज :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'अपना टेलीफोन लगवाइए' योजना के अन्तर्गत केन्द्रवार कितने टेलीफोन लगाये गए;

(ख) इन टेलीफोनों को लगाने के परिणामस्वरूप अब तक सरकार को कितनी धनराशि मिली; और

(ग) उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत कुल कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े हैं?

**संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)**: (क) से (ग) सूचना सभा-पटल पर रखी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 1956/67]

**आसाम को सप्लाई किये गये पाइप**

1234. **श्री धोरेश्वर कलिता**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री आसाम को 1952 में सप्लाई किये गये कृषि पाइपों के बारे में 8 अगस्त, 1967 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8355 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या माँगी गई जानकारी इस बीच एकत्रित कर ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) और (ख) राज्य सरकार ने अभी तक अपेक्षित जानकारी उपलब्ध नहीं की है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**प्रोटीन की कमी**

1235. **श्री नितिराज सिंह चौधरी**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में प्रोटीनयुक्त पोषाहार की बड़े पैमाने में कमी और विशेषतः बच्चों में उसके कुप्रभाव को देखते हुए सरकार ने सारे देश में बहुत अधिक मात्रा में सस्ते मूल्य के और अधिक प्रोटीन वाले आहार का उत्पादन करने के लिए क्या कार्यवाही की है; और

(ख) देश में प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिये कुल कितनी मात्रा में इस प्रकार के आहार की आवश्यकता है?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) मानव उपभोग के लिये मूंगफली का आटा, बिनौलों का आटा आदि जैसी प्रोटीन युक्त पोषाहारों का उत्पादन बढ़ाने के लिये सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। पौष्टिक आटा और पौष्टिक मैदा, बहु-प्रयोजनी आहार, मिश्रित आटा तथा बाल-आहार के उत्पादन तथा लोकप्रियता के लिये तिलहन के आटे का, जिसमें 50 प्रतिशत प्रोटीन होता है, उपयोग किया जा रहा है। पर्याप्त प्रोटीन युक्त पहले से तैयार शिशु-आहार का उत्पादन करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। खाद्य विभाग द्वारा स्थापित किये जा रहे आधुनिक बेकरी कारखानों में तैयार की जाने वाली डबल रोटी में लाइसीन, विटामिन तथा खनिज पदार्थ मिलाये जायेंगे जिससे डबल रोटी की पौष्टिक शक्ति बढ़ जायेगी, पर्याप्त मात्रा में प्रोटीनयुक्त इन खाद्य पदार्थों को लोक प्रिय बनाने तथा प्रदर्शन करने के लिये अनेक राज्यों में चलती-फिरती मोटर गाड़ियाँ चलायी जा रही हैं।

(ख) इस सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि अभी तक राष्ट्रीय आधार पर ऐसा कोई भी सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

### इटारसी में टेलीफोन एक्सचेंज और वाहक कार्यालय

1236. **श्री नीतिराज सिंह चौधरी**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इटारसी में एक टेलीफोन एक्सचेंज और वाहक कार्यालय है;

(ख) क्या दोनों अलग अलग इमारतों में स्थित हैं;

(ग) क्या एक्सचेंज की इमारत फिर से बनाई जा रही है;

(घ) यदि हाँ, तो क्या एक ही इमारत में टेलीफोन एक्सचेंज और वाहक कार्यालय रखने की वांछनीयता पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**संसद-कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)**: (क) जी, हाँ।

(ख) जी, हाँ।

(ग) एक्सचेंज की इमारत का विस्तार किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) मामला विचाराधीन है।

### Community Development Programme

1237. **Shri Baswant** : Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the members of Food, Agriculture, Community Development and Co-operative Advisory Committees can visit their constituencies for inspecting the work of community development programmes ; and

(b) if so, whether Panchayati Raj and District Boards can provide any transport facility to them ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri M. S. Gurupadaswamy)** : (a) and (b) Members of Parliament have been requested from time to time to lend their support and guidance, in the course of normal tours of their constituencies, to the ongoing programmes in the Community Development Blocks. The State Governments have been asked to ensure that Members of Parliament visiting a Block are allowed the use of the Block transport, in company with some official representative of the Block, wherever this can be done without interfering with the normal functioning of the Block.

### ऋण योजनाएं

1238. **श्री जो० ना० हजारिका**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न ऋण योजनाओं के अन्तर्गत चालू वर्ष में कृषकों को ऋण देने के लिये सरकार द्वारा मंजूर की गई 400 करोड़ रुपये की कुल राशि में से किसानों को वस्तुतः कितनी राशि के ऋण दिये गये हैं;

(ख) मुख्य ऋण योजनाएँ कौन-कौन सी हैं जिनके अन्तर्गत ऐसी ऋण सुविधाएँ दी गई हैं;

(ग) देश की ऋण सम्बन्धी कुल आवश्यकता कितनी है; और

(घ) क्या सरकार का विचार किसानों को ऋण सम्बन्धी सभी आवश्यकतायें पूरी करने का है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी)** : (क) विभिन्न राज्यों में ऋण वितरण का कार्य चल रहा है और यह जानकारी चालू वर्ष के समाप्त होने पर संकलित की जाएगी।

(ख) कृषकों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएं विभिन्न रूपों में पूरी की जा रही हैं। सहकारी समितियाँ ऋण सुलभ करने का प्रमुख संस्थागत अभिकरण हैं। जिन क्षेत्रों में सहकारी समितियाँ कमजोर हैं, वहाँ सरकारी तकावी दी जाती है। असम, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान तथा पश्चिम बंगाल के राज्यों तथा मनीपुर और त्रिपुरा के केन्द्र शासित क्षेत्रों में सहकारी समितियों के माध्यम से उपलब्ध ऋण में वृद्धि करने के लिए कृषि ऋण निगमों की स्थापना करने का विचार है। वाणिज्य बैंकों को भी इस क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ग) प्रो० एम० एल० दांतवाला की अध्यक्षता में एक समिति ने मोटा हिसाब लगाया है कि 1970-71 में कृषकों की अल्पावधि ऋण आवश्यकताएँ, जिसमें परिवार पोषण की आवश्यकताएँ भी शामिल हैं, 1,200-1,300 करोड़ रुपये की हो सकती है।

(घ) यह अस्थायी अनुमान लगाया गया है कि जून, 1967 को समाप्त होने वाले सहकारी वर्ष 1966-67 में सहकारी समितियों ने लगभग 400 करोड़ रुपए का अल्पकालीन उत्पादन ऋण दिया होगा। 1970-71 तक इसे 600 करोड़ रुपए तक ले जाने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त, भाग (ख) में उल्लिखित अन्य साधनों से प्रचुर ऋण उपलब्ध होगा।

### खण्डसारी उद्योग

1239. **श्री यशपाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने चीनी उद्योगों के हित में खंडसारी उद्योगों को समाप्त करने की माँग की है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन्होंने अपने मत के पक्ष में कोई कारण बताये हैं ; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

### Foodgrains Quota for Bihar

1240. **Shri Ramavtar Shastri.** Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the per month quota of foodgrains allotted to Bihar by the Central Government from April to October, last ;

(b) the quantity of foodgrains out of the fixed quota supplied to Bihar every month during the said period ;

(c) in case foodgrains were supplied in lesser quantity than the allotted quota, the reasons therefor ; and

(d) whether Government propose to make good the short supply during the coming months ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde)** : (a) and (b) : Quantities of foodgrains allotted to Bihar from April to October, 1967 and quantities supplied to Bihar every month during the said period are indicated below :—

| Month | (Figures in '000 tonnes) Quota allotted | Quantity supplied |
|---|---|---|
| April, 1967 | 197.0 | 196.6 |
| May, 1967 | 226.0 | 221.9 |
| June, 1967 | 214.8 | 200.3 |
| July, 1967 | 217.5 | 203.1 |
| August, 1967 | 213.7 | 207.5 |
| September, 1967 | 221.2 | 204.3 |
| October, 1967 | 210.8 | 163.1 |

(c) and (d) : Allotments are made on the basis of anticipated arrivals of foodgrains. When actual arrivals are less than the quantity anticipated, supplies naturally are less than the quotas. Shortfalls in supplies were, however, not much except for the month of October. 1967. The arrivals of foodgrains during October were much less than what was anticipated. Besides, during that month, heavy and continuous rains for some days at the Calcutta Port dislocated the port operations thereby affecting movement of grains adversely. The undespatched balances of the quotas allotted to Bihar have not been cancelled. If the availability of foodgrains increases and the need is still there, attempts will be made to supply the backlog to the extent possible.

## डाक तथा तार विभाग के पोस्ट मास्टर जनरल

1241. **श्री धीरेश्वर कलिता**: क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डाक तथा तार विभाग के सर्किलों के पोस्ट मास्टर जनरल क्लर्क तथा अन्य सम्बद्ध संवर्गों के लिये आवेदकों का चयन डाक तथा तार नियमावली (मैनुअल) खंड 3 में उल्लिखित वर्गीकरण के उपबन्धों, नियंत्रण तथा अपील नियमों के अनुसार करते हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड तथा मनीपुर के सर्किलों में नियुक्ति करने वाले अधिकारियों को क्लर्क तथा अन्य श्रेणी कर्मचारियों को भर्ती करने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है ?

**संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)**:(क) क्लर्कों, सोर्टरों, टेलिफोन ओपरेटरों इत्यादि संवर्गों का चयन सर्कलों के मुख्याधिकारियों द्वारा किया जाता है। सर्किलों के मुख्याधिकारियों द्वारा चयन किये गये उम्मीदवारों की वास्तविक नियुक्ति उन नियुक्ति करने वाले अधिकारियों द्वारा की जाती है, जिनका उल्लेख डाक तथा तार नियमावली (मेनुअल) खंड 3 के सी० सी० एस० (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमों में किया हुआ है।

(ख) त्रिपुरा, नागालैंड तथा मनीपुर अलग डाक तथा तार सर्किल नहीं हैं। ये क्षेत्र आसाम डाक तथा तार सर्किल में शामिल हैं तथा इनमें इन संवर्गों की नियुक्ति पोस्ट मास्टर जनरल, शिलाँग द्वारा की जाती है। समस्त भारत के लिये निश्चित की गई प्रक्रियाँ से भिन्न प्रक्रिया बनाने तथा आसाम सर्किल के लिये इन संवर्गों को भर्ती करने का अधिकार अन्य अधिकारियों को देने का कोई विशेष औचित्य नहीं है।

## शिलांग स्थित पोस्ट मास्टर जनरल का कार्यालय

1242. **श्री धीरेश्वर कलिता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिलाँग स्थित पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय के अनेक क्लर्कों को उनके पदों से अलग कर दिया गया है और जाली अंक पत्र प्रस्तुत करने के लिये दंडित किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो अंक पत्रों की जाँच किसने की थी; और

(ग) रोजगार पाने के लिये अंक पत्रों में बड़े पैमाने पर की गई जालसाजी को ध्यान में रखते हुए क्या आसाम सर्किल में हाल में की गई नियुक्तियों के बारे में सरकार का सर्वांगीण जाँच करने का विचार है ?

**संसद् कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) आसाम डाक तार सर्किल के एक अधीनस्थ कार्य में केवल एक ऐसा मामला पकड़ा गया हैं जिसमें क्लर्क संवर्ग के लिये चयन किये गये एक उम्मीदवार ने जाली अंक पत्र प्रस्तुत किया था। उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया गया है और वह मामला पुलिस को सौंप दिया गया है।

(ख) अंक पत्र की जाँच सर्किल कार्यालय के अधिकारी द्वारा की गई थी।

(ग) आसाम डाक तार सर्किल के मुख्याधिकारी को जाली अंक पत्रों के विरुद्ध पर्याप्त कार्यवाही करने को कहा जा रहा है।

**Telephone and Telegraph Facilities in Patratu Railway Colony (E. Rly).**

1243. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the **Minister of Communications** be pleased to state :

(a) whether telephone and telegraph facilities are not available in the Patratu Railway Colony Post Office, Hazaribagh, Bihar ;

(b) whether there is no Post Office in Patratu Dijel Colony and in its adjoining Sakul locality, as a result of which the people of that area have to face varied difficulties ;

(c) whether the population of Dijel Colony and Sakul locality is about one and a half thousand ;

(d) if so, whether Government propose to provide telephone and telegraph facilities in Patratu Railway Colony Post Office and to open a post office in Dijel Colony ; and

(e) if not, the reasons therefor ?

**The Minister of State in the Departmemts of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral)** : (a) Telephone facilitity is available at Patratu Railway Colony Post Office in the form of a Public Call Office. Telegraph facility is available at a near-by Post Office namely Patratu Thermal Power Station which is 3 miles away from the Railway Colony.

(b) There is no post office in Patratu Diesel Colony and Sakul locality. The nearest post offices are Patratu Railway Colony and Sayal Sub Offices, which are about 1½ miles and 2 miles away from Patratu Diesel Colony and Sakul locality respectively.

(c) Yes, approximately.

(d) A proposal to open a post office at Patratu Diesel Colony is under consideration.

(e) Does not arise.

## मनीपुर में विस्थापित व्यक्तियों का बसाया जाना

1244. **श्री मेघचन्द्र** : क्या **श्रम तथा पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जुलाई, 1967 से लेकर आज तक मनीपुर के संघ राज्यक्षेत्र में कितने विस्थापित परिवार बसाये गये;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या मनीपुर की सरकार थोड़े से बंगाली तथा मनीपुरी परिवारों को, जिनके मामले पिछले कुछ वर्षों से निर्णयाधीन थे, फिर से बसाने का काम कर रही है?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण) :**

(क) कोई नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हाँ. मनीपुर सरकार 214 पुराने आये हुए परिवारों तथा 4 नये आये हुए परिवारों अर्थात् जो 1 जनवरी, 1964 से पहले अथवा उसके बाद आये थे और जिन्होंने मनीपुर में बसने के लिये भूमि और अथवा वित्तीय सहायता की माँग की थी, के मामलों पर विचार कर रही है। पुराने आये हुए परिवार मनीपुर में कई वर्षों से रह रहे हैं और उन्हें स्थानीय जनसंख्या का अंग समझा जाना चाहिये तथा राज्य सरकार से जो सहायता स्थानीय लोगों को मिलती है, वह उन्हें मिलनी चाहिये। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि पुराने आये 214 परिवारों के पुनर्वास कार्य चालू हैं। नये आये 4 परिवारों में 3 परिवार मनीपुरी हैं और एक बंगाली। 319 परिवारों के पुर्नवास की योजना के लिये भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुदान में से 3 मनीपुरी परिवारों को पुर्नवास के लिये सहायता देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है। 214 पुराने आये परिवारों के पुनर्वास के मामलों के साथ 1 नये बंगाली परिवार के पुनर्वास के मामले पर भी विचार किया जा रहा है। ये सब परिवार बंगाली हैं।

**निर्वाचन कार्यालय, मनीपुर द्वारा जीपें भाड़े पर लेना**

1245. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर के निर्वाचन कार्यालय ने 1967 के साधारण निर्वाचन के दौरान मनीपुर के पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग के लिए प्राइवेट जीपें और मोटर-गाड़ियाँ भाड़े पर ली थीं;

(ख) क्या जीपों या मोटर-गाड़ियों के मालिकों को भाड़े की राशि अभी तक नहीं दी गई है;

(ग) यदि हाँ, तो भाड़े की राशि देने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) कितनी मोटर-गाड़ियाँ भाड़े पर ली गई थीं और भाड़े की कितनी राशि देनी बाकी है?

**विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) :**

जानकारी संगृहीत की जा रही है और उपलब्ध होने पर सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**खाद्य उत्पादन**

1246. **डा० कर्णी सिंह**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू फसल के दौरान खाद्य का कितना उत्पादन होन का अनुमान है और देश में ऐसी कितनी भूमि है जिसमें अपर्याप्त वर्षा होने के फलस्वरूप सक्रिय रूप से खेती नहीं की जा सकी;

(ख) पिछले दो वर्षों में हुए उत्पादन की तुलना में इस वर्ष के उत्पादन में कितनी कमी अथवा वृद्धि हुई है; और

(ग) उत्पादन में कितनी वृद्धि उन्नत कृषि साधनों के कारण हुई है और कितनी संतोष-जनक मानसून के कारण ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) समस्त राज्यों में फसलों के कटने का कार्य पूरा होने पर ही सन् 1967-68 के खाद्यान्नों की फसलों के उत्पादन के अनुमान उपलब्ध हो सकेंगे। साधारणतया, लगभग समस्त देश में पूर्व-मानसून (मार्च-मई) और दक्षिण पश्चिम मानसून (जून-सितम्बर) मौसमों के दौरान अच्छी वर्षा हुई। अतः ऐसा बड़ा क्षेत्र शायद ही कोई रहा हो जहाँ अपर्याप्त वर्षा के कारण सक्रिय कृषि कार्य शुरू नहीं किए गए।

(ख) वर्तमान संकेतों से और कृषि मौसम के शेष में सामान्य मौसम होने पर ऐसी सम्भावना है कि इस वर्ष की फसल का उत्पादन एक नया रिकार्ड बनाएगा और गत दो वर्षों में हुए उत्पादन की तुलना में अधिक होगा।

(ग) उत्पादन में कितनी वृद्धि कृषि साधनों के कारण हुई है और कितनी संतोषजनक मानसून के कारण, इस बात का विभाजन करना कठिन है।

**चैकोस्लोवाकिया के ट्रैक्टरों का आयात**

1247. **श्री चं० चु० देसाई** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य व्यापार निगम के माध्यम से चैकोस्लोवाकिया से 20 हार्स पावर के 2,000 ट्रैक्टर आयात किये हैं और यदि हाँ, तो क्या वे बने हुए हैं अथवा उनके पुर्जे भारत में जोड़े जायेंगे;

(ख) क्या इन ट्रैक्टरों के पुर्जों को जोड़ने तथा इन ट्रैक्टरों के वितरण के लिए सरकार द्वारा अनुभवी तथा सुस्थापित संगठनों से टेंडर माँगे गये थे;

(ग) क्या सबसे नीचा टेंडर देने वालों को ट्रैक्टरों के पुर्जे जोड़ कर ट्रैक्टर बनाने का तथा उनको वितरित करने का काम सौंपा जायेगा ; और

(घ) क्या इन ट्रैक्टरों की लागत, बीमा तथा भाड़ा सहित मूल्य उतना ही होगा जितना विश्व के अन्य देशों में है अथवा उनसे अधिक होगा ?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : (क) राज्य व्यापार निगम के माध्यम से चैकोस्लोवाकया से 2000 जैटर–2011 ट्रैक्टरों के आयात की व्यवस्था की गई है। इनमें से 1,000 ट्रैक्टर बने बनाये तथा 1,000 ट्रैक्टर सी० के० डी० पैक में, जिनको भारत में जोड़ा जाएगा, आयात किये जायेंगे।

(ख) जी नहीं। ट्रैक्टरों को जोड़ने तथा वितरण करने के कार्य एग्रो-इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन के माध्यम से किया जायेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) इस ट्रैक्टर के सी० आई० एफ० मूल्य के बारे में राज्य व्यापार निगम ने पत्र-व्यवहार किया है। विभिन्न देशों में ऐसे ट्रैक्टरों के तुलनात्मक मूल्यों के विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

**Offer by Israel to Supply Foodgrain to India**

1248. **Shri Ramavtar Sharma** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government of Israel have made any offer of supply of foodgrain to India;

(b) if so, the quantity thereof ; and

(c) the reaction of Government in this regard ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** (**Shri Annasahib Shinde**) : (a) No Sir.

(b) and (c) Do not arise.

**Seeds for Rabi Crop in Bihar**

1249. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is an acute scarcity of rabi seeds throughout the State of Bihar ;

(b) whether the Bihar Government have requested the Central Government for the supply of seeds for rabi crop ; and

(c) if so, the quantity of wheat and gram seeds asked for by the State Government and the quantity actually supplied to them so far and their price per quintal, as fixed by Government ?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation** (**Shri Annasahib Shinde**) : (a) There has been heavy demand for rabi seeds in Bihar State this year.

(b) Yes, Sir.

(c) The Government of Bihar had first requested for an allotment of 7,000 tonnes of Mexican wheat seeds and 4,000 tonnes of gram seeds for sowing during Rabi-67. Subsequently due to floods in certain areas of the State, Bihar Government asked for a further supply of 5,000 tonnes of wheat seeds, 5,000 tonnes of gram seeds and 3,500 tonnes of barley seeds. Taking into consideration the local availability of Mexican wheat seeds with the cultivators, and the availability of gram and wheat seeds in other States, arrangements were made to make allocations of wheat and gram seeds from Punjab State and the Central Mechnised Farm, Suratgarh. As only 900 tonnes of barely seeds could readily be procured, Bihar requested that they may be given wheat seed in lieu of the balance of 2,600 tonnes of barley seeds.

Against their above requirements, the following quantities of seeds were allocated to Bihar from Punjab and the Central Mechanised Farm, Suratgarh. The price per quintal F.O.R. despatch stations is also indicated below :—

(a) **Punjab**

| | Quantity | Price per quintal | |
|---|---|---|---|
| 1. Wheat seeds | 12,600 tonnes | Superior wheat seed. | Rs. 97.11 P. |
| | | Mexican wheat seeds | Rs. 93.57 P. |
| 2. Gram Seeds | 8,000 ,, | | Rs. 119.50 P |
| 3. Barely seeds | 900 ,, | | Rs. 95.60 P |

(b) **Suratgarh**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Wheat seeds | 452 ,, | Wheat seed. | Rs. 102.00 P |
| | | Mexican wheat seed. | Rs. 95.00 P |
| 2. Gram seeds | 160 ,, | | Rs. 74.00 P. |

**Sugar Quota For M. P.**

1250. **Shri G. C. Dixit:** Will the **Minister of Food and Agriculture** be pleased to state :

(a) the quantum of sugar quota allotted month-wise to Madhya Pradesh for the period from June 1967 to October, 1967 ; and

(b) the quantity of sugar demanded by Madhya Pradesh during the above period?

**The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde):** (a) 9,192 tonnes per month. An additional quota of 1,838 tonnes of sugar was also allotted in September, 1967, for festivals.

(b) No demand as such was received from Madhya Pradesh Government during this period.

**Abolition of Radio Licence Fee**

1251. **Shri S. M. Joshi** : Will the **Minister of Communications** be pleased to state :

(a) the total number of radio receiving Sets in the country at present ;

(b) the total number of radio licences issued ;

(c) whether Government are considering the question of abolition of Radio Licence Fee ; and

(d) if so, the categories of radio-users who would benefit therefrom ?

**The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral** ) : (a) The total number of radio receiving sets in the country cannot be stated accurately as there are radio sets other than those duly licensed by the Department.

(b) Total number of radio licences in force as on 31st December, 1966 (i.e. the last complete licensing year) was 64,83,896.

(c) No.

(d) Does not arise.

**Ulhasnagar Transit Camp**

1252. **Shri Baswant:** Will the Minister of **Labour and Rehabilitation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a decision was taken to allot plots to shop-keepers in Ulhasnagar transit Camp (Maharashtra) ; and

(b) the decision taken by Government on the demand of shopkeepers to charge the value for the shops as per market rates prevailing at the time of giving possession thereof ?

**The Deputy Minister in the Ministry of Labour and Rehabilitation. (Shri D. R. Chavan):**

(a) No, Sir.

(b) Does not arise.

**पुनर्वास विभाग में छंटनी**

1253. **श्री महाराज सिंह भारती:** क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास विभाग को 13 सितम्बर, 1966 से स्थायी कर दिया गया है तथा सरकार ने इस संबंध में उस विभाग के 50 प्रतिशत कर्मचारियों की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कर्मचारी निरीक्षक एकक द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार फालतू घोषित किये जाने वाले कर्मचारियों को नोटिस दिये जाने से पहले सरकार के इस निर्णय को कार्य रूप दे दिया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: (क) जी नहीं। वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 23 (46) ई० जीं० आई/65 दिनाँक 13 सितम्बर 1966 द्वारा भारत सरकार ने अस्थायी विभागों के अस्थायी पदों के उन 50 प्रतिशत पदों को, जो दस वर्ष पुराने हैं तथा जिन्हें ज्ञात भविष्य में सामाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, स्थायी बनाने का निर्णय किया है, बशर्ते कि ये पद पाँच अथवा इस से अधिक अवधि से लगातार चलते आ रहे हों तथा अनिश्चित काल के लिये इन की आवश्यकता समझी जाती हो। उक्त परिपत्र, तथापि पुनर्वास संगठन के पदों पर पूरी तरह से लागू नहीं है, क्योंकि यह समझा जाता है कि ज्ञात भविष्य में इस का कार्य समाप्त हो जायेगा। तथापि उक्त परिपत्र द्वारा पतिपादित सिद्धान्त के अनुसार तदर्थ आधार पर इस संगठन के कुछ पदों को स्थायी बनाने के लिये वित्त मंत्रालय सहमत हो गया है। सरकार के उक्त निर्णय के अनुसरण में पुनर्वास विभाग तथा उसके अधीनस्थ कार्यालयों में स्थायी घोषित किये गये पदों की संख्या बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 1657/67**]।

(ख) और (ग): मुख्य पुनर्वास विभाग के अधिकतर कर्मचारियों को, जो स्थायी घोषित करने के हकदार थे, स्थायी घोषित किया गया है। पुनर्वास संगठन, केन्द्रीय दावा संगठन तथा वेतन तथा लेखा कार्यालय, पुनर्वास, के स्थायी घोषित किये जाने के हकदार कर्मचारियो का प्रश्न विचाराधीन है। वर्ष 1965 में मुख्य पुनर्वास विभाग में कर्मचारियों की आवश्यकता के प्रश्न का कर्मचारी निरक्षक एकक द्वारा पुनरीक्षण किया गया था तथा उसके परिणामस्वरूप एक राजपत्रित और 27 अराजपत्रित पदों को फालतू घोषित किया गया था। राजपत्रित पद पर काम करने वाले व्यक्ति ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति प्राप्त कर ली और एक अराजपत्रित अधिकारी को उनके मूल संवर्ग में वापस भेज दिया गया। अन्य स्थान रिक्त थे, अतः किसी को नोटिस देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

कर्मचारी निरक्षण एकक ने पुर्नवास विभाग के पुर्नवास संगठन के केन्द्रीय कार्यालय की कर्मचारी आवश्यकताओं का हाल ही में पुनरीक्षण किया है तथा उनकी सिफारिशों के अनसार 5 राजपत्रित और 190 अराजपत्रित पदों को फालतू पाया गया है। किसी कर्मचारी को नोटिस नहीं दिया गया है। राजपत्रित अधिकारियों तथा तीसरी श्रेणी के अराजपत्रित अधिकारियों को गृह मंत्रालय के सरपलस शैल में भेजा जायेगा और उन्हें अन्यतर खपाया जायेगा। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को भी रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के माध्यम के वैकल्पिक रोजगार दिया जायेगा।

**पुनर्वास विभाग में छंटनी**

1254. **श्री महाराज सिंह भारती**: क्या श्रम तथा पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पुनर्वास विभाग के कर्मचारी निरीक्षक एकक ने 42 व्यक्तियों को फालतू घोषित किया है तथा उन्हें 1 अक्तूबर, 1967 से एक महीने का नोटिस दे दिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उन व्यक्तियों ने इस आदेश/नोटिस के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन भेजा है; और

(ग) इसके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** पुनर्वास विभाग में कर्मचारी निरीक्षक एकक ने एक राजपत्रित तथा 27 अराजपत्रित पदों को फालतू पाया है। राजपत्रित अधिकारी ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति प्राप्त कर ली है और एक अराजपत्रित अधिकारी को उसके मूल संवर्ग में वापस कर दिया गया है। शेष पद खाली पड़े थे। इसलिये किसी व्यक्ति को नोटिस देने का कोई प्रश्न नहीं था। कर्मचारी निरीक्षक एकक ने हाल ही में पुनर्वास संगठन के कार्यालय की कर्मचारी आवश्यकता का भी पुनरीक्षण किया है और 5 राजपत्रित तथा 190 अराजपत्रित पदों को फालतू पाया है। फालतू पाये गये कर्मचारियों को अन्यतर रोजगार देने के लिये गृह कार्य मंत्रालय अथवा रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय में भेजा जायेगा। किसी भी कर्मचारी को नौकरी खत्म करने का नोटिस नहीं दिया गया है।

(ख) और (ग) : भाग (क) के उत्तर को देखते हुए भाग (ख) और (ग) के प्रश्नों के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता।

**आसाम में माइक्रो-वेव प्रणाली में कर्मचारियों का प्रशिक्षण**

1255. **श्री रा० बरुआ** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या आसाम में माइक्रो-वेव प्रणाली के लिए कुशल और अर्द्ध-कुशल कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के हेतु कोई योजना सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या अपेक्षित प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये आसाम के लोगों को सुविधाएँ दी गई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

**संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) माइक्रो-वेव प्रणाली के रख-रखाव में किसी अर्द्ध शिक्षक व्यक्ति को नहीं रखा जाता। पर्यवेक्षक को जबलपुर, कलकत्ता इत्यादि के मुख्य दूर-संचार प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण दिया जाता है तथा उनके पाठ्य-क्रम में माइक्रो-वेव प्रणाली भी शामिल है। मकैनिकों को जिन्हें केवल पावर संयंत्र की देखभाल करनी होती है आसाम सर्किल द्वारा भर्ती किया जाता है और उसी द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) और (ग) आसाम सर्किल के इंजीनियरी पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था अन्य सर्किलों के व्यक्तियों की भाँति मुख्य प्रशिक्षण केन्द्रों में ही है। गौहाटी में मकैनिकों को प्रशिक्षण देने वाला एक आसाम सर्किल प्रशिक्षण केन्द्र है।

**उड़ीसा में चावल की वसूली**

1256. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उड़ीसा में 1966–67 और 1967–68 में अब तक कितना चावल वसूल किया गया और कितना चावल बाहर भेजा गया ;

(ख) 1968–69 के फसली वर्ष के लिये उड़ीसा राज्य में चावल वसूली का कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या वसूली की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(घ) 1966–67 और 1967–68 में केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में चावल की वसूली के लिये भारतीय खाद्य निगम को कितनी राशि दी है?

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) 1966–67 के फसली मौसम (नवम्बर, 66 से अक्तूबर 67 तक) में 1.96 लाख मीटरी टन चावल तथा चावल के रूप में धान वसूल किए गए थे। इसमें से 99 हजार मीटरी टन राज्य से बाहर भेजे गए। वर्ष 1967–68 का फसली मौसम केवल 1–11–67 को आरम्भ हुआ है। राज्य सरकार ने अभी यह सूचना नहीं दी है कि 1967–68 में अब तक कुल कितनी वसूली की गई। यह सूचना प्राप्त हुई है कि 15–11–1967 तक 887 मीटरी टन चावल राज्य से बाहर भेजा गया है।

(ख) उड़ीसा सरकार द्वारा फसली वर्ष 1968–69 के लिये वसूली का यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो उसकी जानकारी नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उड़ीसा में वसूली करने के लिये विशेष रूप से केन्द्रीय सरकार द्वारा खाद्य निगम को कोई धन नहीं दिया गया है। भारत सरकार खाद्य निगम को ऋण के रूप में धन देती है। खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में वसूली को देखते हुए इन सुविधाओं तथा स्टेट बैंक की नकद ऋण सुविधा का लाभ उठाया जाता है।

**खाद्य तथा कृषि के लिए योजना में धन का नियतन**

1257. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा राज्य सरकार के साथ बातचीत करने के पश्चात् 1968–69 के लिए उड़ीसा को खाद्य और कृषि के लिए योजना में धन का नियतन अन्तिम रूप में तय कर लिया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो योजनावार इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) 1967–68 के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और क्या इसका पूरा उपयोग किया गया है?

**खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)**: (क) और (ख):

जी नहीं। अभी तक उड़ीसा के 1968–69 के खाद्य और कृषि सम्बन्धी योजना-नियतनों को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। 8 व 9 नवम्बर, 1967 को कृषि विषयक कार्यकारी दल ने प्रारम्भिक विचार विमर्श किया था, जिसमें कृषि क्षेत्र की योजनाओं के बारे में राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार किया गया था। योजना आयोग कार्यकारी दल की सिफारिशों पर विचार कर रहा है।

(ग) उड़ीसा की 1967–68 की वार्षिक योजना में कृषि कार्यक्रमों के लिए 8.22 करोड़ रुपए के व्यय को व्यवस्था स्वीकार की गई थी। व्यय हुई रकम का ज्ञान 1967–68 की समाप्ति के पश्चात् ही हो सकेगा।

**उड़ीसा में डाक-घर**

1258. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय उड़ीसा में कितने डाक-घर हैं;

(ख) गैर-सरकारी किराये की इमारतों में कितने डाक-घर स्थित हैं; और

(ग) इन कार्यालयों की इमारतों के लिये कितना वार्षिक किराया दिया जा रहा है?

**संसद कार्य तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल)** : (क) 4,710

(ख) 387

(ग) 2.67.526.19 रुपए।

---

## अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

**कलकत्ता में गोदी श्रमिकों की हड़ताल**

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr) : I beg to draw the attention of Hon. Minister for Labour, Employment and Rehabilitation to the following matter of urgent Public Importance and request that he may make a statement in regard thereto ?

"Strike by Dock Workers in Calcutta."

**श्रम तथा पुनर्वास मंत्री (श्री हाथी)**: समुद्रतटीय श्रमिकों की राष्ट्रीय यूनियन और कलकत्ता गोदी कामगर यूनियन ने 4 अक्तूबर, 1967 को गोदी श्रमिक बोर्ड को एक जैसे नोटिस भेजे कि उन्होंने 18 अक्तूबर, 1967 के बाद हड़ताल करने की सोची है। नोटिसों में उल्लिखित माँगें ये थीं:—

(१) नौभरण प्रणाली का राष्ट्रीयकरण और राष्ट्रीयकरण होने तक कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड के प्रशासनिक निकाय का निष्कासन।

(2) सूचीबद्ध नमक श्रमिक, बोरियाँ सीने वाले, बोरियाँ भरने वाले आदि श्रमिकों सहित श्रमिकों के सब वर्गों का पंजीकरण।

(3) भर्ती में गोदी कामगरों के सम्बन्धियों को प्राथमिकता देना।

(4) मकान किराया भत्ता।

प्रादेशिक श्रम आयुक्त ने समझौते की कार्रवाइयाँ कीं लेकिन इस विवाद के बारे में कोई समझौता नहीं हो सका। उन्होंने 19 अक्तूबर, 1967 को असफलता की रिपोर्ट पेश की। मैंने तुरन्त श्रमिकों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श के लिए 25 अक्तूबर को बुलाया। विचार-विमर्श के दौरान, यह उन्हें बताया गया कि नौभरण प्रणाली के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न एक बड़ा नीति प्रश्न है और इस पर केवल कलकत्ता पत्तन के बारे में निर्णय नहीं लिया जा सकता। लेकिन जहाँ तक प्रशासनीय निकाय के असंतोषजनक रूप से कार्य करने के बारे में उनकी शिकायतों का प्रश्न है, मैं उसकी जाँच करूँगा। तदनुसार मैंने नौभरकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक 6 नवम्बर

को बुलाई और उन्हें यह सुझाया कि उन्हें श्रमिकों के प्रतिनिधियों के साथ एक द्विक्षीय बैठक बुलानी चाहिए और इस बैठक में सभी विशिष्ट शिकायतों पर अच्छी तरह से सोच विचार किया जाना चाहिए। जिन विषयों पर कोई समझौता न हो सके वे निर्णय के लिए पहले बोर्ड के अध्यक्ष को भेजे जायेंगे और बाद में, यदि आवश्यक हुआ तो केन्द्रीय सरकार को भेजे जाँय।

जहाँ तक श्रमिकों के सारे वर्गों के पंजीकरण का सम्बन्ध था, चूंकि इससे परिवहन के वित्तीय भार में वृद्धि होने की सम्भावना है— विशेषकर अनाज पर—मैंने सुझाव दिया कि हमें श्रमिकों के पंजीकरण के सारे प्रश्न के आर्थिक पहलुओं पर विचार करना चाहिये और इस कार्य के लिए सरकार एक सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त करेगी।

मकान किराया भत्ता के प्रश्न के सम्बन्ध में मैंने सुझाव दिया था कि यह मामला मजूरी बोर्ड को सौंप दिया जायगा। वास्तव में यह मामला मजूरी बोर्ड को भेज दिया गया है। जहाँ तक सम्बन्धियों की नियुक्ति का सवाल है, कलकत्ता गोदी श्रमिक बोर्ड ने सभी कठोर मामलों को सहानुभूतिपूर्वक निपटाने की सम्मति व्यक्त की है। अतः सदन को यह पता चलेगा कि मैं इस मामले से पूर्ण अवगत था और समझौता कराने की कोशिश कर रहा था।

जब विशेषज्ञ समिति नियुक्त की जा रही थी और मकान किराया भत्ता का मामला मजूरी बोर्ड को भेजा गया तब मुझे यह सूचना मिली की यूनियनों ने हड़ताल करने का फैसला किया है क्योंकि नोटिस की अवधि समाप्त हो चुकी थी। तत्काल, मैंने यूनियनों को संदेश भेजा कि वे हड़-ताल न करें। मेरे सभी प्रयासों के बावजूद, श्रमिकों ने 15 तारीख के अपराह्न से हड़ताल कर दी। मुझे ऐसे समय पर की गई जल्दबाजी की इस कार्यवाही पर खेद है, जबकि इस समय कलकत्ता में अनाज की कमी की नाजुक स्थिति है और अनाज लाने वाले जहाजों पर से अनाज उतारना है और श्रमिकों की माँगों पर विचार किया जा रहा था। मैं श्रमिकों के हड़ताल के अधिकार को मना नहीं करता, परन्तु मैं यह जरूर महसूस करता हूँ कि इस मामले में श्रमिकों को ऐसी कार्यवाही करने के लिए गलत सलाह दी गई, जिससे सारी जनता को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

इसी बीच, पश्चिम बंगाल सरकार भी श्रमिकों को यह मनाने की कोशिश कर रही थी कि वे हड़ताल न करें।

जब मैंने 16 तारीख को पश्चिम बंगाल के उप मुख्य मंत्री के साथ हड़ताल के इस मामले पर विचार-विमर्श किया तब उन्होंने मुझे बताया कि श्रमिक मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने तत्काल उनका सुझाव मान लिया और उनसे प्रार्थना की कि वे मजदूर संघ के प्रतिनिधियों को यह सूचित कर दें कि मैं उनसे 18 तारीख को मिलूगा। मैंने उनसे यह भी प्रार्थना की कि वे मेरी ओर से उनसे काम करने की अपील करें। तदनुसार अधिकांश श्रमिकों (लगभग 17,000) ने 16 तारीख को काम शुरू कर दिया। अब यह हड़ताल केवल सूचीबद्ध श्रमिकों तक ही सीमित है, जिनकी संख्या लगभग 4,500 है।

श्रमिकों के प्रतिनिधि पहले 18 तारीख को और फिर 20 तारीख को मुझसे मिले। विचार-विमर्श के दौरान कई प्रस्ताव और प्रति-प्रस्ताव किए गये। वे मुख्यतः सूचीबद्ध श्रमिकों के पंजीकरण पर जोर दे रहे थे। अन्त में मैंने 20 तारीख को शाम को उन्हें बताया कि पंजीकरण सब लाभों के साथ किया जायेगा बशर्ते कि जनवरी 1965 में यूनियन द्वारा स्वीकृत प्रोत्साहन योजनाओं में निर्दिष्ट उत्पादन के न्यूनतम मानक पूरे किए जायं। मैंने यह भी स्वीकार किया कि

इन लक्ष्यों की पूर्ति करने में जो व्यावहारिक कठिनाइयाँ आयेंगी उन्हें दूर कर दिया जायेगा। श्रमिकों के प्रतिनिधि इस पर विचार करने के लिये और आपस में सोच विचार करने के लिए समय चाहते थे। वे आज उत्तर देंगे।

फिर भी मैं श्रमिकों और उनके नेताओं से अपील करूँगा कि इन बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अपने लाभ के लिए और समस्त देश के हित के लिए हड़ताल तुरन्त समाप्त कर देनी चाहिए।

**Shri Madhu Limaye** : The Hon. Minster has stated that in view of the critical situation in the country in regard to food, the strike by Dock Workers would be undesirable as it would affect the imports of foodgrains. But I would draw your attention to the second part of the statement made by the Hon. Minister that

"अन्ततोगत्वा मैंने 20 तारीख की शाम को उनके सम्मुख यह प्रस्ताव रक्खा कि रजिस्ट्रेशन पूरे लाभों के साथ किया जायेगा।"

The Hon. Minister gave this assurance on 20th. evening after the launching of the strike. This is the normal policy of the Government. Would therefore the Hon. Minister assure this House that in future he would make efforts for the settlement of the disputes before the workers resort to strike ?

**Shri Hathi** : I am in full agreement with the Hon. Member. I had already offered to them that as soon as they give me assurance regarding output, I am prepared for registration. But after proposals and counter proposals, talks were held yesterday evening.

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी**: गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा अन्य स्थिति को ठीक प्रकार से न सम्भालने के कारण ही हड़ताल हुई है। अधिकारियों को श्रमिकों के प्रति सहानुभूति का रवैया अपनाना चाहिये और उनकी आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना चाहिये। अतः मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूँगा कि वे एक जाँच समिति नियुक्त करें—चाहे उस जाँच समिति में एक ही आदमी हो, जो कि गोदी श्रमिकों के मामलों की जाँच करे और यह देखे कि क्या प्रशासन ठीक प्रकार से चल रहा है अथवा नहीं।

दूसरे, मंत्री महोदय इसके लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं कि कर्मचारियों को भविष्य में अपनी उचित माँगों के लिये हड़ताल का सहारा न लेना पड़े?

**श्री हाथी**: मुझे इस बात पर आश्चर्य है कि मेरे वक्तव्य के बाद भी, माननीय सदस्य यह कह रहे हैं कि मंत्रालय के अधिकारियों ने उपेक्षा का रवैया अपनाया। वास्तविकता तो यह है कि श्रमिक यह चाहते हैं कि उनका पंजीयन किया जाय और पंजीयन से होनेवाले लाभ उनको दिए जायँ। इससे सरकार पर काफी वित्तीय भार पड़ जायेगा। मैं इसके लिए तैयार था और मैंने उनसे यह कहा था कि यदि आप वांछित उत्पादन करेंगे तो ऐसा किया जा सकता है। परन्तु उन्होंने कहा कि नहीं, पहिले पंजीयन होना चाहिये। हम किसी भी प्रकार का लाभ नहीं चाहते। परन्तु मेरे समझाने पर वे मान गए और कल शाम को ही उन्होंने कहा कि वे इसपर विचार करेंगे। मैंने उनसे बार बार यही कहा है कि वे काम करें। उनकी प्रत्येक माँग पर विचार किया जायेगा।

**श्री स्वतंत्र सिंह कोठारी**: उन्होंने गोदी श्रमिक बोर्ड के कार्य-संचालन की जाँच के लिये समिति नियुक्त करने के बारे में कोई उत्तर नहीं दिया।

**श्री हाथी**: गोदी श्रमिक बोर्ड के बारे में स्थिति यह है कि इसके सदस्यों में से तीन सदस्य यूनियन के नेता हैं जिनके साथ मैं बातचीत कर रहा हूँ।

**श्री लोबो प्रभु** (उदीपी): मंत्री महोदय यह बतायें कि यह एक गैरकानूनी हड़ताल तो नहीं है। अगर यह एक गैर कानूनी हड़ताल है तो मंत्री जी द्वारा बातचीत जारी रखने का क्या औचित्य है। यह एक गैरकानूनी हड़ताल है क्योंकि श्रमिकों ने आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है और उन्होंने हड़ताल कर दी है। मंत्री महोदय यह भी बताने की कृपा करें कि इस हड़ताल से रेलवे तथा नौवहन व्यस्था तो अस्तव्यस्त नहीं होगी, क्या इसके कारण दोनों ओर माल की चोरी तो नहीं हो रही है, क्या इससे उपभोक्ता को अधिक मूल्य तो नहीं देना पड़ रहा है? यदि ऐसा है तो औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्दर काफी उपबन्ध हैं जिनके प्रयोग में लाया जा सकता है। सरकार साम्यवादियों के सिद्धान्त को क्यों नहीं अपनाती और हड़तालों पर प्रतिबन्ध क्यों नहीं लगाती। यदि सरकार इस सिद्धान्त की नहीं अपनाती है, तो क्या वह इन हड़तालों के कारण जनता और उससे होने वाली हानि को पूरा करेगी क्योंकि इस प्रकार की बातें एक अच्छे सरकार को शोभा नहीं देतीं।

**श्री हाथी**: हड़ताल गैर कानूनी नहीं है क्योंकि श्रमिकों ने इसका नोटिस दिया है। जहां तक पूरे काम के ठप्प हो जाने का प्रश्न है काम में अधिक नुकसान नहीं हुआ है क्योंकि 17,000 श्रमिक काम कर रहे हैं और बंगाल सरकार ने भी सहयोग दिया है। बंगाल सरकार ने काम करने के लिए राष्ट्रीय कार्यकर्ता दल को भेजा है। लेकिन मैं एक बात से सहमत हूँ कि जिन मामलों पर चर्चा चल रही है और जिस दोर में वार्ता चल रही है और जहाँ प्रबन्धकों का रवैया उचित है श्रमिकों को हड़ताल नहीं करनी चाहिये।

**श्री समर गुह**: मंत्रालय और कर्मचारियों के बीच विवाद यह है कि श्रम मंत्री तो यह चाहते हैं कि श्रमिक उत्पादन बढ़ायें। परन्तु श्रमिक कहते हैं कि वे उत्पादन बढ़ाने के विरुद्ध नहीं हैं परन्तु मंत्रालय ने उत्पादन का जो लक्ष्य निश्चित किया है, वह बहुत अधिक है और उसे एक उचित सीमा तक लाया जाना चाहिये। मंत्री महोदय ऐसी स्थिति पैदा करें जिससे जब कभी भी जहाजों से अनाज उतारने का प्रश्न पैदा हो श्रमिकों को हड़ताल का सहारा न लेना पड़े।

**श्री हाथी**: मैंने श्रमिकों से कहा है कि यदि उन्हें अधिक कार्य अथवा अन्य तकनीकी बातों के कारण कोई कठिनाई होती है तो मैं उनकी ओर ध्यान दूंगा।

**श्री समर गुह**: व्यवस्था स्थापित करने के बारे में क्या है?

**श्री हाथी**: हम ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे।

**Shri Marandi** : How much loss has been sustained by Government as a result of one day's strike ?

**Shri Hathi** : We have not calculated it. But no significant loss has been sustained because 17,000 workers are already working.

---

## हरियाना के बारे में नियम 377 के अन्तर्गत मामला

## MATTER UNDER RULE 377 RE. STATE OF HARYANA

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Balrampur) : In case the news about imposition of President's Rule in Haryana by the Central Government is correct, we consider that this decision is unreasonable and un-constitutional. The Central Government has not shown any wisdom in taking this decision and we should be given an opportunity to censure the Central Government and this matter should be discussed today in the House.

**Shri Randhir Singh** (Rohtak): This should be done immediately.

**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर): सरकार भ्रष्टाचार के नाम पर राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहती है। हमने एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। हम मंत्री जी की नहीं सुनना चाहते।

**अध्यक्ष महोदय:** शान्ति, शान्ति। माननीय सदस्य बैठ जाँय। यह बात आज सुबह मेरे ध्यान में लाई गई थी। यह तो केवल प्रक्रिया को निर्धारित करने का प्रश्न है। मेरे पास बहुत से स्थगन प्रस्ताव आये हैं। इसीलिए मैंने यह ठीक समझा है कि गृह मंत्री हमें वास्तविक स्थिति से अवगत करें।

**श्री स० मो० बनर्जी:** स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करें।

**अध्यक्ष महोदय:** शान्ति, शान्ति। मैं इस मामले में किसी भी सदस्य के विचार सुनने को तैयार नहीं हूँ कि मुझे क्या करना है। मैंने कहा है कि श्री रंगा अथवा श्री बाजपेयी इसको सभा में उठा सकते हैं और गृह मंत्री जी के विचार सुनने के बाद हम इस चर्चा के लिये समय निश्चित कर सकते हैं कि क्या यह अनुमोदन अथवा अननुमोदन के लिए एक प्रस्ताव के रूप में हो अथवा स्थगन प्रस्ताव के रूप में। मैंने नियम 377 के अन्तर्गत श्री वाजपेयी को इस मामले को उठाने की अनुमति दे दी थी और यह हो गया है। अब हम गृह मंत्री जी के विचार सुनें। बाद में हम यह निर्णय कर सकते हैं कि हम इस मामले को कैसे लेंगे। एक अविश्वास प्रस्ताव भी है। वह कल लिया जायगा। इस समय सभा के सामने जो मामला है वह नियम 377 के अन्तर्गत हरियाना के बारे में है।

**श्री रंगा** (श्री काकुलम): समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या गवर्नर ने हरियाना के मुख्य मंत्री से विधान सभा बुलाने के लिये कहा है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि उन्हें विधानमंडल में बहुमत प्राप्त है अथवा नहीं। क्या ऐसा किया गया है। यदि हाँ, तो किस तारीख को और मुख्य मंत्री ने क्या उत्तर दिया है और उसके बाद गृह मंत्री जी का किस आधार पर कार्यवाही करने का विचार है?

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr): Mr. Speaker, in case President's rule has been announced and after a copy thereof has been laid on the Table of the House, Mr. Ranga should be allowed to move Adjournment Motion if he has secured first place in the ballot because in that case there is no question of No-confidence Motion.

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी:** मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या आप गृह मंत्री जी के सुनने के बाद इस विषय पर आये, इस स्थगन प्रस्ताव अथवा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बारे में निर्णय लेंगे। क्या आपका ऐसा विचार है?

**अध्यक्ष महोदय:** गृह मंत्री उद्घोषणा की एक प्रति सभापटल पर रखेंगे। प्रश्न यह है कि हम इसपर किस प्रकार चर्चा करें। गृह मंत्री जी भी इससे सहमत हैं कि इसपर चर्चा होनी चाहिये।

**श्री स० मो० बनर्जी:** भारत के साम्यवादी दल की ओर से मैंने एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया है जो समाचारपत्रों में प्रकाशित समाचारों पर आधारित है। मेरा निवेदन यह है कि चूंकि उद्घोषणा की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी, अतः ऐसा करने से पहिले हमें इस बात पर विचार करना है और यह देखना है कि क्या केन्द्रीय सरकार का उद्घोषणा जारी करना न्यायसंगत है। मेरा निवेदन यह है कि स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना चाहिये।

**Shri Ram Kishan Gupta** (Hissar): We are elected representatives of Haryana. We know better the situation prevailing there.

**अध्यक्ष महोदय**: इससे कोई फायदा नहीं है। हमारे सामने तो इस समय प्रक्रिया का प्रश्न है। यदि श्री राम कृष्ण गुप्त इस पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं, तो मुझे हर्ष होगा।

**Shri Prakash Vir Shastri**: You would recali, Sir, that you have warned this Government several times that the House should be appraised before hand of such decisions if the session of Parliament is going on. This decision should have been placed before the House and not published in newspapers. In case the Government pleads that it did not pass on this information to newspapers but the newspapers got it in their own way, then the Cabinet is responsible for leakage of secrets. In such cases, it is our tradition under the Constitution that the Governor must ask the Chief Minister to convene the Assembly in a specified period. In case, the Chief Minister fails to win the confidence of the House, opportunity should be given to another party.

**अध्यक्ष महोदय**: यह तो गुणावगुण की बात हुई। आप प्रक्रिया के बारे में बतायें। प्रश्न तो यह है कि स्थगन प्रस्ताव अथवा अविश्वास प्रस्ताव अथवा गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव की अस्वीकृति—इनमें से किस रूप में इस बात को लिया जाय। मैं श्री चव्हाण द्वारा इस मामले को सभा में पेश किए जाने के बाद ही इस बारे में कोई निर्णय लूंगा कि इन तीन साधनों में से किस साधन को अपनाया जाय।

**Shri Randhir Singh**: Mr. Speaker, Government has failed in Haryana. Corruption is rampant there. Whatever step has been taken by the Governor, I fully suport it. This action on the part of Governor is in order.

**अध्यक्ष महोदय**: आप इस अवसर का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। आपको मैंने इसलिए पुकारा था कि आप प्रक्रिया के बारे में कुछ कहेंगे।

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** (नन्द्याल): तीनों साधनों से आप किसी भी साधन को चुन सकते हैं। यह निर्णय करना आपका काम है।

**Shri Kanwar Lal Gupta**: (Delhi Sadar): Mr. Speaker, about procedure I have to say this much that the Home Minister should be requested to make a statement about the proclamation of President's rule whether is has been done or not. Thereafter, the Adjournment Motion should be taken up.

**श्री प्र० के० देव** (कालाहाँडी)। समाचार पत्रों में आज सुबह यह खबर आई है कि हरियाना राज्य में राष्ट्रपति का शासन लाग् होगा जो एक अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय है। ऐसे अवसर पर सरकार की निन्दा का समुचित साधन स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से ही है। इसपर विचार किया जाना चाहिये।

**Shri Sheo Narain** (Basti): In such cases, the President is empowered to take action under Article 356 of the Constitution after the receipt of the report from Governor. Keeping this fact in view you have to decide whether the Adjournment Motion is to he admitted or not.

**अध्यक्ष महोदय**: माननीय गृह मत्री अब एक वक्तव्य देंगे।

**गृहकार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण)**: श्रीमान, मैं आपकी अनुमति से हरियाना राज्य के बारे में संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुसरण में राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उद्घोषणा की एक प्रति तथा हरियाना राज्य के गवर्नर के दिनांक 17 नवम्बर, 1967 के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा। राष्ट्रपति ने उद्घोषणा पर सुबह लगभग साढ़े दस बजे हस्ताक्षर किए थे। इसके तत्काल पश्चात् मैंने इसकी एक प्रति सभा पटल पर रखने की अनुमति के लिये आपके कार्यालय को लिखा था। मैं आपकी अनुमति से यह संकल्प भी पेश करना चाहता हूँ कि उद्घोषणा की स्वीकृति प्रदान की जाय। मेरा यह विचार है कि माननीय सदस्य गवर्नर के प्रतिवेदन को, जिसे मैंने सभा पटल पर रख दिया है, पढ़ने के बाद इस विषय पर चर्चा करें।

**अध्यक्ष महोदय**: उद्घोषणा तथा गवर्नर का प्रतिवेदन सभा पटल पर रख दिए गए हैं। अब मैं समय बाद में निश्चित करूँगा।

**Shri Madhu Limaye :** First of all, our Adjournment Motion should be taken up. We had tabled it before 10 A.M.

**अध्यक्ष महोदय**: स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव आदि मेरे समक्ष हैं। मैं निर्णय लेकर दोपहर के बाद उसकी घोषणा करूंगा। आज शाम को पाँच बजे नियम 193 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव पर चर्चा की जानी है। मैं उसके स्थान पर इसके चर्चा के लिये रखूँगा।

**Shri Madhu Limaye:** You should keep in mind that we have tabled our motion earlier. The motion by the Hon. Minister has come later on.

**श्री तेन्नेटि विश्वनाथम** (विशाखापतनम): मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस उद्घोषणा के बाद कोई और उद्घोषणा भी होने वाली है?

---

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

### लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर संशोधन नियम तथा गैर पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन सम्बन्धी संकल्प

**श्रम रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)** : मैं श्री हाथी की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:

(1) लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1961 की धारा 8 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकर (संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति जो दिनांक 10 जून, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 907 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०** 1202/67]

(2) गैर-पत्रकारों के लिये मजूरी बोर्ड के प्रतिवेदन सम्बन्धी सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू बी–17 (7) 67 दिनाँक 18 नवम्बर, 1967 की एक प्रति [**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०** 1618/67]

### भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम दिल्ली पर विस्तारण के बारे में विधि आयोग का 31वां प्रतिवेदन

**विधि मंत्री (श्री गोविन्द मेनन)** मैं भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 30 (2)–दिल्ली पर विस्तारण के बारे में विधि आयोग के 31वें प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०** 1619/67]।

**रेडियो तथा टेलीविजन पर प्रसारण तथा सूचना माध्यम सम्बन्धी समिति की अग्रेतर सिफारिशों पर किये गये निर्णय**

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती नन्दिनी सत्पथी)** : मैं श्री के० के० शाह की ओर से रेडियो तथा टेलीविजन पर प्रसारण तथा सूचना माध्यम संबंधी समिति की अग्रेतर सिफारिशों (आंशिक रूप से स्वीकृत, रूपभेदित रूप में स्वीकृत अथवा अस्वीकृत सिफारिशों सहित) पर किए गए निर्णय बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखती हूँ।

[**पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०** 1620–67]।

**भारतीय तारयंत्र सातवां संशोधन नियम की प्रति**

**संसद-कार्य तथा संचार मंत्री (डा० राम सुभग सिंह)** : मैं भारतीय तारयंत्र अधिनियम, 1885 की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत भारतीय तारयंत्र (सातवाँ संशोधन) नियम, 1967 की एक प्रति, जो दिनांक 29 जुलाई, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1125 में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी०** 1621/67]।

**अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें**

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ:—

(1) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) मणिपुर अनाज (वहन) नियंत्रण संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 5 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1375 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूँ तथा गेहूँ उत्पाद (वहन नियंत्रण) पाँचवाँ संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 8 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1380 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) उत्तरी अन्तर्क्षेत्र चावल (वहन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 8 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1381 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) उत्तरी अन्तर्क्षेत्र चना (वहन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 8 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1382 में प्रकाशित हुआ था।

(पाँच) उत्तरी अन्तर्क्षेत्र मक्का (वहन नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 8 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1383 में प्रकाशित हुआ था।

(छः) जी० एस० आर० 1509 जो दिनांक 30 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मध्य प्रदेश अनाज के वितरण का नियंत्रण आदेश, 1967 में एक संशोधन किया गया।

(सात) भारतीय मक्का (माँड के निर्माण में अस्थायी प्रयोग) आदेश, 1967 जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1538 में प्रकाशित हुआ था।

(आठ) चावल (दक्षिणी क्षेत्र) वहन नियंत्रण संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 28 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1624 में प्रकाशित हुआ था।

(नौ) जी० एस० आर० 1657 जो दिनांक 4 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा उर्वरक (वहन नियंत्रण) आदेश, 1960 को विखण्डित किया गया।

(दस) अन्तर्क्षेत्रीय गेहूँ तथा गेहूँ उत्पाद (वहन नियंत्रण) छटा संशोधन आदेश, 1964 जो दिनांक 30 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1666 में प्रकाशित हुआ था।

(ग्यारह) आन्ध्र प्रदेश चावल तथा धान (वहन पर प्रतिबन्ध) तीसरा संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 4 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1676 में प्रकाशित हुआ था।

(बारह) मध्य प्रदेश चावल सभाहार (उद्ग्रहण) दूसरा संशोधन आदेश, 1967 जो दिनांक 6 नवम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1767 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी०** 1622/67]

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 12-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:—

(एक) जी० एस० आर० 1321 जो दिनाँक 31 अगस्त, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1842 में कतिपय संशोधन किए गए।

(दो) जी० एस० आर० 1479 जो दिनांक 28 सितम्बर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(तीन) जी० एस० आर० 1539 जो दिनांक 6 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 24 दिसम्बर, 1964 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1842 में कतिपय संशोधन किए गए।

(3) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 5 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1656 की एक प्रति जो दिनांक 4 नवम्बर, 1967 के भारत राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(4) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारत के खाद्य निगम के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे। [**पुस्तकालय में रखी गयी देखिए संख्या एल० टी०** 1623/67]।

**विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) दूसरा संशोधन नियम**

**श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री दा० रा० चव्हाण)**: मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम, 1964 की धारा 40 की उपधारा (3) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) दूसरा संशोधन नियम 1967 की एक प्रति जो दिनांक 21 अक्तूबर, 1967 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 15-70 में प्रकाशित हुए थे। सभा-पटल पर रखता हूँ। [**पुस्तकाल में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी०** 1624/67]।

## राज्य-सभा से सन्देश

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

**सचिव**: श्रीमन, मुझे राज्य-सभा के सचिव से प्राप्त इस सन्देश की सूचना सभा को देनी है कि राज्य सभा ने अपनी 20 नवम्बर, 1967 की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, 1966 सम्बन्धी संसद की दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन पेश करने का समय राज्य सभा के तिरसठवें सत्र के प्रथम दिन तक बढ़ाया जाये।

---

## प्राक्कलन समिति

ESTIMATES COMMITTEE

### सोलहवां तथा सत्रहवां प्रतिवेदन

**श्री पें० वेंकटासुब्बया** (नन्दयाल) : मैं भूतपूर्व परिवहन मंत्रालय—मद्रास पत्तन तथा विशाखापत्तनम और तूतीकोरिन पत्तनों—के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक-सभा) के क्रमश: 68वें तथा 69वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में प्राक्कलन समिति का 16वाँ तथा 17वाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

## शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन तथा शिक्षा सम्बन्धी संसद सदस्यों की समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव—जारी

MOTION RE : REPORT OF EDUCATION COMMISSION AND REPORT OF COMMITTEE OF MEMBERS OF PARLIAMENT—*Contd.*

**Shri Prakash Vir Shastri** (Hapur) : Sir, I feel that with the gradual development of Indian languages those who love English much are feeling the same those who loved English rule felt when the Britishers left India. But I feel that as these persons could not force British rule on the same way they cannot force English to remain for ever and the regional language, will certainly become medium of instructions at all level of education and Hindi will be a compulsory subject the English is at present.

**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए

**Mr. Deputy-Speaker in the Chair**

Hindi has been adopted as an official language because in India majority of the people speak this language and it is easiest of all the languages. It is wrong to say that Congress Parliamentary Party decided in favour of adopting Hindi as an official language by a majority of only one vote. The decision in the Constitutent Assembly and in the Congress Parliamentary Party in favour of Hindi was taken unanimously.

A speaker in the pro-English conference held recently in Madras, said that English was a God-given gift to bring solidarity amongst Indians. The god, which gives a foreign language to bring solidarity amongst us, is not acceptable to us. An international conspiracy on a very

large scale is being backed to continue English and large amount of money is being spent to create an atmosphere in favour of English in India.

Shri Frank Anthony stated yesterday that the image of India was presented to the world through English. It is wrong to favour a foreign language with such wrong arguments. It is also said that Hindi cannot become medium of instructions so long as scientific and technical literature is not prepared in Hindi and other Indian languages, but that sort of literature cannot be prepared unless and until those languages are used for such purposes.

When Congress Governments, were formed in Seven provinces in 1935-36, a convention of senior Congress leaders was held in Delhi wherein Mahatma Gandhi was asked about the language to be used in the Assemblies. He immediately replied that Hindi should be used for this purpose. He once said that if the books are not available in Indian languages, the teaching may be done without any books but in no case the medium of instructions should be English.

The Minister of Education must be aware that those Indian students, who go to Germany for scientific and technical education, have to study German language for six months. If German can be learnt within six months why can we not impart education through Indian languages.

The Committee of Members of Parliament has recommended a period of five years for switching over the medium of Education to Indian languages. It is my personal information that the Central Cabinet had also decided upon a period of five years for this purpose but a few English newspapers began to criticize this decision. It is regrettable that our leaders were embarassed by this criticism and they began to say that no time limit has been fixed for the purpose.

**इसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये दो बजे म० प० तक के लिये स्थगित हुई**

**The Lok Sabha then adjourned for lunch till 14.00 hours.**

**लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के पश्चात् 2 बजे म० प० पुनः समवेत हुई**

The Lok Sabha then reassembled after lunch at Fourteen to the Clock.

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

**Mr. Deputy Speaker in the Chair.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे एक घोषणा करनी है।

हरियाना के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर आज ढाई बजे चर्चा होगी सदस्यों को अनुपूरक कार्यसूची अभी दे दी जायेगी।

लोक-लेखा समिति के प्रतिवेदनों पर आज 5 बजे की बजाय कल 5 बजे चर्चा होगी।

**Shri Madhu Limaye** (Monghyr): Let the motion be read.

**उपाध्यक्ष महोदय**: कार्यसूची के साथ प्रस्तव (मोशन) भी भेजा जायेगा।

**कुछ माननीय सदस्य**: उद्घोषणा के बारे में चर्चा करने के लिए कितना समय निश्चित किया गया है?

**उपाध्यक्ष महोदय**: 4 घंटे।

**श्री राजाराम** (सलेम): हमें राज्यपाल का प्रतिवेदन अभी नहीं मिला है।

**उपाध्यक्ष महोदय**: उन्हें सारी सामग्री अभी मिल जायेगी।

**श्री राजाराम**: उसके बिना हम कैसे चर्चा कर सकते हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय**: जैसा मैंने अभी कहा है पुनरीक्षित कार्यसूची अभी दे दी जायेगी।

**उपाध्यक्ष महोदय**: सभा अब शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन तथा संसदीय शिक्षा समिति के प्रतिवेदन पर विचार करेगी।

**Shri Prakash Vir Shastri** (Hapur) : Sir, the committee of Members of Parliament on Education has advised the Ministry of Education than the maximum period that they can give to the Universities to change the medium of instructions is five years and the Cabinet too has taken a similar decision in this connection. So, I fail to understand how this period can be enhanced. Hence I would suggest that no change should be affected.

Secondly, I would suggest that arrangements should be made to teach North Indian languages in the Universities of South and South Indian languages in the Universities of the North. At the same time I would like that the decision taken at the time of Pt. Jawaharlal Nehru that the Devnagari Script should be accepted as a general alternative script in the country should be accepted because it will then be very easy to learn the languages.

Thirdly, I would like to say something about Gurukulas. Our Gurukulas are based on five Sakasrs. An education based on five Sakar is the best education. But education System based on Gurukulas is on the verge of collapse. The Gurukulas are facing financial crisis. A high level committee should be constituted to go with their matter. Keeping in view the importance of Sanskrit also Gurukulas should be saved. I am not happy with the Kothari Commission because most of the Members of that Commission are either not Indians or they dont have any acquintance with Indian system of education. Hence I would like to say that Sanskrit, which is the base of most of our Indian languages, should not be given a cold shoulder.

Some time back the Ministry of Education in the Centre had constituted a Committee in connection with imparting moral and religious education and if I am not mistaken that Committee has recommended that such education must be imparted. But it is very strange that that recommendation has not been implemented so far.

Looking at the figures of expenditure on education we find that we are next to Afghanistan who spends the minimum on the education. Under these circumstances the poor teachers have no alternative but to go on strike. In this connection I would like to suggest that Elementary Education shoud not remain in the hands of District Boards or Municipal Boards. It should go at least in the hands of State Governments.

I would also like to say something about Public School. On one hand we raise a slogan of socialism and on the other hand we see that a student who receives his education in a Public School spends about 200 or 250 rupees p. m. on education while this much amount is not paid to a teacher of the primary school.

At the end I would like to say that either N.C.C. should be abolished or made a compulsory Subject .

**Dr. Sushila Nayyer** (Jhansi) : Sir, it would have been better had we given consideration to the language problem or the medium of instruction immediately after independence.

This is the sixth Commission that has been appointed regarding education. But the point is that the recommendations of the Commission are not implemented. Hence I would like to say that unless and until the recommendations are implemented we are not going to achieve anything.

Now I would like to say something about the medium of instruction. Everbody knows that the medium of instructions in our country has at least upto Higher Secondary has

always been in the mother tongue. It was only in the Colleges that the medium of instruction was not in the mother tongue. Now if mother tongue is made the medium of instruction even at the University level there it will be very difficult for one educated man of one State to go to another State. As a result of that our education will suffer. Hence I understand that if Hindi is accepted as the medium of instruction at the University level it will be good for the country. In the central Universities Hindi must be there. Apart from Hindi any other language may also be included. In a country like Switzerland there are five languages. When the people of that country can speak five languages then we should not find any difficulty while introducing two or three languages. We should not feel disturbed even if we have to spend a little more amount on that.

As far as the question of Public Schools is concerned I think it will not be good if they are ordered to be closed. For that I would suggest that the neighbourhood Schools should be provided such facilities that the students attending Public Schools are attracted by the neighbourhood schools. The teachers of the neighbourhood schools should be given handsome emoluments. To-day the teachers are getting neither the good emoluments nor respect in the society. Under these circumstances how can they make best efforts to make improvements in the schools. We should pay more attention towards constructive works.

---

# हरियाना सम्बन्धी उद्घोषणा के बारे में प्रस्ताव तथा संविधिक संकल्प

## MOTION AND STATUTORY RESOLUTION RE: PROCLAMATION IN RESPECT OF HARYANA

**Shri A. B. Vajpayee** (Balrampur). I beg to move :

**कि इस सभा को खेद है कि भारत सरकार ने हरियाणा के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया दिनांक 17 नवम्बर, 1967 का प्रतिवेदन अस्वीकृत नहीं किया जिसमें कि 21 नवम्बर, 1967 को सभा-पटल पर रखी गई उद्घोषणा को जारी करने की सिफारिश की गई थी, जबकि हरियाणा सरकार को विधान मण्डल में बहुमत प्राप्त था और वह संविधान के उपबन्धों के अनुसार कार्य कर रही थी।**

The President today has dissolved the Elected Assembly of Haryana by issuing a proclamation. This action has been taken on the basis of the report of the Governor of Haryana.

This report was submitted to the Government on the 17th November. The President has the right under Article 356 of the Constitution to decide on receipt of a report from the Governor of the State or on getting information from other sources whether the concerned State Government is working according to the provisions of the Constitution. It is clear that the President has not made use of the other sources in this case.

The Government is not bound to accept the report of the President. It has to consider it. There have been instances when the Government have returned the report to the Government for reconsideration. I would like to know why this has not been done in the case of Haryana? Perhaps it is due to the fact that Congress Government in the Centre could not tolerate a non-Congress Government. Even the Governor in his report has admitted that Rao Birender Singh's Cabinet commands majority in the Assembly even on the day the report was submitted to the Centre. But the Governor has given very strange arguments for dissolving the State Assembly. The Governor in his report has recommended the dissolution of the Assembly on the ground that a stable government cannot be carried on like this. The word 'stable' has not

found any place in the Constitution. Therefore, on this very ground Governor cannot recommend the dissolution of the State Government.

The Governor has further stated in his Report that the State Government have sought to maintain itself precasiously in power by creating too many ministers which is an abuse of its constitutional powers. In this connection I would like to know whether there is any provision in the Constitution which fixes the number of ministers to be appointed by State Governments ? The Constitution is silent on this issue. The number of Central Ministers have recently been increased but no action has been taken here. Even when the Haryana State came into being on the 1st November, 1966 twenty-two ministers were appointed out of 46 State legislature belonging to the Congress Party. This was done to please maximum members because the election was approaching fast. Even in Rajasthan about thirty-four or thirty-five ministers have been appointed. I would, therefore, say that the State Government cannot he dissolved on this ground also.

The Governor in his report has further stated that frequent defections are taking place in the State Assembly and as a result thereof it has become impossible to find out whether the will of the majority in the legislatures really represents the will of the people. In this connection I would like to say that the Legislative Assembly represents the will of the people. By having the trial of strength in the Assembly we can very well know with whom the majority is. Unlike West Bengal this has not been done in Haryana. The Governor did not ask the Chief Minister to face the trial of strength. On the other hand the Governor in his report has admitted that he did not press for an immediate trial because he knew that it was not possible to remove the non-Congress Government in that way. So far as defections are concerned, we are demanding that an All India Conference of all political parties should be held on this issue. If necessary, a legislation can also be enacted, to check this tendency. But the State Government on this ground cannot be dissolved. People should not be punished for the wrong behaviour of the representatives elected by them. Keeping in view the above factors the Central Government could have rejected the report of the Governor and advised the President not to dissolve the Government there.

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: मैं प्रस्ताव करता हूँ कि:

"यह सभा भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 21 नवम्बर, 1967 को हरियाना राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में लेने के लिए जारी की गई उद्घोषणा के बाद संसद द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाना आवश्यक है।

बहुत ही सावधानी से विचार करने के पश्चात् हमने राज्यपाल की सिफारिश को मंजूर किया है।

हरियाना की राजनैतिक स्थिति इस प्रकार है कि वहाँ पर 10 मार्च को पहली सरकार बनी थी। परन्तु यह सरकार आठ दिन के अन्दर ही समाप्त हो गई और इसके स्थान पर नई सरकार बन गई।

**दल-बदलने की प्रवृत्ति भारतीय राजनीति में एक नई चीज़ है।**

**एक माननीय सदस्य**: नहीं, यह प्रवृत्ति नई नहीं है।

**श्री यशवन्तराव चव्हाण** : दल बदलने के दो-एक मामले हुए हैं परन्तु इस प्रकार संगठित रूप से दल बदलना निश्चय ही भारतीय राजनीति में एक नई बात है। किसी सीमा तक तो दल बदलने की बात समझ में आ सकती है परन्तु मंत्री, उप-मंत्री और अध्यक्ष पद के लिए दल बदलना एक आश्चर्यजनक बात है।

राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि कई सदस्यों ने चार चार बार दल बदला है। उन्होंने सभी दलों को इस बारे में आलोचना की है। इसलिए राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रपति शासन के कुछ समय पश्चात् हरियाना में नए चुनाव कराने का सुझाव दिया है जिससे लोगों को अपने ठीक प्रतिनिधि चुनने का एक अन्य अवसर मिल सके। हरियाना में प्रशासन बिल्कुल ठप्प हो गया है और इसके फलस्वरूप लोकतंत्र एक हंसी बन कर रह गया था। इन मूल बातों को ध्यान में रख कर ही राज्यपाल ने यह निर्णय किया कि संविधान के अनुसार सरकार चलाना असम्भव है। अतः उन्होंने राज्य की इस विशिष्ट स्थिति को ध्यान में रखकर राष्ट्रपति को प्रशासन अपने हाथ में लेने की सिफारिश की है।

यह किसी के लिए भी प्रसन्नता की बात नहीं है। हमने स्थिति के सभी पहलुओं पर सावधानी से विचार किया है। राज्यपाल को छोड़कर विरोधी दलों के कुछ प्रसिद्ध सदस्यों ने भी वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय किया था। अतः हरियाना की समूची राजनैतिक स्थिति को ध्यान में रखकर राज्यपाल ने वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश की जिसे हमने स्वीकार कर लिया है।

अतः मैं इस संकल्प को सभा की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय**: दोनों प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं।

**श्री रंगा (श्री काकुलम)**: सरकार की यह कार्यवाही बहुत निन्दनीय है। जब राजस्थान में दल बदले जा रहे थे तो माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कोई कार्यवाही नहीं की। उस समय उन्होंने राज्यपाल को कोई परामर्श क्यों नहीं दिया।

यह कहा गया है कि हरियाना में कोई स्थायी सरकार नहीं बन सकती। परन्तु क्या पश्चिम बंगाल में कोई स्थायी सरकार है। पश्चिम बंगाल सरकार को नक्सलबाड़ी की घटनाओं के समय ही हटा दिया जाना चाहिये था। परन्तु वहाँ कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्या बंगाल की वर्तमान सरकार को हटाकर वहाँ पर भी कोई स्थायी सरकार स्थापित की जा रही है। उन्हें मुख्य मंत्री रहना चाहिये था। क्योंकि वह बहुत दयानतदार व्यक्ति हैं। परन्तु कांग्रेस पार्टी ने उन्हें निकाल दिया। अब वह उन्हें मुख्य मंत्री बनाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी में अब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। पूरे पश्चिमी बंगाल में वे बदनाम हो चुके हैं। मुझे श्री चव्हाण पर दया आती है। उन्होंने समझा था कि प्रतिरक्षा मंत्रालय से गृह-कार्य मंत्रालय का कार्यभार संभालने पर उनकी पदोन्नति हो गई है। परन्तु अब उन्हें विभिन्न राज्यों में लोकतंत्र समाप्त करने का काम करना पड़ रहा है। उन्होंने हरयाणा की विधान सभा भंग कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने दल बदलने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दिया है। गृह-कार्य मंत्री ने वहाँ के राजनीतिज्ञों को प्रलोभन आदि देकर दल बदलने को बढ़ावा दिया। कांग्रेस पार्टी इस काम को अभी जारी रख रही है। खेद की बात है कि कांग्रेस पार्टी अन्य पार्टियों की सरकार को बर्दाश्त नहीं कर सकती। कांग्रस ने हरयाणा में जो कुछ किया उसके लिये उन्हें शर्म आनी चाहिये। उन्होंने भारत में लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए ही यह कदम उठाया है। मुझे मंत्रिपरिषद् के समाप्त किए जाने या विधान सभा के भंग किए जाने का खेद नहीं मुझे तो इस बात पर दुख है कि कांग्रेस के नेता इस प्रकार की मनमानी करते हैं। क्या वे इस प्रकार जनतत्र को सुदृढ़ बना रहे हैं?

एक माननीय सदस्य ने कहा है कि हरयाणा में पता नहीं चलता था कि कौन मंत्री है और कौन नहीं है। परन्तु मैं जानना चाहता हूँ कि इस विषय में केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है।

नए-नए उपमंत्री बनाये जा रहे हैं। हमें ही मालूम नहीं कि किस उपमंत्री के पास कौन सा विभाग है। केन्द्र में भी यह ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। वास्तव में यह रोग कांग्रेस को ही लगा हुआ है। हमें भय है कि कहीं यह प्रतिपक्ष वालों को भी न लग जाये। हरयाणा में जनसंघ ही एक ऐसा दल था जिसने मंत्रिपरिषद् के पदों को प्राप्त करने में रुचि नहीं दिखायी और निष्काम भावना से कार्य किया। दल बदल की प्रवृत्ति कांग्रेस पार्टी की देन है। काँग्रेस पार्टी ने ने अपने 20 वर्ष के शासनकाल में बहुत कुप्रथाएं स्थापित की हैं। हमें इनको समाप्त करना होगा।

हरयाणा के राज्यपाल श्री चक्रवर्ती ने तो इनके कहे पर सब कुछ किया है। परन्तु उनको कुछ विवेक से कार्य करना चाहिये था।

**Shri Randhir Singh** (Rohtak) : Sir, it is a day of salvation and freedom from bondage for the people of Haryana. Haryana is inhabited by 76 lakh people who are first class warriors and farmers. The people of Haryana were the first to raise the banner freedom against the British in 1857 and in 1942 they were in the vanguard of freedom movement. Haryana's contribution in Defence Services is unique. I am surprised that the Jan Sangh party is now criticising the Governor's action while it was very sore over the performance Rao Birender Singh's ministry. All the leaders of this Party were denouncing their work but now they say that democracy has been murdered in Haryana.

I feel that Central Government should have taken this step long back. Three months back this Ministry should have been dismissed.

The dirty game of defections was started by United Front. They purchased M.L.As to keep their ministerial offices secure. During this period these people have made huge sums of money in illegal manner. An enquiry should be instituted in this matter. It is a fact that many Ministers of Haryana wanted that this Ministry should be dismissed.

I congratulate Shri Chavan on behalf of people of Haryana and support his resolution.

**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान नियम 356 की ओर दिलाता हूँ जिसमें यह व्यवस्था है:

"The Speaker, after having called the attention of the House to the conduct of a member who persists in irrelevance or in tedious repetition either by his own arguments or of the arguments used by other members in debate, may direct him to discontinue his speech."

आपको इस नियम का आश्रय लेना चाहिए था।

**उपाध्यक्ष महोदय** : में इस नियम को देख चुका हूँ, श्री स० कुण्डू भी इस नियम की ओर मेरा ध्यान दिला चुके हैं।

**श्री राजाराम** (सलेम) : जहाँ तक हरियाना का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने प्रजातंत्र की पीठ पर छूरा भोंका है और उसकी हत्या की गई है, केन्द्र धीरे-धीरे सभी गैर-कांग्रेसी सरकारों को समाप्त करने की फिराक में है। पश्चिम बंगाल के बारे में तो लोगों को कुछ शंका जरूर थी किन्तु हरियाना के साथ ऐसा जुल्म किया जायेगा, इस बात की आशंका किसी को नहीं थी। हरियाना के राज्यपाल ने भी अपने पत्र में इस प्रकार कहा था:

".....Until there is such defection, Rao Birendra Singh still commands the majority of the Party members in an effective House of 78.".

केन्द्रीय सरकार का कर्तव्य राज्य सरकारों की रक्षा करना तथा समस्त देश में प्रजातंत्र की रक्षा करना है, न कि उसकी हत्या करनी है, जैसा कि सरकार कर रही है। इस तरह आम जनता का

प्रजातंत्र से विश्वास उठ जायेगा, यदि केन्द्रीय सरकार सभी राज्यों के प्रति इसी तरह का रुख अपनाती रही, तो भारत में सैनिक राज आ जायेगा।

विरोधी दलों को केवल 8–10 महीने शासन करने का मौका मिला है अतः उन्हें अपनी स्थिति मजबूत करने का मौका अवश्य दिया जाना चाहिये, चाहे एक वोट से ही उसका बहुमत क्यों न हो। जहाँ तक एक दल छोड़ कर दूसरे दल में शामिल होने की बात है, इसका प्रादुर्भाव वर्ष 1952 में मद्रास से हुआ और उसी के परिणामस्वरूप राजा जी के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनी थी। यह ठीक है कि देश में राजनैतिक स्थिरता का होना जरूरी है, किन्तु हरयाना में मंत्रालय इतनी जल्दी समाप्त किया गया कि लोगों को केवल समाचारपत्रों से मालूम हुआ। यह बहुत ज्यादती है, हम देश के निर्वाचित प्रतिनिधि हैं और हम देश में प्रजातंत्र की रक्षा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि केन्द्रीय कांग्रेस सरकार सोच-समझकर तथा बुद्धिमानी से काम करे। इस लिये मैं डी० एम० के० पार्टी की ओर से इस काम रोको प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्रीमती सुचेता कृपालानी** (गोंडा): राजनैतिक जीवन तथा इतिहास में यह स्वाभाविक है कि आज एक दल सतारूढ़ है और कल दूसरा दल। कांग्रेस ने पिछले 20 वर्ष देश में हकूमत की है और आज किन्हीं राज्यों में यदि विरोधी दलों को सरकार बनाने का अवसर मिला है, तो चिन्ता को कोई बात नहीं है। राजनैतिक इतिहास में ऐसी घटनाएँ अवश्य ही होती हैं।

हरयाना में पिछले कुछ महीनों से जो कुछ हो रहा था, वह सर्व विदित है। किन्तु हरयाना के साथ आज जो कुछ हुआ है वह निन्दनीय है और वहाँ के सभी राजनैतिक दलों ने बहुत ही गैर-जिम्मेदाराना ढंग से काम किया है जिससे जाहिर होता है कि वे प्रशासन चलाने के योग्य नहीं हैं। कुछ सदस्यों ने तो चार-चार दफा दल बदले हैं। पिछले कुछ महीनों में वहाँ यह हालत चरम सीमा तक पहुँच चुकी थी। सदस्य मंत्री बनने की फिराक में छीना-झपटी कर रहे थे, लोगों का अपहरण आदि कर रहे थे, और मंत्री लोग अपने दल के सदस्यों को डरा-धमका रहे थे। नौकरशाही अपनी मन-मानी कर रही थी और उसपर असंगत बातों के लिये दबाव डाला जा रहा था। वहाँ प्रशासन एक उपहास बन चुका था। वास्तव में वस्तु स्थिति यह है कि हरयाना सरकार की समाप्ति पर वहाँ के लोगों ने चैन की साँस ली है।

तथ्य तो यह है कि हरयाना की सरकार यदि ठीक तरह प्रशासन चलाती तो केन्द्रीय सरकार अथवा अन्य कोई भी व्यक्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। इसलिए कसूर राज्यपाल या अन्य किसी व्यक्ति का नहीं है—दोष है राज्य सरकार का जो ठीक तरह से प्रशासन नहीं चला सकी। वहाँ के राजनैतिक जीवन में स्थिरता आनी संभव नहीं थी जैसा कि राज्यपाल ने स्वतः अपने पत्र में कहा है:

"With Such large scale and frequent defections, it is impossible to find out whether the will of the majority, in the legislature does really represent the will of the people."

इस बात का खुले-आम आरोप तो सभी दलों ने लगाया है कि वहाँ गद्दी बनाये रखने के लिए घूसखोरी, भ्रष्टाचार, राजनैतिक शोषण आदि चल रहे थे इस प्रकार की गुंडागर्दी देखकर वहाँ के लोगों का मनोबल गिर रहा था और उन्हें निराशा हो रही थी, संवैधानिक विवादों में न पड़कर सचाई तो यह है कि आम जनता ने इस घोषणा का स्वागत किया है और उसे राहत मिली है। छः महीने बाद वहाँ लोगों को अपनी इच्छा व्यक्त करने का अवसर मिलेगा और जो नई सरकार बनेगी वह अधिक जिम्मेदारी की भावना से काम करेगी और राज्य-प्रशासन में सुधार होगा। अतः गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करती हूं।

**Shri S. M. Banerjee** (Kanpur) : Sir, on behalf of the Communist Party, I rise to protest against the Presidential proclamation dissolving the Haryana Assembly.

**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**

**Mr. Speaker in the Chair**

From the letter of the Governor it is abundantly clear that the democratic Govt. of Haryana has been murdered and all the principles of democracy have been thrown overboard. Rao Birendra Singh had commanded the majority in State Assembly. The Home Minister and the intoxicated Central Congress Govt. have killed the Haryana Govt. as a prelude to the murder of West Bengal.

The practice of defection was prevalent in the antique post of India and it dates back to the times of Ramayan when Vibhishan defected to Ram. The Congress was the first to err in this matter when they hucked the present Petroleum Minister, Shri Asok Mehta as a defectionist. When it came to the defection from Congress to the other parties, the former could not stand it. Now the charges levelled against the Haryana Govt. by the Congress boil down to these that the corruption was rampant in Haryana and that legislators were being purchased by offering ministership. My counter-question to these Congress people is what has motivated them to create six posts of ministers recently if it was not the fear of defection from the Congress ranks.

The Govt. have taken a peremptory decision to dissolve the Haryana Assembly and now they have come before the House with this proclamation with view to just enlisting the support of the House. In fact the Congress Government at the Centre have made up their mind to topple the non-Congress Governments in all the other States and they are making their best efforts to meet their political ends. Now Central Congress Govt. are running with a dagger towards the Bengal Govt. to kill democracy in West Bengal. The possibility of military rule cannot be ruled out if they act so viciously, so maliciously, so badly or so shamelessly against the non-Congress Govts. as they have done in the case of Haryana Government.

If this is the case of Haryana today, it will be the Case of other States tomorrow. The Congress Party has ruled this country for the past twenty years or so and has ruled all over the States ; but they have not yet learnt how to establish democracy in the country. What these Congressmen have done except securing chairs for themselves and indulging in corrupt practices ? And they are still busy with achieving their personal ends. That is why this body (Congress) is being detested all over the country today ; and the common man in the village and in the city has lost his faith in this party and condemns its activities and policies. With these words I am supporting the adjournment motion.

**Shri Ram Kishan Gupta** (Hissar) : Sir, I rise to support the Resolution moved by the Hon. Home Minister, being a resident of Haryana, I have been deeply associated with the political life of Haryana State since its inception. I would, therefore, like to bring to the notice of the House some facts regarding the happennings in the State over the last few months.

It is a matter of happiness and pleasure that the Haryana State Assembly has been dissolved, and the Govt. dismissed because no body knew where it would lead to us in case the reign of bribery, corruption, political victimisation, etc. which was prevalent in the State on a large scale was allowed to continue.

So far as the political picture of Haryana is concerned there was no dispute regarding any ideology or any political parties, the main dispute involved personality. These were several cases where Congressmen fought elections on Jan Sangh tickets when they were

refused Congress tickets. I have no intention to criticise any political party. It is the duty of the elected representatives of the country, whether they are M.L.As or M.Ps, to run and safeguard democracy in the Country. But flexible loyalty is most deplorable and detrimental to the institute of democracy. Some legislators in the States changed their parties several times. The Govt. used foul means to maintain themselves in power. In fact power was being maintained by bribery, and corruption, in a most dishonest way and in a most cheap way. In such circumstances one could if he honestly feels, realise that this ministry could not be allowed to continue. The people in the State are with the Congress and frankly speaking, the Rao Ministry had demoralised them and frustrated them and with the dismissal of this ministry, they have now heaved a sigh of relief. I am sure that the people of the State, if given an opportunity to express their will after six months, will prove that they believed in the Congress ideologies and reposed their faith in the Congress.

Lastly, I would like to conclude that the decision to impose President's rule in the State is a commendable step. Looking at the events and developments that had been taking place in Haryana, the way members were crossing floor, the manner in which they were being purchased and the methods which were being employed to seek their support, one will come to the conclusion that the promulgation of the President's Rule was the only remedy of the situation. I, therefore, once again support the resolution moved by our Hon. Home Minister.

**Shri Ram Sevak Yadav** (Bara Banki) : The Home Minister has been running with a dagger in hand to kill and murder democracy in the States where non-Congress Governments existed. The Home Minister has touched the question of defections in his speech. We entirely agree with him when he says that defections among legislators must be condemned. But the trouble with the Government is that they keep quiet when it serves the interest of the Congress Party and they condemn it when their efforts to install the Congress Govts. fail. They are worried about how to maintain themselves in power. President's rule means Congress Government. Why the Haryana Government was dismissed today? Because Shri Bhagwat Dayal, Devi Lal and others had miserably failed in their efforts to install a Congress Government in Haryana. As a result, the President's rule has been imposed on Haryana and the State Assembly dissolved. What was done in Rajasthan ? Can the Home Minister justify the manner in which legislators were purchased there and methods which were employed to seek their support ? Could he justify the installation of the Sukhadia ministry there? The Congress Government at the Centre has been using the Governors as an instrument to topple the non-Congress Governments in the States. They have prepared a plan to dislodge and replace the non-Congress ministreis. I warn the Government against their role of playing with democracy. They have violated the fundamental principles of democracy. Our constitution is federal in character, we will have to accommodate a State Government consisting of a party other than the one at the Centre. But what we actually see now is the Centre is unable to tolerate non-Congress Governments in the States. They raise the slogans of democracy, but to the utter surprise of others, they act in a different fashion. I am not happy with the non-Congress Governments also because they have not come to the expectations of the people. But the Congress in those states has miserably failed in playing its role as an opposition party. They have not launched any compaign in the States. They have not raised any issue of public importance. Defections are not one way traffic. If these constitute a violation of the fundamental principles of democracy, it equally applies to both the sides. The Government should, therefore formulate a constructive policy and establish healthy conventions and stick to them firmly.

Efforts should be made to establish and strengthen democracy in the country. Governors should not be entrusted with the powers provided for under the India Act of 1935. The

Governor may be directed to ask the Chief Minister, Rao Birendra Singh to call the Haryana Assembly.

In view of what I have submitted to the House, I would request the Hon. Home Minister to withdraw this resolution and provide an opportunity to the Rao Ministry to prove whether they still commanded majority in the Assembly.

**श्री पें० वेंकटासुब्बया (नन्दयाल)** : महोदय मैं राष्ट्रपति द्वारा हरियाणा में राष्ट्रपति राज्य स्थापित करने का समर्थन करने खड़ा हुआ हूँ। लोकतन्त्र को आप इस तरीके से नहीं बचा सकते जिस तरीके से विरोधी पक्ष यहाँ शोर मचाता है।

राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजे अपने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि बहुत से सदस्यों ने अपने दल बदल लिये हैं। श्री रंगा ने तथा श्री अशोक मेहता ने भी अपने दल को छोड़ा था परन्तु किसी पद की इच्छा से नहीं बल्कि वह सिद्धान्त के आधार पर दल को छोड़ गये थे। हरियाणा में सदस्यों ने पदों के लिये अपने दल बदले।

हरियाणा वह राज्य है जहाँ कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ तथा जहाँ धर्म और अधर्म का युद्ध हुआ और यहाँ अब पहली बार लोकतन्त्र का युद्ध भी हुआ। इसने परिस्थितियों में मैं गृह कार्य मंत्री को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने लोकतन्त्र के कार्य को ऊँचा रखा है।

विरोधी दलों ने केवल काँग्रेस से विरोध सीखा है। यही उनकी कठिनाई है।

यह कहना अनुचित है कि क्योंकि केन्द्र में कांग्रेस दल सत्तारूढ़ है, इसलिये गैर-काँग्रेस सरकार को समाप्त कर दिया है। यदि ऐसी बात होती तो वहाँ विधान सभा को भंग नहीं किया जाता, परन्तु वहाँ तो विधान सभा को भंग कर दिया है। राज्यपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वहाँ प्रशासन का कार्य ठप्प हो गया था तथा विधायकों का नैतिक स्तर समाप्त हो गया था। प्रत्येक व्यक्ति डर ग्रस्त रहता था। इन परिस्थितियों में सरकार के सामने वहाँ मंत्रिमंडल को बर्खास्त करने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं था। केन्द्रीय सरकार ने लोकतन्त्र को बचाया है। अब जनता के सामने केन्द्रीय सरकार के निर्णय को चुनौती दी जा सकती है क्योंकि राष्ट्रपति का राज्य वहाँ सदा नहीं रहेगा। इन शब्दों के साथ मैं केन्द्रीय सरकार के कार्य का समर्थन करता हूँ।

**श्री पो० राममूर्ति (मदुरै)** : अध्यक्ष महोदय, मुझे गृह कार्य मंत्रीतथा श्री वेंकटासुब्बया का भाषण सुनकर हंसी आ गई कि जब वे इस प्रश्न पर बोल रहे थे। क्या वहाँ संविधान के उपबन्धों का पालन होना समाप्त हो गया है ? राज्यपाल ने तो अपने प्रतिवेदन में ऐसा कहीं भी नहीं कहा है।

यहाँ यह भी कहा गया है कि व्यक्तित्व में गड़ बड़ है। परन्तु मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा काँग्रेस दल में नहीं है ? वहीं जो यहाँ मत्रिमंडल के सदस्य हैं, वे वहाँ काँग्रेस कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं। जब यह लोग नैतिकता की बात करते हैं। तो मुझे हंसी आती है।

1937 तथा 1938 में ऐसा समय था जब काँग्रेस जनता को प्रेरित करती थी। एक बार 1937–38 में डा० एन० बी० खरे नें राज्यपाल से उस समय के सैंट्रल प्रान्त में बात कर ली थी तो काँग्रेस की कार्य कारिणी मे उसे काँग्रेस से निकाल दिया था ? क्या आज भी काँग्रेस के बारे में ऐसी बात कही जा सकती है।

यदि आज सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार आया है तो उसका उत्तदायित्व काँग्रेस दल पर है क्योंकि यह देश का सब से बड़ा दल था और इन्हें चाहिये था एक साफ राजनीतिक जीवन प्रदर्शित करते। 1952 में मद्रास में जब काँग्रेस अल्पमत में रह गया तो इन्होंने दल बदलने की प्रथा आरंभ कर दी और इस प्रकार राजनीतिक भ्रष्टाचार आरंभ कर दिया।

राज्यपाल तो 31 अक्तूबर को विधान सभा का सत्र बुलाना चाहते थे परन्तु मैं कह सकता हूँ कि सरकार ने उनसे यह रिपोर्ट भिजवाई है। हरियाणा में सरकार तथा विधान सभा इस कारण भंग की ताकि पश्चिमी बंगाल में ऐसा करने का बहाना मिल जाये। क्या बीजू पटनायक तथा इस प्रकार के व्यक्तियों को रखते हुए आप भ्रष्टाचार समाप्त कर सकते हो? हम अपने दल में मिलाते समय यह नहीं कहते कि आपको मंत्री बना देंगे। हम तो अपने दल वालों को कहते हैं कि यहाँ तो गोली तक खानी होगी और जनता तथा देश की सेवा करनी होगी। भ्रष्टाचार का कारण यह है कि काँग्रेस ने अपने सिद्धान्तों को तिलांजलि दे दी है। यहाँ किसी ने परमिटों का उल्लेख किया। काँग्रेस दल तो परमिट तथा इसी प्रकार की अन्य चीजों को बाँटती रही है।

हरियाणा का जो प्रतिवेदन है उसका आधार संविधान नहीं अपितु वहाँ की राजनीति है। क्या जो चुनाव होने वाले हैं आप उनमें उन व्यक्तियों को अपने दल का टिकट नहीं देंगे जो फिर दल न बदलें? यह वचन आप नहीं दे सकते। आप स्थिर सरकार बनने की गारंटी नहीं दे सकते।

इस कारण मैं इस संकल्प का विरोध करता हूँ तथा श्री बाजपेयी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

**श्री जो० भा० कृपलानी** (गूना) : मैं दोनों पक्षों के भाषण सुन रहा था। मुझे यह भी पता है कि काँग्रेस ने 1952 में मद्रास में क्या किया था। यह भी कहा गया है कि कांग्रेस ने वह प्रथा नहीं डाली जिससे लोकतन्त्र दृढ़ होता।

मैं विरोधी दलों से कहता हूँ कि इस मामले में कांग्रेस से पाठ न सीख। यदि वह भी ऐसा ही कार्य करेंगे तो फिर कांग्रेस की आलोचना नहीं कर सकेंगे। मैं चाहता हूँ कि कांग्रेस तथा विरोधी पक्ष दोनों अपने मन को टटोलें और पता लगायें कि कहीं वह ऐसा आचरण तो नहीं कर रहे जिससे उन परम्पराओं की समाप्ति हो जिनके द्वारा लोकतन्त्र चलता है। सारे देश को आज इस बात का पता लगाना चाहिये कि किन कारणों से देश को हानि पहुँच रही है।

हरियाणा में दल बदलने की सीमा पार हो गई और यदि ऐसी परिस्थितियों में वहाँ राष्ट्रपति राज्य हो गया तो केन्द्रीय सरकार की आप नियत पर शंका ही कर सकते।

इसलिये मैं सिवाय बायें बाजू के साम्यवादियों को छोड़कर क्योंकि उनका मन तो चीन के पास बिका हुआ है, सब दलों से कहूँगा कि वे अपना मन टटोलें और देखें कि कोई ऐसा कार्य न करें जिससे देश को हानि पहुँचे।

**Shrimati Sushila Rohatgi** (Bilhaur) : Sir, a time comes when a doctor has to perform operation. This is done when no other remedy is considered desirable. The same was the condition in Haryana. I know that we all believe in the democracy. But in Haryana the administration was paralysed. The Central government owed some responsibility to the people and as such they had to take this drastic step of issuing the proclamation. This is a historical step. We all have taken oath of the Constitution. It would have conveyed some sense if the defectors had also resigned from the legislature at the time of changing the party. According to the report of the Governor the legislators had made a mockery of the Constitution and had brought democracy to ridicules. The defections were being secured by not too honourable means. Every member wanted to become a minister or a parliamentary Secretary. In such circumstances the Governor correctly exercised his discretionary power. I support the motion of the Minister here.

**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : महोदय यदि इस सरकार को लोकतन्त्र से थोड़ा भी प्यार होता तो राज्यपाल के प्रतिवेदन को रद्दी की टोकरी में फेंक देती। संविधान के अनुच्छेद 356

के अनुसार राष्ट्रपति का शासन तब हो सकता है जब संविधान का चलना कठिन हो जाये अथवा वहाँ कोई वैकल्पिक सरकार नहीं बनाई जा सके। क्या हरियाणा में ऐसी स्थिति है कि प्रशासन का चलना कठिन हो गया है। प्रतिवेदन में तो ऐसा कुछ नहीं कहा गया। केवल एक वाक्य में राज्यपाल ने कहा है कि प्रशासन में गड़बड़ है।

क्या मैं यह समझूं कि मंत्रि परिषद् का विकास अथवा मंत्रियों की नियुक्ति संवैधानिक शक्ति का दुरुपयोग है? अगर इसकी यही कसौटी हो, तो किसी भी मंत्रिमंडल को कांग्रेसी अथवा गैर-सरकारी, इसका दोषी ठहराया जा सकता है। इसका कोई प्रश्न नहीं है।

राज्यपाल ने प्रश्न पूछे जाने पर स्पष्ट शब्दों में कहा था कि उन्हें अब भी बहुमत प्राप्त है इस रिपोर्ट में भी यह नहीं कहा गया है कि वर्तमान सरकार का बहुमत समाप्त हो गया है। विधान सभा के पिछले सत्र में भी राज्यपाल ने कहा कि मुख्य मंत्री को समर्थन प्राप्त है। इसलिये मैं समझता हूँ कि यह राजनैतिक प्रयोजन के लिये किया गया है। केवल एक बात कही गई है कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिये लोकतन्त्र की हत्या कर रहे हैं।

दल-बदल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। 1948 में मैंने कांग्रेस छोड़ने के साथ-साथ संविधान सभा की सदस्यता से भी त्यागपत्र दिया था क्योंकि मैं कांग्रेस के टिकट पर चुना गया था आज दल-बदल की समस्या के लिये, इस देश के राजनैतिक जीवन को भ्रष्ट करने के लिये, लोकतन्त्र का मजाक बनाने के लिये और कोई नहीं, केवल कांग्रेस दल उत्तरदायी है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को समझता है कि आम चुनावों के बाद दल-बदल इस देश के राजनैतिक जीवन के लिये एक खतरा बन गया है। इसको कौन प्रोत्साहन दे रहा है? अब कांग्रेस का केन्द्रीय संसदीय बोर्ड पिछले संकल्प को समाप्त करके एक नया संकल्प पारित करता है कि जो भी व्यक्ति अपने दल को छोड़कर आना चाहे उसे कांग्रेस गले लगायेगी। क्या आप इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रहे हैं? क्या आप इससे चिन्तित हैं। ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होता, तो यह समाप्त हो गया होता। आपको पुनः यह कार्यवाही करने से सिद्ध हो गया है कि आप वास्तव में राज्यपालों को सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के राजनैतिक प्रयोजनों के अनुकूल राजनैतिक एजेन्टों के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। क्या राज्यपाल, जो एक वैतानिक कर्मचारी है, किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को विधान सभा में अपनी शक्ति आजमाये बिना मुअत्तल कर सकता है। वह स्वयं कहते हैं कि उनका बहुमत है। इस रिपोर्ट में भी 20 दिसम्बर को विधान सभा की बैठक बुलाने की बात कही गई है। तब तक प्रतीक्षा क्यों नहीं की जाये? हरियाणा में राष्ट्रपति का शासन लागू करने के लिये कहा जाता है चाहे हमारा संविधान इसकी अनुमति देता है अथवा नहीं ताकि राष्ट्रपति शासन की अल्पावधि में प्रशासन को सुधारा जा सके। राज्यपाल को क्या अधिकार नहीं है कि वहाँ स्थायी सरकार है अथवा नहीं। उसे तो केवल यह विचार करना है कि कोई दूसरा मंत्रिमंडल बनाया जा सकता है अथवा नहीं। राज्यपाल ने आशा व्यक्त की है कि मध्यावधि चुनाव में इतने अधिक अवसरवादी विधायक पुनः नहीं चुने जायेंगे। राज्यपाल इसे कैसे रोक सकता है? उसने कांग्रेस दल की भी आलोचना की है। केरल में भी ऐसा ही किया गया था। केन्द्र से इशारा दिया जाता है कि गड़बड़ करो; अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न करो; ऐसी स्थिति उत्पन्न करो जिसमें हम यह अनुच्छेद लागू कर सकें और इसके लिये राज्यपाल उनके हाथ में एक अच्छा हथियार है।

**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : इसलिये, वे राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में कोई परामर्श नहीं करना चाहते।

**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : कुछ माननीय मित्रों ने इसे लोकतन्त्र की हत्या कहा। मैं तो इसे लोकतन्त्र की समाप्ति कहूँगा मुझे आशांका है कि ऐसा अन्य राज्यों में भी न हो। कांग्रेसी तथा गैर-काँग्रेसी मंत्रिमंडलों द्वारा अपनाई जा रही अवसरवादी नीतियों का मैं समर्थन नहीं करता कि दल छोड़ने वाले व्यक्तियों को मंत्री बना दिया जाये। यह एक शर्मनाक बात है। इस कारण यदि किसी सरकार का पतन होता है तो मेरी उनके साथ कोई सहानुभूति नहीं है परन्तु यह कार्यवाही संवैधानिक प्रक्रिया पर आधारित होनी चाहिए।

मेरा अनुरोध है कि इस संकल्प को स्वीकार न किया जाये। हरियाणा विधान सभा की बैठक हो और यदि सरकार का पतन होता है, तो मध्यावधि चुनाव कराये जायें। इन शब्दों के साथ मैं गृह मंत्री के संकल्प का विरोध करता और श्री अटल बिहारी बाजपेयी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ।

**श्रीमती शारदा मुकर्जी (रत्नगिरि)** : मैं समझती हूँ कि विरोधी दल भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि राज्यपाल की रिपोर्ट में हरियाणा में संयुक्त मंत्रिमण्डल में सम्मिलित दलों के साथ-साथ काँग्रेस की भी आलोचना की गई है। हम दल-बदली के प्रश्न पर नहीं बल्कि मूल्यतः कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विचार कर रहे हैं। राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में पृष्ठ 7 पर कहा है कि वर्तमान परिस्थितियों में कोई शान्ति अथवा स्थिरता नहीं होगी। उन्होंने हरियाणा के लिये मूलतः दोषमुक्त तथा सुचारु प्रशासन पर बल दिया है। हो सकता है कि छः महीने बाद, जब चुनाव होंगे, यही स्थिति उत्पन्न हो जाये। लेकिन हम हरियाणा की भौगोलिक स्थिति को भूल गये हैं। हम यह भूल गये हैं कि वहाँ अस्थिरता का हमारी सीमा की स्थिति पर और हमारी सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। केन्द्रीय सरकार का प्रमुख कार्य देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इस रिपोर्ट में तथ्य ही रखे गये हैं। इसमें काँग्रेस को चुभने वाली बातें कही गई हैं। यदि यह केन्द्रीय सरकार के कहने पर तैयार की गई होती, तो ऐसा न होता, यदि साम्यवादी दल सतारूढ़ होता, तो क्या ऐसी निष्पक्ष रिपोर्ट मिल सकती थी ? मेरे विचार में केन्द्रीय सरकार ने हरियाणा के लोगों की राजनैतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने से अधिक कुछ नहीं किया है और यह इस स्थिति देश के लिये अत्यावश्यक है।

**श्री तेन्नेटि विश्वनाथन** (विशाखापतनम) : अध्यक्ष महोदय; मैं गृह मंत्री के संकल्प का विरोध करता हूँ। यह कहा गया कि हरियाणा में जो कुछ हुआ है, वह लोकतन्त्र का मजाक उड़ाना है। लेकिन यहाँ जो कुछ आज हो रहा है, वह संविधान का मजाक उड़ाना है। राज्यपाल की रिपोर्ट में तीन स्थानों पर कहा गया है कि वहाँ की सरकार को बहुमत प्राप्त है परन्तु फिर भी वे समझते हैं कि वहाँ पर स्थायी सरकार नहीं बन सकती है और इसलिये वे राष्ट्रपति का शासन चाहते हैं। जिस प्रकार न्यायालयों में दण्ड प्रक्रिया अथवा व्यवहार प्रक्रिया की भाषा को दोहराया जाता है चाहे वह वास्तव में उस मामले में लागू हो अथवा नहीं, उसी प्रकार राष्ट्रपति की उद्घोषणा में संविधान की भाषा को दोहराया गया है।

अभी कुछ दिन पहले के मुख्य मंत्री से सन्तुष्ट थे कि 3 दिसम्बर को बहुमत की परीक्षा हो सकती है। अचानक उन्होंने अपना विचार बदल दिया, क्योंकि कुछ और विधायकों ने अपना दल बदल लिया। राज्यपाल मुख्य मंत्री को बुलाकर उनसे उनकी स्थिति पूछ सकते थे परन्तु वे तो वहाँ के स्थान पर दिल्ली में किसी अन्य व्यक्ति से विचार-विमर्श कर रहे थे।

यह सच है कि दल-बदल एक चिन्ता का विषय है और हम भी इससे असन्तुष्ट हैं। लेकिन प्रश्न तो यह है कि क्या सरकार संविधान के उपबन्धों के अनुसार प्रशासन चलाने में असमर्थ है? राज्यपाल ने तो केवल यह कहा है कि सत्तारूढ़ दलों में लड़ाई के कारण प्रशासन अव्यवस्थित हो गया है। ऐसा तो केन्द्र में भी होता है। गोरवाला की रिपोर्ट भी यही है परन्तु वहाँ राष्ट्रपति का शासन लाग् करने की बात ही नहीं सोची गई। यह एक असामयिक तथा जल्दबाजी की कार्यवाही है। वास्तव में सरकार के मस्तिष्क में कुछ और ही बात है। वे 7–8 राज्यों में गैर-काँग्रेसी मंत्रिमण्डल होने से असन्तुष्ट हैं। यदि हरियाणा की सरकार को हटाया जाना उचित हो, तो किसी की भी आपत्ति नहीं होगी। लेकिन क्यों न 3 दिसम्बर तक प्रतीक्षा की जाये? इस सरकार ने एक रोगी को मरने से पहले ही जला देने जैसी कार्यवाही की है। यह एक गलत परिपाटी हो जायेगी। जब राज्यपाल संतुष्ट थे कि 3 दिसम्बर तक प्रतीक्षा करने की प्रार्थना उचित थी, तो फिर दिल्ली में केन्द्रीय सरकार को क्यों इतनी जल्दबाजी दिखाये? हमें इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

**Mr. Deputy Speaker in the Chair**

**श्री वेदव्रत बरुआ** (कलियाबोर): मुख्य प्रश्न यह उद्घोषणा जारी करने में राष्ट्रपति की कार्यवाही की संवैधनिकता के बारे में है। सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि हरियाणा में राजनीतिक वातावरण बहुत गन्दा हो चुका था। यह कार्यवाही भारतीय लोकतंत्र पर एक कृपा है और उन्नति के लिये है।

जब सरकार जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भूल जाये, विधान मण्डल के प्रति अपने उत्तरदायित्व को भुला दे, तो इस लोकतंत्र की ओर से किसी के लिये यह करना आवश्यक हो जाता है और हमारे संविधान में इसकी व्यवस्था है। एक पिछड़ी अर्थ-व्यवस्था से बाध्य होकर हमें काँग्रेस के साथ मिलना पड़ता है। यही भारतीय लोकतंत्र के लिये एक मात्र आशा की किरण है। संयुक्त सरकारें, जो विभिन्न दलों से मिलकर बनी हैं और जिनके किसी भी समय विघटित होने का खतरा है, भारतीय लोकतंत्र के जीवित रहने की ओर संकेत नहीं करती हैं। हम सबको यह समझ लेना चाहिए।

हमें संवैधानिक ढंग से काम करना चाहिए। संविधान के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को एक कर्तव्य सौंपा गया है और उसे अपना कर्त्तव्य पूरा करना होता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति और राज्यपाल के भी संविधान के अन्तर्गत कुछ कर्त्तव्य हैं कि संविधान ठीक प्रकार से काम करे और संवैधानिक व्यवस्था के भंग होने पर रिपोर्ट दें। मंत्रिपद का उत्तरदायित्व न रह जाने पर संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाती है।

इस बात की सराहना नहीं की गई कि सारे विधान मण्डल को भंग कर दिया गया है, जिसमें काँग्रेसी सदस्य भी हैं। हमें जनता से अपील करनी चाहिए, जैसा कि श्री बाजपेयी ने कहा, कि अब हम एक परम्परा डालें, आज हम नियम बनाये, विधायकों के लिये व्यवहार का नमूना बनायें और हरियाणा में जनता को बतायें कि ऐसे अनुत्तरदायित्वपूर्ण ढंग से व्यवहार करने वाले लोग इनके प्रतिनिधि न बन पायें।

**Shri Gulam Mohammad Bakshi** (Srinagar): Sir, I would have been the first man to support the motion brought forward by the Hon'ble Home Minister, had he applied the same yardstick in all the cases. Take the case of Kashmir. Out of the total strength of

75 of the legislature, 26 have been returned on account of rejection, 13 members of opposition parties have been elected and two seats are vacant. Thus the ruling party—I do not call it Congress—Party is running the administration there with the strength of 34. All the political parties have unanimously passed resolutions that they do not enjoy the confidence of the masses. But still they are there. We were asked to file petitions, which we did. Out of 60 petitions, only one has been disposed off, 3 are pending in the High Court even after lapse of 9 months. Out of the 56 petitions yet to be taken up, 26 pertain to outright rejections. A tribunal was appointed to dispose of these petitions, which was made defunct just in one day on 11th September by passing, a legislation. It has taken 9 months to dispose of only one petition, with this speed it will take at least 30 years to clear all the petitions.

It is very unfortunate that minority government is in power there and you also accept this position. Justice demands its dismissal. I will appeal to you that in the interest of proper functioning of democracy a legislation may be brought forward to check future defections with the concensus of all the parties. My grievance against this Government is that action is taken when it is not called for and it is not taken when it should be done. Then, naturally there is resentment. The hon'ble Home Minister and many other members visited Kashmir and promised to exert their pressure in setting matters right, but still the old situation continues there. There is no administration, no security and corruption is rampant and the economy has been completely shattered but inspite of all these things you are keeping that Government in power.

According to the report of the Governor, the Chief Minister in Haryana enjoys the support of 40 members out of a total of 78 but still he is being dismissed. Quite to the contrary a different measuring rod is being applied in case of Kashmir. The centre should see that such a Government should be there and Government may, so function that may ensure public good. It is not proper to have one measuring rod for others and a different one for oneself.

**Shri Dalbir Singh** (Sirsa): Mr. Deputy Speaker, Sir, I rise to support the motion before us. If one goes through the details mentioned in the report of the Governor, he will appreciate that the situation in Haryana demanded President's rule.

Seeing the way the defections and floor-crossing that took place there on both the sides, the drama enacted there on the political scene there, the way ministerships were offered, the way temptations were offered to win members to one's side, the people of Haryana prayed for an early fall of the Government. The people, the M.L.As., the senior as well as Government employees at the lower rings realised that the administration was completely paralysed there. On a report of the governor, the President proclaimed President's rule. Every Government has got to follow certain standard, certain procedure. There is no practice to send an order direct to a junior employee, which should emanate from the Secretariat level and if he says that it is against the esstablished procedure, he is harassed, transferred or suspended.

What has not happened in Haryana? Whenever it was discussed with Members of Parliament they were surprised at the way the M.L.As continued to change their party labels. The members calling this action of President as unjustified are only making political speeches in this House. We should develop a spirit to appreciate honestly a right decision.

The opposition has pushed all sorts of allegations against Congress but they should also have some standard. After the general elections people saw how various opposition parties pooled their principles and ideologies to form non-congress government. How, long did these Governments last ? Just in a few days of their rule these people developed a love for an attachment to power, which they do not want to give up.

**Shri Raghubir Singh Shastri** (Baghpat) : Mr. Deputy Speaker, Sir, the corruption amongst the politicians in Haryana had reached such a height that people were ashamed to call themselves politicians. The politicians of Haryana could well be compared to a flirt woman who could be lured by offering one single meal.

The democracy in Haryana had already been murdered in Haryana due to corruption, corrupt practices and dishonesty. The Home Minister has defamed the democracy which was already dead.

It is also said that this is a black day. I agree that it is a black day for political leaders who have lost power. The people of Haryana heaved a sigh of relief at the collapse of Bhagwat Dayal Sharma Ministry but the Ministry that was formed after that did not prove any better. It is high time for all the parties to do some introspection. All those persons, whether they are congressmen or others, who indulged in corruption and malpractices, should be punished.

The wrong traditions followed by the Congress during last twenty years have led people to doubt even such things which were done by the Congress with good intentions. It is the Congress which is to be blamed for the present state of affairs. It is even doubted that such an action was taken because Rao Birendra Singh remained firm on Chandigarh issue. It is necessary that fresh elections should be held at an early date so that the people of Haryana can decide the fate of that State without any delay.

**Shri Yashpal Singh** (Dehra Dun). I should be given time to speak. We are worst affected by it and still I am not being given a chance to speak.

**उपाध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइये।

**Shri Yashpal Singh** * * *

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस कार्यवाही में शामिल नहीं किया जायेगा।

**Shri Yashpal Singh** * * *

**उपाध्यक्ष महोदय: आपको बैठना होगा।**

**Shri Yashpal Singh** * * * *

**उपाध्यक्ष महोदय**: क्या आप इस प्रकार के व्यवहार को प्रोत्साहन दे रहे हैं।

**Shri Yashpal Singh** * * * *

**Mr. Deputy Speaker** : As all the Members are insisting, I will give him two minutes.

**Shri Yashpal Singh** : The democracy was introduced in India and struggle for this purpose was made under the leadership of Mahatma Gandhi not with a view to run a one man show here. The Central Government has done a great injustice to the Government of Haryana by imposing President's rule in that State. The State Government enjoys the support of the majority of the Members of Assembly. The government should withdraw the Presidential proclamation or the elections should be held within fifteen days.

**Shri Sheo Narain** (Basti) : The President of Jan Sangh, Shri Balraj Madhok and Shri M. L. Sondhi, M. P. gave statements in favour of imposing President's rule in Haryana. The situation in Haryana was very deplorable. Corruption had reached its highest point. The State government has lost the support of the majority in the Assembly. The Union Government has done a right thing by taking over the administration in Haryana. The situation in Kashmir, Bengal, Bihar and Uttar Pradesh should also be tackled properly without any further delay.

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया

**Not recorded.

**गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण)**: श्री बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव तथा मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये संविहित प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान इस घोषणा के विरुद्ध जो मुख्य तर्क दिया गया है, वह राजनैतिक है। यह कहा गया है कि कांग्रेस दल के हित में यह कार्यवाही की गई है और केन्द्रीय सरकार तथा राज्यपाल के बीच एक प्रकार का षडयंत्र था। सामान्यतः इसी प्रकार के तर्क दिये गये हैं। मुझे ऐसी कार्यवाही करने का खेद है और उसका कारण केवल यह नहीं है कि एक सरकार की शक्तियाँ अपने हाथ में लेनी पड़ी हैं बल्कि इसका कारण यह भी है कि स्थिति इस हद तक बिगड़ गई थी कि ऐसी कार्यवाही करना अनिवार्य हो गया था। राज्यपाल के इस प्रतिवेदन से लोकतान्त्रिक पद्धति का निराशाजनक चित्र सामने आता है। इससे मुझे दुख हुआ है और प्रत्येक व्यक्ति को होगा।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि हरियाणा में जो कुछ हुआ है तथा यहाँ जो कुछ हो रहा है, वह संविधान का उपहास है। यह बात बिलकुल ठीक नहीं है। हमारा समूचा संविधान लोकतन्त्र के मूलभूत सिद्धान्तों पर आधारित है। यदि हरियाणा में लोकतन्त्र का उपहास हो रहा था और यदि इसे दूर करने के लिये हमें कुछ कार्यवाही करनी पड़ी तो इसे संविधान का उपहास नहीं कहा जा सकता। संविधान को सुदृढ़ बनाने के लिये हमने ऐसी कार्यवाही की है।

11 नवम्बर के 'पैट्रियट' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार हरियाणा के मुख्य मंत्री ने कहा था कि विधान सभा के सदस्यों में दल बदलने का रोग राज्य में चिन्ताजनक हद तक बढ़ गया है। उन्होंने यह भी कहा है कि यह रोग इतना बढ़ गया है कि किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। मुख्य मंत्री ने यह भी आरोप लगाया था कि विधान सभा के कुछ सदस्य रुपये के कारण दल बदलते हैं। हरियाणा के लोकतन्त्रात्मक जीवन में सभी राजनैतिक दल असफल हुए हैं। हम सभी को इस बात का दुख है। किसी को भी इस पर गर्व नहीं हो सकता।

हरियाणा के लोग बुद्धिमान हैं परन्तु उनका दुर्भाग्य है कि उनके प्रतिनिधि इस प्रकार के हैं। उन्होंने इस दल बदलुओं को 'आया राम' 'गया राम' के नाम दिये हैं। आया राम का मूल्य 20,000 रुपये तथा गया राम का मूल्य 40,000 रुपये है। इस सम्बन्ध में जिम्मेदारी से जन संघ भी नहीं बच सकता। उनके कुछ सदस्यों ने भी एक अथवा दो बार दल बदले हैं।

हम इस उदघोषणा द्वारा आवश्यकता से एक दिन भी अधिक सत्ता अपने हाथ में नहीं रखना चाहते। राष्ट्रपति का शासन कुछ मास के लिये होगा और उसके बाद हरियाणा की जनता को अपने प्रतिनिधि चुनने के लिये कहा जायेगा।

राज्यपाल ने अपने प्रतिवेदन में राज्य की स्थिति का मूल्यांकन किया है। जब भारत सरकार ने देखा कि राज्यपाल के प्रतिवेदन में ऐसे तर्क थे जिनका खंडन नहीं किया जा सकता तो उसे स्वीकार करना सरकार का कर्त्तव्य हो जाता था। यदि हम राज्यपाल के प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं करते तो हम अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं कर पाते। यदि यह दल का प्रश्न होता तो मैं इसके अतिरिक्त भी कुछ सिफारिश करता। सरकार के निर्णय में दल के हितों का कोई हाथ नहीं है। यह निर्णय उत्तरदायित्व की भावना से लिया गया है। यह निर्णय सख्त तथा दुखद था परन्तु कई बार ऐसे दुखद कर्तव्य भी निभाने पड़ते हैं। यह कार्यवाही बहुत ही अनिवार्य थी और इसलिये, सभा को यह उद्घोषणा स्वीकार कर लेनी चाहिये।

**Shri Atal Bihari Vajpayee** (Balrampur) : It has been made clear from this debate that there is no constitutional justification for imposing President's rule in Haryana. The arguments, which were given in support of that action, were not based on the constitutional provisions.

The Home Minister, by condemning the Congress leaders of Haryana, has tried to impress that he is impartial in this matter. I would like to know what he has done, in the capacity of a Union Congressmen, to prevent such things. The Government have adopted different yardsticks to tackle the situation in West Bengal and Haryana because in West Bengal they wanted to topple the non-Congress Government while in Haryana they wanted to put the Congress again in power.

The solution of the problem of crossing the floor does not lie in imposing the rule of the President. This problem should be solved at the political level. I would like to know if the Congress is prepared for the same. We are ready to solve this problem at the political level. .What will be the position in Haryana if no party in the new elections commands a majority It cannot be denied that the President's rule is an indirect rule of the Congress.

Even if it had become necessary to hold new elections in Haryana, it could be done without dismissing the Rao Birendra Singh Ministry. I warn that the Governors should not be made small dictators. If it is done, the democracy would be lost. Congress may loose power even at the centre and some dictatorship may emerge. The Government should try to defend and strengthen the democrary in India. Whatever, has been done in Haryana, has added neither to the prestige of the Congress nor that of democracy.

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं श्री अटल बिहारी बाजपेयी का प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूँ । प्रश्न यह है: "कि इस सभा को खेद है कि भारत सरकार ने हरियाणा के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को भेजा गया दिनाँक 27 नवम्बर, 1967 का प्रतिवेदन अस्वीकृत नहीं किया जिसमें जिसमें कि 21 नवम्बर 1967 को सभा-पटल पर रखी गई उद्घोषणा जारी करने की सिफारिश की गई थी, जबकि हरियाणा सरकार को विधान मण्डल में बहुमत प्राप्त था और वह संविधान के उपबन्धों के अनुसार कार्य कर रही थी।"

**लोक-सभा के मत विभाजन हुआ :**

**The Lohk Sabha divided :**

**पक्ष में 66 विपक्ष में 143**

**Ayes 66, Noes 143**

**प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ**

**The motion was negatived.**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं गृह-कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखता हूँ ।

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**The motion was adopted.**

प्रश्न यह है: "कि यह सभा भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत 21 नवम्बर, 1967 को हरियाणा राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

**The motion was adopted.**

इसके पश्चात् लोक-सभा बुधवार, 22 नवम्बर, 1967/1 अग्रहायण, 1889 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिय स्थगित हुई।

**The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday, the 22nd November, 1967 Agrahayana 1, 1889 (Saka).**



Printed by Job Printers, 119 Swami Vevikanand Marg, Allahabad.